

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
जबलपुर



विद्युद् ब्रह्मेति

अंकेक्षक प्रतिवेदन

15वाँ वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2016-17

वैधानिक लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन मध्य प्रदेश लिमिटेड के सदस्यों हेतु :

आईएनडी एस वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन

हमने मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र वि.वि. कंपनी लिमिटेड (एतदपश्चात् कम्पनी" के रूप में जानी गई) आईएनडी एस के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की जिसमें 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये समेकित तुलन पत्रक, लाभ हानि खाता एवं नगद प्रवाह विवरण तथा प्रचलित लेखांकन पद्धतियों और अन्य स्पष्टीकरण जानकारियों का सारांश शामिल है।

आईएनडी एस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन आईएनडी एस की तैयारी के संबंध में कंपनियों अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) के बताए गए मामलों के लिए उत्तरदायी है। वित्तीय विवरण जो मामलों की स्थिति/वित्तीय स्थिति की सच्ची और निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते हैं विभाग के तहत निर्धारित लेखा मानक आईएनडी एस जो अधिनियम की धारा 133 के अनुसार संशोधित कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 द्वारा निर्धारित है। लेखा मामलों (वित्तीय स्थिति) लाभ या हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन) नकदी प्रवाह और कंपनी की इंकविटी में परिवर्तन, लेखांकन सिद्धांतों सहित आम तौर पर भारत में स्वीकार किए जाते हैं।

इसमें समूह की आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी या त्रुटि की रोकथाम करने, ऐसे निर्णय और अनुमान लगाने जो जिम्मेदार और विवेकपूर्ण हों, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का निर्माण, निष्पादन और रख रखाव करने, जो लेखांकन अभिलेखों की प्रभावशीलता, पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हों। अधिनियम के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखना शामिल है, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रदर्शन में प्रासंगिक हों और इसका सत्य और उचित चित्र प्रस्तुत करते हों एवं सामग्री की गलतबयानी, चाहे वह गलती या धोखाधड़ी किसी भी प्रकार हो, से मुक्त हों।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी आईएनडी एस इन वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर अपनी राय व्यक्त करने की है। हमने अपने लेखा परीक्षण में अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखा परीक्षण मानकों और कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के एवं अनुक्रम अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखा परीक्षक प्रतिवेदन में शामिल किये जाने के लिए आवश्यक मामलों को लिया है। हमने अपना लेखा परीक्षण कम्पनी अधिनियम की धारा 143(10) और में अंकेक्षण पर जारी मानकों के अनुरूप किया है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का परिपालन करें तथा वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त है, इस बारे में पर्याप्त आश्वस्त होने हेतु अंकेक्षण की आयोजना और निष्पादन करें।

अंकेक्षण में आईएनडी एस वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों को प्राप्त करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर करती है, वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलतबयानी चाहे वह गलती या धोखाधड़ी द्वारा हो, से संबंधित जोखिम के मूल्यांकन सहित। इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय लेखा परीक्षक कम्पनी के वित्तीय विवरणों से सत्य और उचित दृश्य प्रकट करने के लिये प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को ध्यान में रखते हुए परिस्थितियों के अनुसार अंकेक्षण प्रक्रिया की संरचना करता है। अंकेक्षण में प्रबंधन द्वारा उपयोग की गई लेखांकन पद्धतियों की उपयुक्तता एवं लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता के साथ ही वित्तीय विवरणों के संपूर्ण प्रदर्शन की परीक्षा शामिल होती है।

हम विश्वास करते हैं कि जो अंकेक्षण साक्ष्य हमने प्राप्त किये हैं वे आईएनडी एस वित्तीय विवरण पर हमारे विशेषित अंकेक्षण अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए समुचित और उपयुक्त हैं।

विशेषित अभिमत के आधार :-

1. इन्वेंट्री पर कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार (नोट नंबर 2.04 में लेखांकन नीति देखें), इन्वेंट्री लागत के निचले स्तर पर और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के बारे में बताई गई। हालांकि यह देखा गया है कि 39.96 करोड़ रुपये के मूल्य की सूची का मूल्यांकन लागत के निचले स्तर के बजाय वेटेड औसत लागत पर लगाया गया है, जैसा कि भारतीय लेखा मानक (इंडस्ट्रीज)-2 में 'इन्वेंट्री' के अनुसार जारी किया गया है। भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) कंपनी द्वारा, उपरोक्त भारित औसत लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य की तुलना की, हम किसी भी अभ्यास को चलाने के प्रमाण के साथ प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। यह कहा जाता है कि इंडस्ट्रीज से भौतिक प्रस्थान का गठन होता है और प्रासंगिक जानकारी के गैर-प्रस्तुत करने की वजह से इसका अनुपालन नहीं किया जा सकता है।
2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट संख्या 2.05 पर लेखांकन नीति देखें), संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार लागत कम मूल्यहास पर कहा जाता है। यह आईसीएआई द्वारा जारी इंडस्ट्रीज एस-16 'प्रापर्टी, प्लांट एवं इक्विमेंट' के अनुसार नहीं है, जिसके अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण इसकी लागत कम संचित अवमूल्यन और संचित हानि के नुकसान में किए जाएंगे, यद्यपि कंपनी के नुकसान पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है क्योंकि कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को पूर्वोक्त एस-16 की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

3. कंपनी बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांकित 19.02.2010 (संदर्भ नोट स. 34) के अनुसार उत्तर रोजगार के लाभ प्रदान किए जो लेखा मानक-15 (AS-15) 'कर्मचारी लाभ' ICAI द्वारा जारी किए गए के अनुसार नहीं है। 1.19 के अनुसार परिभाषिक लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का बीमांकिक मूल्यांकन वर्ष के अंतराल में किया जाना चाहिए। हालांकि, बीमांकिक मूल्यांकन वर्ष 2009-10 में किया गया था एवं समय बीतने के साथ आए बदलाव एवं कई अन्य मान्यताओं के रूप में दायित्व की यर्थाथवादी अनुमान नहीं देते। वर्ष 2016-17 के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के अभाव में, 'परिभाषित लाभ दायित्वों' मद में अंकित राशि रु. 164.91 करोड़ पर - कर्मचारी लागत की सच्चाई पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।
4. कंपनी द्वारा गारंटी शुल्क परिशोधित है जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गई गारंटी के खिलाफ मध्य प्रदेश राज्य सरकार को देय भुगतान, जो एक विशेष परियोजना के वित्त पोषण के प्रति वित्तीय संस्था से कंपनी द्वारा लिए गई लंबी अवधि के फंड की अदायगी सुरक्षित करने के लिए, ऋण की अवधि के दौरान मासिक आधार पर (जो लंबी अवधि के रूप में विशिष्ट परियोजना की अवधि की तुलना में हो सकता है, अर्थात् वित्त पोषण के लिए जो किया गया था), प्रथम दो वर्षों के लिए पूंजीकरण करना एवं उसके बाद ऋण की अवधि के दौरान लाभ और हानि द्वारा हमारी राय में गारंटी शुल्क भुगतान / देय है, उपरोक्तानुसार यह लागत है जो ऋण लेने की व्यवस्था के लिए किया गया है और उसके बिना अर्थात् बिना गारंटी म.प्र. शासन द्वारा दिए गए, कंपनी को फंड नहीं मिला होता इन विशेष परियोजना के कार्यान्वयन के लिए। दूसरे शब्दों में, उधार लेने और विशेष योग्यता परिसंपत्ति के बीच सीधा संबंध स्थापित है। इसलिए यह लागत सीधे अधिग्रहण, निर्माण या एक योग्यता परिसंपत्ति के उत्पादन के कारण है अर्थात् परियोजना और इसलिए यह सीधे पूंजीकृत होना चाहिए, संपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में है, जो आई. सी.ए.आई. द्वारा जारी किए गए लेखा मानक-23 "उधार लेने की लागत" अर्थात् कार्यशील पूंजी को डेबिट करना बजाय ऋण की अवधि में प्रत्युत्सर्जन करना। लेखा मानक-23 के अनुसार गारंटी शुल्क के लेखों में कार्यशील पूंजी को कम आकलन किया गया जबकि कंपनी की हानि को रु. 4.94 करोड़ से ज्यादा आंकलित किया गया।
5. कंपनी ने अपने मूल्यांकन के समर्थन में पर्याप्त उपयुक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, चाहे कोई संकेत हो कि कोई परिसंपत्ति बिगड़ा हो सकती है, जो आईसीएआई द्वारा जारी किए गए इंडस्ट्रीज एएस-36 'एसेट ऑफ कमेटी' के अनुसार नहीं है। इसके अलावा हानि के संबंध में कंपनी की लेखांकन नीति (नोट नंबर 2.9 पर लेखांकन नीति देखें) यह निर्दिष्ट नहीं करती है कि वह वित्तीय परिसंपत्तियों या गैर वित्तीय संपत्तियों या दोनों के संबंध में है या नहीं। इसके अलावा कंपनी ने आवश्यक खुलासा भी नहीं किया है जैसा कि कहा गया है कि इंड-एएस-36 द्वारा आवश्यक है। उक्त इंडस्ट्रीज एएस-36 की उपरोक्त गैर अनुपालन के संचयी प्रभाव का पूर्ण विवरण न देने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।
6. कंपनी ने आईएनएआई द्वारा जारी इंडस्ट्रीज-37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति- का उचित अनुपालन नहीं किया है।
 - (ए) 688.26 करोड़ रुपये की प्रारूप देयताएं (नोट संख्या 38 देखें) में 'अन्य कानूनी मामलों' के मद 640.86 करोड़ रुपये के मामले में शामिल है, जो कि सही तरीके से गणना नहीं की गई है, जैसा कि इसमें शामिल नहीं है स्थापना के बाद से कंपनी के खिलाफ दावा किया गया मूल राशि पर ब्याज घटक। इसके अलावा 640.86 करोड़ रुपये की उपरोक्त राशि के संबंध में आवश्यक प्रकटीकरण भी आईसीएआई द्वारा जारी इंडस्ट्रीज-37 'प्रावधान, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक परिसंपत्तियों' के अनुच्छेद सं. 86 के अनुसार नहीं किया गया है। इसके अलावा कंपनी ने आर 1 लाख करोड़ रुपये या उससे अधिक के लिए आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया है, जब तक कि संसाधनों का बहिर्वाह दूरराज के होने की संभावना नहीं है (नोट नंबर 2.14 पर लेखांकन नीति का संदर्भ लें) लेकिन इसका आधार हमारे को प्रस्तुत नहीं किया गया है।
 - (बी) कंपनी के प्रावधानों के संबंध में आवश्यक प्रकटीकरण नहीं की है, जैसा कि आईएनडी एएस-37 पैराग्राफ 84 और 85 के अनुसार आवश्यक है।
7. उपरोक्त पैरा 01 से 06 भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी एएस) के गैर अनुपालन के संबंध में है जो अधिनियम की धारा 129(1) और 129 (5) का गैर अनुपालन है। जिसके अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरण लेखा मानकों का अनुपालन करेगा। और जहां कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों / आईएनडी एएस का पालन नहीं करते, वहां कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण में लेखा मानकों से विचलन का खुलासा किया जाता है, तथा विचलन का कारण एवं वित्तीय प्रभाव, यदि कोई है, जो इस तरह के विचलन से उत्पन्न है। इस तरह के खुलासे नहीं किए गए हैं।
8. **संपदा संयंत्र और उपकरण रु. 4300.59 करोड़ (नोट 6 देखें)**
 - (ए) जैसा कि वर्ष 2014-15 के दौरान दर्ज किया गया था, कंपनी को 94.88 करोड़ रुपए की नकारात्मक स्थाई परिसंपत्तियां मिल रही थीं, इसके साथ ही ऋणात्मक रूप से नकारात्मक मूल्य भी रु. 44.79 करोड़ हालांकि वर्ष 2014-15 के दौरान इन परिसंपत्तियों पर कोई मूल्यह्रास नहीं लगाया गया था, लेकिन इन राशियों को निश्चित परिसंपत्तियों के सकल मूल्य

और समायोजित मूल्यहास से समायोजित किया गया ताकि निश्चित परिसंपत्तियों का शुद्ध मूल्य हो। वर्ष 2015-16 के दौरान, इन नकारात्मक स्थाई परिसंपत्तियों को एक ही समूह की मौजूदा परिसंपत्तियों से समायोजित किया गया था, इसके जमा मूल्यहास के साथ। हालांकि, इन समायोजनों की जांच के दौरान, 2015-16 के दौरान, जांच के आधार पर हमें दी गई सीमा तक, यह पाया गया कि कुछ मामलों में, संपत्तियों के उसी समूह के खिलाफ नकारात्मक स्थाई परिसंपत्ति समायोजित की गई थी और मूल्यहास की परिसंपत्तियों (जा कि नकारात्मक शेष के साथ सकारात्मक शेष कम परिसंपत्तियों वाले संपत्ति के समूह) की कुल शेष राशि पर गणना की गई थी 'परिणामस्वरूप उस परिसंपत्तियों के समूह पर मूल्यहास गलत तरीके से की गई थी, अर्थात् कम तय की गई संपत्ति पर नकारात्मक मूल्य की कमी इसके परिणामस्वरूप 'मूल्यहास' की खराबता हुई और परिणामस्वरूप कंपनी 2015-16 के दौरान कंपनी के 'संचित अवमूल्यन' के साथ-साथ नुकसान भी हुआ; हालांकि कंपनी के वित्तीय परिणामों पर ऊपर से होने पर कुल प्रभाव हमारे लिए नहीं दिया गया था हमने यह अनुमान लगाया था कि अचल संपत्तियां और इसकी संचित अवमूल्यन, कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकती है और इस प्रकार यह उचित सामंजस्य का विषय था; इसलिए हम 94.88 करोड़ रुपये के नकारात्मक अचल संपत्ति पर कोई टिप्पणी नहीं कर सके थे, जो कि संचित अवमूल्यन, नकारात्मक में, रु. 44.79 करोड़ है।

लेखा परीक्षा के तहत वर्ष के दौरान उपरोक्त मामले की यथास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए हम अपनी राय के साथ आगे बढ़ते हैं कि हम 94.88 करोड़ रुपए की उपरोक्त नकारात्मक अचल संपत्तियों पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, इसके साथ ही नकारात्मक में संचित मूल्यहास रु. 44.79 करोड़ है।

(बी) 1.72 करोड़ रुपए की पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि (नोट नंबर 6) में वर्ष में अतिरिक्त रूप से 0.02 रुपये शामिल हैं। कोई विवरण हमारे लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है।

9. अन्य संपत्ति: 477.92 करोड़ रुपये (नोट संख्या 133 देखें)

(ए) उपरोक्त में निम्नलिखित प्राप्तियां शामिल हैं, जिन्हें बहुत पुराना माना गया है :-

(i) सरकार से अन्य प्राप्तियां	रु. 1.67 करोड़
(ii) पावर सब्सिडी की बिक्री – डीआईआर इंडस्ट्रीज की	रु. 0.72 करोड़
(iii) हरिजन वस्ती सेंट लीगटी / डायरेक्ट	रु. .33 करोड़
(iv) पावर की इंटर-स्टेट सेल की बिक्री	रु. 0.06 करोड़

कुल

रु. 2.78 करोड़

कंपनी के गठन के बाद से, पूर्वनिर्धारित शेष, जो कि प्रबंधन द्वारा 'असुरक्षित गुड' के रूप में माना गया है, 2.78 करोड़ रुपए के बराबर है, कंपनी के गठन के बाद से आगे की शेष राशि ले जा रहा है। ये शेष बहुत पुराना है और अब तक अचेतन हो रहा है, इसलिए हमारी राय में के लिए प्रदान की जानी चाहिए। उसी के गैर प्रावधान के परिणामस्वरूप 'व्यापार प्राप्य' और 'हानि' की कमी के कारण कंपनी ने 2.78 करोड़ रुपए की राशि बताई है।

(बी) हम 2.41 करोड़ रुपए तक की अन्य प्राप्य वस्तुओं पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, जो कि 2.05 करोड़ रुपए की राशि लंबित जांच-प्रमुख कार्यालय लेनदेन का कुल है रु. 0.01 की 'पार्टियों से वसूल योग्य व्यय' करोड़ रुपये की सामग्री के नुकसान/क्षति के लिए दावा – 0.04 करोड़ रुपये का रेलवे, 'सामग्री के नुकसान/क्षति के लिए दावा – 0.28 करोड़ रुपए के आपूर्तिकर्ता' और सामग्री के नुकसान/क्षति के लिए दावा – अन्य- बोर्ड कर्मचारी रु. 0.03 करोड़ का, उसके संबंध में पूर्ण विवरण नहीं प्रस्तुत करने के कारण ; इसलिए खातों और वित्तीय वक्तव्यों पर वित्तीय प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

10. सूची : रु. 39.96 (संदर्भ – नोट सं. 14)

अ. उपरोक्त राशि को प्राप्त करने के लिए निम्न मदों की (जमा शेष होने के बाद) घटाए गए के संबंध हमारे लिए पूर्ण जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है :-

i) उपभोक्ताओं के अलावा अन्य पार्टियों को ऋण पर जारी की गई सामग्री	रु. 0.17 करोड़
ii) मीटर सस्पेंस अकाउंट	रु. 0.02 करोड़
iii) सामग्री सस्पेंस अकाउंट	रु. 5.67 करोड़
iv) ट्रांसफार्मर मरम्मत	रु. 42.06 करोड़
v) जले हुए ट्रांसफार्मर तेल का पुनः प्रसंस्करण	रु. 0.87 करोड़
vi) अतिरिक्त स्टाफ ट्रांसफार्मर लंबित जांच अतिरिक्त स्टाफ ट्रांसफार्मर लंबित जांच योग	रु. 0.09 करोड़
	रु.48.88 करोड़

ब. ऊपर निम्नलिखित मदों जिनके संबंध संतोषजनक जानकारी हमारे लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है शामिल है :-

(i)	स्टॉक अतिरिक्त विचाराधीन जांच	रु.2.25 करोड (Dr.)
(ii)	स्टॉक की कमी विचाराधीन जांच	रु.1.28 करोड (Dr.)
(iii)	अतिरिक्त स्टॉक स्थानांतरण विचाराधीन जांच	रु. 0.09 करोड (Dr.)
(iv)	स्क्रेप लेनदेन के लिए नियंत्रण खाता	रु. 3.32 करोड (Dr.)
	योग	रु. 6.79 करोड (Dr.)

परिणामस्वरूप इसका 'माल' वर्तमान आस्तियों के माल-कंपनी की हानि पर परिणामी प्रभाव पर हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(सी) 31.03.2017 को कंपनी की गैर-चलती और अप्रचलित शेयर 1.29 करोड़ रुपये के बराबर हैं, जो कि हमारी राय में, के लिए प्रदान किया जाना चाहिए था। तरह के प्रावधान के गैर निर्माण के परिणामस्वरूप "सची" और 'वर्तमान परिसंपत्तियों' को 1.29 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है और उक्त राशि द्वारा नुकसान की खास खराब रही है।

(डी) उपरोक्त सूची में क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (आरएओ) छिंदवाड़ा से संबंधित 4.50 करोड़ रुपये की राशि शामिल हैं, जिसके संबंध में कोई विवरण हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है; इसलिए हम उसी पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

11. नकद और नकद समतुल्य: रु. 392.24 करोड़ (नोट नंबर-16 देखें) 14.03 करोड़ रुपये के नकद और चेक में शामिल हैं। 31.03.2017 को हाथ में 8.21 करोड़ रुपये नकद हैं, जिसके लिए हमें कोई विवरण नहीं दिया गया है; इसलिए हम उसी पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।
12. कंपनी द्वारा बीमा के विभिन्न प्रकार के लिए संशय बनाया है अर्थात् निर्धारित संशय (जमा शेष रु. 110.04 करोड़) (संदर्भित नोट 18) हालांकि कोई तत्स्थानी निवेश नहीं पाया गया है जो यह सुनिश्चित करे कि धन निर्धारित उद्देश्य के लिए उपलब्ध है / निर्धारित आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए है।
13. कंपनी ने 'पुनर्भुगतान के लिए नियम और शर्तों के संबंध में सही प्रकटीकरण नहीं किया है - अधिनियम के अनुसूची III द्वारा अपेक्षित के रूप में 1822.77 करोड़ रुपए के सिर 'उधार' के तहत 'उधार के तहत' अधिस्थगन अवधि' (नोट संख्या 9)
14. हम इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं प्रस्तुत करने के कारण, 'व्यापार देय' (उल्लेख नोट सं. 20) मद के तहत यूपीएसईबी से 3.34 करोड़ रुपये (व्त) से बिजली खरीद के लिए बकाया राशि पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इसलिए खातों और वित्तीय वक्तव्यों पर वित्तीय प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।
15. इसके संबंध में पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने के कारण, हम 'अन्य देनदारियों (संदर्भ नोट संख्या 23) के तहत 13.90 करोड़ रुपये (व्त) के अन्य भुगतानों पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं; इसलिए खातों और वित्तीय वक्तव्यों पर वित्तीय प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।
16. अंतर इकाई देन के कारण तथा उसी के साथ मेल खाते के साथ-साथ पूर्ण विवरण के गैर प्रस्तुत करने के कारण, हम निम्नलिखित खातों पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं :-

(i)	अंतर इकाई सामग्री छिंदवाड़ा रु. 7.31 करोड ;क्तद्ध	
(ii)	मुख्यालय के लिये अंतर-इकाई खाता प्रेषण	रु. 22.48 करोड (Dr)
(iii)	अंतर इकाई खाता निधि मुख्यालय से हस्तांतरण	रु. 31.75 करोड (Cr)
(iv)	अंतर इकाई खाता निधि मुख्यालय से लेनदेन	रु. 71.98 करोड (Dr)
(v)	अंतर इकाई खाता अन्य लेनदेन / समायोजन	रु. 10.25 करोड (Cr)
(vi)	अंतर इकाई खाता अन्य लेनदेन सागर	रु. 55.47 करोड (Cr)
(vii)	इन्द्रा. कंपनी प्राप्य और भुगतान खाता	रु. 1.30 करोड (Cr)
(viii)	अंतर संगठन देय / प्राप्त करने योग्य खाता सामग्री	रु. 5.21 करोड (Cr)
(ix)	अंतर इकाई खाता मुख्यालय लेनदेन धतरपुर	रु. 0.03 करोड (Dr)
	योग	रु. 2.18 करोड (Cr)

इस पत्र की तिथि के अनुसार, कंपनी ने अभी भी उपरोक्त खाते / शेष राशि का मिलान नहीं किया है इसलिए खातों और वित्तीय वक्तव्यों परावित्तीय प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

17. विविध देनदार, विविध लेनदारों, अन्य प्राप्य और भुगतान, अस्थायी कनेक्शन और अन्य व्यक्तिगत खातों पुष्टि के अधीन है, मेल-मिलाप और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो।
18. यद्यपि कंपनी ने अपने आईएनडी एस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 41 में अपेक्षित जानकारी प्रदान की है, हालांकि होल्डिंग्स के साथ के साथ-साथ निर्दिष्ट एसओ 3407 (ई) दिनांक 8 नवंबर को परिभाषित के रूप में निर्दिष्ट बैंक नोट्स (एसबीएन) में लेनदेन, वित्त मंत्रालय का 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक की अवधि के दौरान, हम इस संबंध में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या इस तरह के खुलासे खाते की पुस्तकों और विवरणों के विवरण के बिना कंपनी द्वारा बनाए गए रिकॉर्डों के अनुसार हैं।

उपरोक्त मामलों के परिणाम के रूप में, जिसमें अधिकांश मामलों में संबंधित पैराग्राफ में वर्णित कारणों के कारण कंपनी के वित्तीय पर प्रभाव का आकलन नहीं कर पाये, हम पूरी तरह से निर्धारित करने में असमर्थ थे जैसे चाहे समायोजन तुलन पत्र में आवश्यक है और संभवतः लाभ और हानि और नकदी प्रवाह विवरण के वक्तव्य को बनाने संबंधित तत्व।

विशेषित अभिमत

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, विशेषित अभिमत के लिये आधार पैराग्राफ में उल्लेखित विषय के प्रभाव को छोड़कर, कंपनी के आईएनडी एस वित्तीय विवरण 31 मार्च-2017 को और इसकी हानियां और नगद प्रवाह विवरण उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए, अधिनियम द्वारा यथापेक्षित जानकारी अपेक्षित रीति से प्रकट करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार सत्य तथा उचित स्थिति प्रकट करते हैं।

अन्य मामलों

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय जानकारी और आईएनडी एस वित्तीय विवरणों के रूप में 1 अप्रैल 2015 तक संक्रमण दिनांक खोलने की शेष राशि पत्र, कंपनियों के अनुसार तैयार किए गए पहले जारी किए गए वैधानिक वित्तीय वक्तव्यों पर आधारित हैं (लेखा परीक्षा मानक) नियम, 2006, जिसकी ऑडिट रिपोर्ट 31 मार्च 2016 को समाप्त हुई और 31 मार्च 2015 को दिनांक 27 नवंबर 2016 और 28 नवंबर 2015 को क्रमशः व्यक्त की गई राय और अस्वीकृति अस्वीकार करने के लिए उन वित्तीय वक्तव्यों पर, जैसा कि आईएनडी एस के संक्रमण के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा सिद्धांतों में अंतर है, जो हमारे द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के अधीन जारी कम्पनीज (अंकेक्षण प्रतिवेदन) आदेश, 2016 के पैरा 03 और 04 में निर्दिष्ट मामलों पर अपेक्षानुसार लागू सीमा पर, हम एक कथन अनुलग्नक। में संलग्न कर रहे हैं।
2. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन प्रभाव गैलता के संबंध में अनुबंध-II में हमारी अलग रिपोर्ट संलग्न है। हमारी रिपोर्ट, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और संचालन प्रभावशीलता पर एक योग्य राय व्यक्त करती है।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अपेक्षानुसार हम प्रतिवेदित करते हैं कि :-
 - (a) उपरोक्त विशेषित अभिमत के लिए आधार वर्णित मामले, में हम सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने में असमर्थ थे जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे अंकेक्षण के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।
 - (b) उपरोक्त विशेषित अभिमत के लिए आधार पैराग्राफ में वर्णित प्रभाव के कारण, हम असमर्थ हैं कि विधि द्वारा यथापेक्षित लेखा पुस्तकें कंपनी द्वारा रखी गई हैं।
 - (c) उपरोक्त प्रतिवेदन में प्रतिपादित तुलन पत्रक, लाभ-हानि लेखा (अन्य व्यापक आय सहित) एवं नगद प्रवाह विवरण और इक्विटी के परिवर्तन विवरण, कंपनी की लेखा पुस्तकों से मेल खाते हैं।
 - (d) उपरोक्त विशेषित अभिमत के लिए आधार पैराग्राफ में वर्णित प्रभाव के अलावा, उपरोक्त आईएनडी एस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के सहपठित का अनुपालन करते हैं।
 - (e) भारत सरकार के कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना से जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा 164 के उप-धारा (2) के प्रावधान, कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।
 - (f) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और इस तरह के नियंत्रणों के

संचालन प्रभावशीलता के संबंध में अनुबंध-III में हमारी अलग रिपोर्ट संलग्न है। हमारी रिपोर्ट, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और संचालन प्रभावशीलता पर एक योग्य राय व्यक्त करती है। बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), कैश फ्लो का विवरण और इस रिपोर्ट के साथ निपटाई गई इक्विटी में बयान का विवरण खाते की पुस्तकों के साथ समझौता है:

- (g) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम "के अनुपालन में लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में सन्निहित अन्य मामलों के बारे में और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी और हम दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारे विचार में
- (i) कंपनी ने अपने वित्तीय वक्तव्यों में अपनी वित्तीय स्थिति पर 31 मार्च, 2017 के अनुसार लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा नहीं किया है।
- (ii) उपरोक्त विशेषित अभिमत के लिए आधार पैराग्राफ में वर्णित प्रभाव हम असमर्थ है कि कंपनी ने कोई दीर्घ अवधि अनुबंध किए जिसके लिए उसे हानि का पूर्वज्ञान हो सके।
- (iii) राशि निवशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित की गई है।
- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| एसएल आर/पीपी बांड (मूल राशि) | रु. 0.53 करोड़ |
| उस पर ब्याज | रु. 0.14 करोड़ |
| कुल | रु. 0.67 करोड़ |
- (iv) यद्यपि कंपनी ने अपने आईएनडी एस के नोट संख्या 41 में अपेक्षित खुलासा उपलब्ध कराया है, जैसा कि होल्डिंग्स के साथ-साथ निर्दिष्ट बैंक नोट्स (एसबीएन) में उल्लिखित वित्तीय विवरणों के अनुसार अधिसूचना (ई) दिनांक 08 नवम्बर 2016 में परिभाषित 8 वीं वित्त मंत्रालय के 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक की अवधि के दौरान, हम इसे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या इस तरह के खुलासे खाते की पुस्तकों और कंपनी द्वारा बनाए रखे गए अभिलेखों के अनुसार हैं।

स्थान : जबलपुर

दिनांक : 29 जनवरी 2018

वास्ते निपेन्द्र एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
कंपनी पंजीयन क्र. 000370सी

सही /—
(सीए प्रदीप कुमार गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता क्र. 070855

वैधानिक अंकेक्षक प्रतिवेदन के लिए अनुलग्नक - I

(म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि. कंपनी के सदस्यों को 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर सम दिनांक के लिए हमारे प्रतिवेदन)

- (i) (a) कंपनी ने अचल संपत्तियों (संपत्ति, सयंत्र और उपकरण) की स्थिति और मात्रात्मक ब्यौरा दर्शाते हुए दस्तावेज पूर्ण विवरण सहित बनाए है, जिसमें , सिवाय इसके कि अचल संपत्ति (संपत्ति, सयंत्र और उपकरण) की स्थिति के संबंध में उस विवरण को बनाए रखा नहीं है।
- (b) कंपनी ने पूर्ण विवरण दिखाते हुए अचल संपत्तियों (संपत्ति, सयंत्र और उपकरण) के मात्रात्मक विवरण सहित उचित रिकार्ड बनाए रखा है, ऐसे सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गई है।
- (c) जैसा कि बताया गया है 31 मार्च-2017 तक अचल संपत्तियों के शीर्षक के काम कंपनी के नाम पर आयोजित नहीं किए गए थे चूंकि कंपनी म.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड (एम.पी.एस.ई.बी.) के विघटन से बनी है, एम.पी.पी.के.व्ही.व्ही.सी.एल. के नाम पर शीर्षक स्थानांतरित करने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। जैसा कि कंपनी द्वारा सूचित किया कि 1157 अचल संपत्ति के प्रकरण में से 273 प्रकरण के शीर्षक कंपनी के नाम पर हस्तांतरित किए गए।
- (ii) जैसा कि कंपनी द्वारा हमें इन्वेट्री के भौतिक सत्यापन से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए हम इन्वेट्री के भौतिक सत्यापन और इसके संबंधित मामलों की प्रणाली पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।
- (III) हमारी राय में, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के तहत कोई ऋण नहीं दिया है चाहे वह कंपनी के लिए सुरक्षित या असुरक्षित कंपनियों, फर्मों, समिति देयता भागीदारी या अन्य पार्टियां जो रजिस्टर में सुरक्षित रखा है।
- (IV) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के अनुसार कोई भी ऋण नहीं दिया है या कोई निवेश नहीं किया है या कोई गारंटी नहीं दी है या कोई प्रतिभूति प्रदान नहीं की है।
- (v) हमें विचार हमें दी गई जानाकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 और 74 के अर्थों में और उसके नियमों के अधीन जनता से कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं की है। अतः रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा दिये गये निर्देशों और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 तक प्रावधान और इसके अंतर्गत बने नियम अंकेक्षण के अधीन वर्ष के लिए कंपनी पर लागू नहीं होते। हमें दी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त धाराओं में कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी न्यायालय या किसी ट्रिब्यूनल द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
- (vi) हमें दी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी (लागत लेखांकन अभिलेख) की आवश्यकतानुसार लागत लेखे बनाए और रखे गए है। जैसे कि सूचित किया गया है कि लागत रिकार्ड है इसलिए हम लागत अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया है, हम सामान्य समीक्षा का नहीं कर सके ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभिलेख के अनुसार निर्धारित किए गए मापन में बने और बनाए गए है।
- (vii) (a) हमें कंपनी द्वारा दिए गए अभिलेखों की जांच, स्पष्टीकरण और जानाकारी के अनुसार कंपनी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, धन कर, विक्रय कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, उपकर और अन्य अविवादित वैधानिक देयताएं, समुचित प्राधिकृति को जमा करने में नियमित है।
- (b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार विवाद के कारण जमा नहीं किया गया आयकर, वेल्थ (धन) कर, विक्रय कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, वेट कर और उपकर निम्नानुसार है :-

क्रं.	अधिनियम का नाम	देय का स्वभाव	राशि समाहित रु. करोड में	अवधि जिससे राशि संबंधित है	मंच जहां विवाद लंबित है
1	आयकर अधिनियम, 1961	कर्मचारियों को मुफ्त बिजली पर सीमांत लाभ	0.13	कर निर्धारण वर्ष 2006-07	म.प्र. उच्च न्यायालय
2	आयकर अधिनियम, 1961	कर्मचारियों को मुफ्त बिजली पर सीमांत लाभ	0.70	कर निर्धारण वर्ष 2007-08	आई.टी.ए.टी. जबलपुर
3	आयकर अधिनियम, 1961	कर्मचारियों को मुफ्त बिजली पर सीमांत लाभ	0.56	कर निर्धारण वर्ष 2009-10	आई.टी.ए.टी. जबलपुर
4	आयकर अधिनियम, 1961	कर्मचारियों को मुफ्त बिजली पर सीमांत लाभ	0.57	कर निर्धारण वर्ष 2009-10	आई.टी.ए.टी. जबलपुर
5	आयकर अधिनियम, 1961	टी.डी.एस. विवरण विलंब से दाखिल	0.11	कर निर्धारण वर्ष 2010-11	सी.आई.टी. अपील जबलपुर

6	वाणिज्य कर विभाग, म.प्र.	वेट अधिनियम	0.29	कर निर्धारण वर्ष 2008-09	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपीलेट बोर्ड
7	वाणिज्य कर विभाग, म.प्र.	वेट अधिनियम	0.95	कर निर्धारण वर्ष 2009-10	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपीलेट बोर्ड
8	वाणिज्य कर विभाग, म.प्र.	प्रवेश कर	0.07	कर निर्धारण वर्ष 2006-07	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपीलेट बोर्ड
9	वाणिज्य कर विभाग, म.प्र.	प्रवेश कर	0.15	कर निर्धारण वर्ष 2007-08	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपीलेट बोर्ड
10	वाणिज्य कर विभाग, म.प्र.	प्रवेश कर	0.05	कर निर्धारण वर्ष 2007-08	अतिरिक्त कमिश्नर. वाणिज्यिक कर जबलपुर
11	वाणिज्य कर विभाग, म.प्र.	प्रवेश कर	0.03	कर निर्धारण वर्ष 2008-09	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपीलेट बोर्ड
12	वाणिज्य कर विभाग, म.प्र.	प्रवेश कर	0.97	कर निर्धारण वर्ष 2008-09	अतिरिक्त कमिश्नर. वाणिज्यिक कर जबलपुर
13	वाणिज्य कर विभाग, म.प्र.	प्रवेश कर	0.13	कर निर्धारण वर्ष 2009-10	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपीलेट बोर्ड
14	वाणिज्य कर विभाग, म.प्र.	प्रवेश कर	1.79	कर निर्धारण वर्ष 2009-10	अतिरिक्त कमिश्नर. वाणिज्यिक कर जबलपुर
15	वाणिज्य कर विभाग, म.प्र.	प्रवेश कर	7.08	कर निर्धारण वर्ष 2010-11	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपीलेट बोर्ड
16	वाणिज्य कर विभाग, म.प्र.	प्रवेश कर	6.78	कर निर्धारण वर्ष 2011-12	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपीलेट बोर्ड
17	वाणिज्य कर विभाग, म.प्र.	प्रवेश कर	10.98	कर निर्धारण वर्ष 2012-13	अतिरिक्त कमिश्नर. वाणिज्यिक कर जबलपुर
18	वाणिज्य कर विभाग, म.प्र.	प्रवेश कर	10.00	कर निर्धारण वर्ष 2013-14	अतिरिक्त कमिश्नर. वाणिज्यिक कर जबलपुर
19	वाणिज्य कर विभाग, म.प्र.	प्रवेश कर	6.06	कर निर्धारण वर्ष 2014-15	अतिरिक्त कमिश्नर. वाणिज्यिक कर जबलपुर
	कुल		47.40		

(viii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय संस्थानों बैंकों या ऋणपत्र धारकों (ऋणदाता बार विवरण निम्नानुसार) को देय के पुनर्भुगतान में कोई त्रुटि नहीं की है :-

क्रं.	वित्तीय संस्थाओं / बैंकों / ऋणपत्र धारकों के नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (रु. करोड में)	
			मूलधन	ब्याज
1	सार्वजनिक बॉण्ड्स/एस.एल.आर. बॉण्ड्स	मूलधन और ब्याज	1.24	0.89
2	डीबेचर/पीपी बॉण्ड्स	मूलधन और ब्याज	1.66	34.31
3	एडीबी से ऋण	मूलधन और ब्याज	123.61	103.91
4	आर.ई.सी से ऋण-आरजी.जी.व्ही.वाय. योजना के तहत	मूलधन और ब्याज	21.67	24.32
5	म.प्र. शासन अवधि ऋण		85.09	77.01
6	पीफसी (आर.ए.डी.आर.पी.) से ऋण	मूलधन और ब्याज	5.98	17.02
7	कार्यशील पूंजी ऋण म.प्र. शासन से	मूलधन और ब्याज	142.97	127.13
8	अस्थगित भुगान क्रेडिट आईडीबीआई	मूलधन	10.83	निरंक
9	सीडबी	मूलधन	8.42	निरंक
10	म.प्र. कोओपरेटिव बैंक	ब्याज	निरंक	0.07
11	एन.व्ही.डी.ए.	ब्याज	निरंक	13.86
	योग		401.47	398.52

- (ix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा परीक्षा के तहत की अवधि के दौरान अस्तित्व में रहने वाले ऋण के उद्देश्यों के लिए आवेदन किया गया था, जिसके लिए इन्हें उठाया गया था। कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या अतिरिक्त सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं उठाया है।
- (x) हमारे परीक्षण के दौरान, कंपनी के खाते एवं अभिलेख, भारत में आम तौर पर स्वीकार लेखा परीक्षा प्रथाओं के अनुसार किए गए हैं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी पर या द्वारा कोई धोखाधड़ी ध्यान में नहीं आई और न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले के बारे में सूचित किया गया है।
- (xi) दिनांक 05 जून-2015 की सरकारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होंगे, इसलिए खंड (XI) लागू नहीं है।
- (xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है इसलिए आदेश के खंड (XII) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम का धारा 177 और 188 के अनुपालन में है, जहां संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेन-देन के लिए लागू है और संबंधित पार्टियों के विवरण का खुलासा किया गया है जैसा कि वित्तीय वक्तव्य आदि, जैसा कि लागू लेखा मानकों द्वारा आवश्यक है।
- (xiv) इस वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों या पूरी तरह से या अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचर के अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किए हैं और इसलिए कंपनी के आदेश के खंड (xiv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निर्देशकों या उसके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है और इसलिए अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं हैं।
- (xvi) कंपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 45- आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

स्थान : जबलपुर

दिनांक : 29 जनवरी 2018

वास्ते नृपेन्द्र एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
कंपनी पंजीयन क्र. 000370सी

सही /—
(सीए प्रदीप कुमार गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता क्र. 070855

निष्पक्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन के लिए अनुलग्न-2

(म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि. कंपनी के सदस्यों को 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर सम दिनांक के लिए हमारे प्रतिवेदन के अनुच्छेद 30 में "अन्य वैधानिक और विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" शीर्ष के अन्तर्गत)

दिशा-निर्देश

क्र.	नियंत्रक एवं महालेखा के दिशा-निर्देश	अंकेक्षका उत्तर	अनुबंध-क कार्यवाही और खातों और वित्तीय विवरण पर प्रभाव
1	क्या कंपनी को फ्रीहोल्ड और पट्टे के लिए क्रमशः निर्बाध अधिकार/पट्टा प्रसंविदा है? यदि नहीं, तो कृपया फ्री होल्ड और लीजहोल्ड की जमीन का क्षेत्रफल बताएं जिसके लिए शीर्षक/ पट्टा प्रसंविदा उपलब्ध नहीं है?	जैसा कि हमें बताया गया है, कि कंपनी म.प्र. की पूर्वी भाग में 1,35,162 वर्ग किलोमीटर तक फैले 21 जिलों में काम कर रही है। म.प्र. शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कंपनी पूर्ववर्ती एमपीएसईबी की पुनर्गठित कंपनियों में से एक है।	खातों और कंपनी की वित्तीय बयान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
2	क्या उधार/ऋण/ब्याज की छुट/अपलेखन के कोई मामले हैं, यदि हाँ तो कृपया इसके कारण और अंतर्निहित राशि प्रतिवेदन करें।	कंपनी की पुष्टि के अनुसार लेखा परीक्षा के तहत वर्ष के दौरान ऋण/ ऋण बट्टे खाते डालना/ऋण/ब्याज आदि के कोई मामले नहीं हैं।	खातों और कंपनी की वित्तीय बयान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
3	क्या तीसरे पक्ष के पास माल सूची और सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार में प्राप्त संपत्ति के लिए उचित अभिलेख रखे गये हैं।	(अ) तीसरे पक्ष के पास माल सूची के उचित अभिलेख नहीं बनाये गये। (ब) सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार में प्राप्त संपत्ति के संबंध में, कंपनी द्वारा उचित जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण हम इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। (स) सरकार या अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त अनुदान के लिए उचित अभिलेख बनाए गए हैं।	(अ) माल सूची के उचित अभिलेख न रखने एवं प्रासंगिक जानकारी की अनुपलब्धता के कारण, खातों और वित्तीय विवरण पर इसका वित्तीय प्रभाव पता नहीं है।
4	क्या कंपनी ने चयनित क्षेत्रों में बिजली के वितरण के (फ्रेंचाइजी) लिए मताधिकार के साथ समझौते किए हैं और राजस्व साझेदारी समझौते पर्याप्त रूप से कंपनी के वित्तीय हित की रक्षा करते हैं।	हमें बताया गया है, कि कंपनी ने वर्ष 2016-17 के दौरान किसी भी फ्रेंचाइजी के साथ समझौते नहीं किए हैं।	खातों और कंपनी की वित्तीय बयान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
5	कंपनी में बिलिंग और राजस्व वसूली की प्रणाली की दक्षता पर रिपोर्ट	हमारी जानकारी के अनुसार कंपनी ने अपने राजस्व की वसूली की एक प्रणाली स्थापित की है। डिजीजन ऑफिस में तैनात डिजीजनल इंजीनियरों की समीक्षा कर रहे हैं। कम्प्यूटरीकृत बिलिंग प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को मासिक बिल जारी किया जा रहा है खाते की पुस्तकों में समेकित मांग का हिसाब किया जा रहा है।	खातों और कंपनी की वित्तीय बयान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
6	क्या सभी उपभोक्ताओं के यहाँ छेड़छाड़ प्रतिरोधक मीटर स्थापित किए गए? यदि नहीं तो बिलिंग की सटीकता सुनिश्चित हेतु कैसे जाँच की जाती है।	कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, पॉली कार्बोनेट छेड़छाड़ रहित बॉक्स में उपभोक्ताओं के परिसर में इलेक्ट्रॉनिक मीटर स्थापित किए जा रहे हैं और मीटर में छेड़छाड़ की घटनाओं के सबूत की रिकॉर्डिंग सुविधा है। गैर-मीटर वाले उपभोक्ताओं के मामले में, एमपीईआरसी द्वारा तय पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार बिलिंग किया जाता है।	खातों और कंपनी की वित्तीय बयान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
7	क्या कंपनी द्वारा राज्य विद्युत नियामक आयोग (एस.ई.आर.सी.) द्वारा मंजूर ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन (FPPAC) राशि वसूली जाती है।	कंपनी द्वारा भी पुष्टि की गई – एमपीईआरसी द्वारा जारी विनियमन के अनुसार उपभोक्ताओं को एफसीए शुल्क का बिल दिया जाता है। ऐसे विनियमन के अनुसार त्रैमासिक आधार पर ऐसे एफसीए शुल्क तय किए जा रहे हैं।	खातों और कंपनी की वित्तीय बयान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
8	क्या जनरेशन वितरण और ट्रांसमिशन कंपनियों के बीच प्राप्ति और देय राशि का मूल-मिलाप पूरा हो गया है।	कंपनी द्वारा भी पुष्टि की गई – पीढ़ी और संचरण कंपनियों के साथ प्राप्ति और भुगतान योग्यता समाधान पूरा हो चुका है और बकाया प्रविष्टियों के कारण परीक्षा में है। अन्य दो वितरणों के साथ सुलह पूरा नहीं हुआ है।	खातों और कंपनी की वित्तीय बयान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

क्र.	नियंत्रक एवं महालेखा के दिशा-निर्देश	अंकेषका उत्तर	अनुबंध-क कार्यवाही और खातों और वित्तीय विवरण पर प्रभाव
9	क्या कंपनी फ्रेंचाइजी को बिजली आपूर्ति कर रही है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी खरीद की अपनी औसत कीमत के नीचे फ्रेंचाइजी को बिजली नहीं दे रही है?	हमें बताया गया है, कि कंपनी ने वर्ष 2016-2017 के दौरान किसी भी फ्रेंचाइजी को कोई शक्ति नहीं दी है।	खातों और कंपनी की वित्तीय बयान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
10	कितनी रोलबैक टैरिफ सब्सिडी की अनुमति दी गई और वर्ष के दौरान खातों में ली गई। क्या राज्य सरकार द्वारा इसकी नियमित प्रतिपूर्ति की जा रही है या नहीं, कमी, यदि कोई हो पर टिप्पणी की जा सकती है।	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सूचित किया गया कि म.प्र. शासन से सब्सिडी और दावे की प्रतिपूर्ति के रूप में रु. 2174.01 करोड़ राशि दर्ज किया गया है, जबकि म.प्र. शासन से रु. 2334.5 करोड़ ही प्राप्त किया गया है। इस प्रकार 31 मार्च 2017 की स्थिति में 13.28 करोड़ कम प्राप्त किया गया था।	खातों और कंपनी की वित्तीय बयान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

स्थान : जबलपुर

दिनांक : 29 जनवरी 2018

वास्ते नृपेन्द्र एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
कंपनी पंजीयन क्र. 000370सी

सही / -
(सीए प्रदीप कुमार गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता क्र. 070855

अनुलग्नक 'III' स्वतंत्र लेखाकारों की रिपोर्ट के लिए

(यहां तक कि दिनांक की स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट में उल्लिखित मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए और के लिए वित्तीय विवरणों पर)

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 के उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2017 तक मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्रीय विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-जोखा किया है और कंपनी के आईएनडी एस वित्तीय वक्तव्यों के हमारे लेखापरीक्षा के साथ समाप्त हुए वर्ष के लिए और उस तिथि के अनुसार है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। यह द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (शु.ए.ए.) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में कहा गया आंतरिक नियंत्रण का आवश्यक घटक है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के नीतियों के अनुपालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित, अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे लेखा के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और अधिनियम के तहत जरूरी विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयार करने के लिए है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने आडिट के धारा 143 (10) और दिशानिर्देश नोट के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानक के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा-परीक्षा के लिए लागू सीमा तक, लेखापरीक्षा किया। उन मानकों और निर्देशन नोटों की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और अनुपालन के लिए आचरण करते हैं और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में कारगर ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा-परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना, और आकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, लेखापरीक्षकों के फ़ैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिम के आकलन शामिल हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा के सबूत वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारे लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्य के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी करने के लिए एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है

- (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और उचित रूप से प्रतिबिंबित करता है
- (2) उचित आश्वासन देते हैं कि लेनदेन आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आवश्यक होने के लिए दर्ज किए गए हैं, और कंपनी की प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार कंपनी की प्राप्तियां और व्यय ही बनाये जा रहे हैं तथा
- (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना कि वित्तीय वक्तव्यों पर एक भौतिक प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, संगठित या अनुचित प्रबंधन नियंत्रणों की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण गलत वक्तव्य हो सकता है और पता नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थिति में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति बिगड़ती है।

राय

हमारी राय में और हमारी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2017 तक वित्तीय रिपोर्टिंग के मामले में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली कमजोर होती है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता कमजोर पाया जाता है, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर, मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया।

स्थान : जबलपुर

दिनांक : 29 जनवरी 2018

वास्ते नृपेन्द्र एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
कंपनी पंजीयन क्र. 000370सी

सही /—
(सीए प्रदीप कुमार गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता क्र. 070855

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
जबलपुर



वित्तीय विवरण

15वाँ वार्षिक प्रतिवदेन
वर्ष 2016-17



मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

ब्लॉक नं. 7, शक्ति भवन, जबलपुर

तुलन-पत्र 31 मार्च 2017



राशि रु. करोड़ में

	विवरण	अनुसूची क्र.	31.03.2017 को शेष राशि	31.03.2016 को शेष राशि	01.04.2015 को शेष राशि
(1)	परिसंपत्तियां				
	गैर-मौजूद परिसंपत्तियां				
	(a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	6	4,300.59	3,878.14	3,968.31
	(b) पूंजीगत कार्य प्रगति	7	1,457.49	1,249.10	710.82
	(c) अमूर्त परिसम्पत्ति	8	60.78	12.64	-
	(d) विस्तार के तहत अमूर्त संपत्ति	9	8.72	15.99	24.99
	(e) वित्तीय संपत्तियां				
	(i) निवेश				
	(a) अन्य निवेश	10	-	-	-
	(ii) ऋण	11	0.12	0.18	0.23
	(iv) अन्य वित्तीय संपत्तियां	12	8.70	10.13	10.46
	(f) अन्य गैर-वर्तमान संपत्तियां	13	709.23	685.83	596.34
	कुल गैर-मौजूदा संपत्तियां		6,545.63	5,852.01	5,311.15
(2)	चालू परिसंपत्तियां				
	(a) सूची	14	39.96	150.98	97.09
	(b) वित्तीय संपत्तियां				
	(i) व्यापार प्राप्य	15	2,715.05	2,358.46	2,256.11
	(ii) नकद और नकद समकक्ष	16	392.24	459.73	422.71
	(iii) ऋण	11	0.01	0.02	0.03
	(iv) अन्य वित्तीय संपत्तियां	12	359.88	155.78	128.91
	(c) अन्य मौजूदा संपत्तियां	13	447.92	528.86	706.81
	कुल मौजूदा संपत्ति		3,955.06	3,653.83	3,611.66
	कुल परिसंपत्तियां		10,500.69	9,505.84	8,922.81
(1)	इक्विटी और देनदारियां				
	अंश				
	(a) अंश पूंजी	17	1,883.54	1,832.80	1,790.20
	(b) अन्य अंश	18	(11,019.28)	(11,644.89)	(9,795.35)
	कुल अंश		(9,135.74)	(9,812.09)	(8,005.15)
(2)	गैर मौजूदा देनदारियां				
	(a) वित्तीय देनदारियां				
	(i) ऋणादान	19	11,822.77	11,972.33	11,322.88
	(ii) अन्य वित्तीय देनदारियां	25	646.12	442.52	434.06
	(b) प्रावधान	21	1,303.87	1,167.34	630.52
	(c) आस्थगित राजस्व	22	1,567.26	1,365.41	1,208.45
	कुल गैर-वर्तमान देनदारियां		15,340.02	14,947.60	13,595.91
(3)	चालू दायित्व				
	(a) वित्तीय देनदारियां				
	(i) ऋणादान	24	-	350.00	-
	(ii) व्यापार देनदारियां	20	2,688.59	2,181.81	2,103.83
	(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	25	1,293.06	1,356.46	784.17
	(b) आस्थगित राजस्व	22	114.87	100.06	85.08
	(c) लान्य देनदारियां	23	199.89	382.00	358.97
	कुल मौजूदा देनदारियां		4,296.41	4,370.33	3,332.05
	कुल देनदारियां		19,636.43	19,317.93	16,927.96
	कुल इक्विटी और देनदारियां		10,500.69	9,505.84	8,922.81

हमारे संलग्न प्रथक प्रतिवेदन के अनुसार
वास्ते मेसर्स निवेन्द्र एंड कंपनी

वास्ते मध्यप्रदेश एवं पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
वास्ते और संचालक मंडल की ओर से

सही/-

सी.ए. प्रदीप कुमार गुप्ता
पार्टनर

M. No:- 070855

FRN No:- 000379C

स्थान : जबलपुर

दिनांक : 29-01-2018

सही/-

एम.सी. गुप्ता
प्रबंध संचालक

सही/-
ललित मोहन शर्मा
कंपनी सचिव

सही/-

अपराजिता ओझा
प्रबंध संचालक

सही/-
चेतन जायसवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी



मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
ब्लॉक नं. 7, शक्ति भवन, जबलपुर
31 मार्च 2017 के अवधि के लिए लाभ-हानि खाता



राशि रु. करोड़ में

	विवरण	अनुसूची क्र.	वित्तीय वर्ष 31.03.2017 को शेष	वित्तीय वर्ष 31.03.2016 को शेष
I	परिचालन से आय	26	7,558.68	7,180.06
II	अन्य आय	27	1,822.91	494.03
III	कुल राजस्व (I + II)		9,381.59	7,674.09
IV	व्यय			
	(a) बिजली क्रय और वीलिंग प्रभार	28	8,039.97	7,604.12
	(b) कर्मचारी लाभ व्यय	29	813.93	841.71
	(c) वित्त लागत	30	475.99	358.36
	(d) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	31	298.35	266.54
	(e) अन्य खर्च	32	541.11	451.72
	कुल खर्च (IV)		10,169.35	9,522.45
V	कर पूर्व हानि (III - IV)		(787.76)	(1,848.36)
VI	कर खर्च			
	(1) वर्तमान कर			
	(ii) पिछले वर्षों से संबंधित वर्तमान कर			
	(2) आस्थगित कर			
	कुल कर व्यय			--
VII	कर पश्चात हानि		(787.76)	(1,848.36)
VIII	अन्य व्यापक आय			
	(i) आइटम जो लाभ या हानि के लिए पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जाएगा -परिभाषित लाभ योजनाओं पर रिमेजरमेंट लाभ/(नुकसान)			
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो कि लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	अवधि के लिए कुल व्यापक आय		-	-
IX	इक्विटी शेयर प्रति शेयर:			
	(1) बेसिक	33	(42.28)	(102.92)
	(2) मिश्रित	33	(41.84)	(101.06)

हमारे संलग्न प्रथक प्रतिवेदन के अनुसार
वास्ते मेसर्स निवेन्द्र एंड कंपनी

सही/-
सी.ए. प्रदीप कुमार गुप्ता
पार्टनर

M. No:- 070855
FRN No:- 000379C
स्थान : जबलपुर
दिनांक : 29-01-2018

सही/-
एम.सी. गुप्ता
प्रबंध संचालक

सही/-
ललित मोहन शर्मा
कंपनी सचिव

वास्ते मध्यप्रदेश एवं पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
वास्ते और संचालक मंडल की ओर से

सही/-
अपराजिता ओझा
प्रबंध संचालक

सही/-
चेतन जायसवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी



मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
ब्लॉक नं. 7, शक्ति भवन, जबलपुर
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नगद प्रवाह विवरण



राशि रु. करोड़ में

विवरण	अनुसूची क्र.	वित्तीय वर्ष 31.03.2017 को शेष	वित्तीय वर्ष 31.03.2016 को शेष
A. संचालनीय गतिविधियों से प्राप्त रोकड़ अवधि के लिए लाभ इसके लिए समायोजन: लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त वित्त लागत लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त ब्याज आय देनदारियाँ जो अब वापस लिये जाने की जरूरत नहीं है लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त उपभोक्ता अंशदान में आय अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता कर्मचारी लाभ व्यय के लिए प्रावधान गैर-मौजूदा परिसंपत्तियों का मूल्यहास और परिशोधन		(787.76)	(1,848.36)
कार्यशील पूंजी में गति (वृद्धि) कमी सूची में (वृद्धि) कमी व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी ऋण और अन्य वित्तीय संपत्ति में (वृद्धि) कमी अन्य परिसंपत्तियों में व्यापार देय राशि में वृद्धि (कमी) अन्य वित्तीय देयताओं में वृद्धि/(कमी) अन्य देयदारियों में वृद्धि (कमी)		475.99 (22.80) (148.73) (100.06) 81.36 136.53 298.35	358.36 (11.83) (163.32) (85.08) 37.95 536.82 266.54
शुद्ध नकद (में प्रयुक्त)/ओपरेटिंग गतिविधियों से उत्पन्न		(67.12)	(908.92)
B. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह बैंकों और अन्य लोगों से प्राप्त ब्याज संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के लिए भुगतान संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के निपटान से अर्जित आय अमूर्त संपत्ति के लिए भुगतान शुद्ध नकद (में प्रयुक्त)/निवेश गतिविधियों से उत्पन्न		111.02 (437.95) (202.60) 57.54 655.51 140.20 (182.11)	(53.89) (140.30) (26.48) 88.46 241.30 580.75 23.03
शुद्ध नकद (में प्रयुक्त)/निवेश गतिविधियों से उत्पन्न		74.49	(196.05)
C. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह कंपनी के इक्विटी उपकरण जारी करने से प्राप्त आय शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन के लिए समायोजन उधार से प्राप्त आय वित्त लागत का भुगतान अनुदान और उपभोक्ता योगदान से प्राप्त राशि शुद्ध नकद (में प्रयुक्त) वित्तपोषण गतिविधियों द्वारा उत्पन्न नकदी या नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि या (कमी) वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष साल के अंत में नकद और नकद समकक्ष		22.80 (921.37) - (48.70) (947.27) 50.74 1,413.37 (499.56) (475.99) 316.73 805.29 (67.49) 459.73 392.24	11.83 (712.64) 0.01 (5.66) (706.46) 42.60 (1.18) 999.45 (358.36) 257.02 939.53 37.02 422.71 459.73

हमारे संलग्न प्रथक प्रतिवेदन के अनुसार
वास्ते मेसर्स निवेन्द्र एंड कंपनी

सही/-

सी.ए. प्रदीप कुमार गुप्ता
पार्टनर

M. No:- 070855

FRN No:- 000379C

स्थान : जबलपुर

दिनांक : 29-01-2018

सही/-

एम.सी. गुप्ता
प्रबंध संचालक

सही/-

ललित मोहन शर्मा
कंपनी सचिव

सही/-

अपराजिता ओझा
प्रबंध संचालक

सही/-

चेतन जायसवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

वास्ते मध्यप्रदेश एवं पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
वास्ते और संचालक मंडल की ओर से



मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

ब्लॉक नं. 7, शक्ति भवन, जबलपुर

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण



राशि रु. करोड़ में

A. इक्विटी शेयर पूंजी

01.04.2015 को शेष राशि	1,790.20
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	
–जारी इक्विटी शेयर पूंजी	42.60
31.03.2016 को शेष राशि	1,832.80
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	
– जारी इक्विटी शेयर पूंजी	50.74
31.03.2017 को शेष राशि	1,883.54

B. अन्य इक्विटी

राशि रु. करोड़ में

अन्य इक्विटी	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	संशय और अधिशेष प्रतिधारित कमाई		कुल
		बीमा रिजर्व	लाभ और हानि	
01.04.2015 को शेष राशि	26.70	110.04	(9,932.09)	(9,795.35)
इस साल के लिए मुनाफा	-	-	(1,848.36)	(1,848.36)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	-	-
वर्ष के दौरान आवंटित आवेदन राशि	(42.60)	-	-	(42.60)
शेयर अर्ज धन वर्ष के दौरान लंबित आवंटन प्राप्त हुआ	41.42	-	-	41.42
31.03.2016 को शेष राशि	25.52	110.04	(11,780.45)	(11,644.89)
इस साल का लाभ	-	-	(787.76)	(787.76)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	-	-
वर्ष के दौरान आवंटित आवेदन राशि	(50.74)	-	-	(50.74)
शेयर अर्ज धन वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ लंबित आवंटन	1,464.11	-	-	1,464.11
31.03.2017 को शेष राशि	1,438.89	110.04	(12,568.21)	(11,019.28)

हमारे संलग्न प्रथक प्रतिवेदन के अनुसार
वास्ते मेसर्स निवेन्द्र एंड कंपनी

वास्ते मध्यप्रदेश एवं पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
वास्ते और संचालक मंडल की ओर से

सही/-
सी.ए. प्रदीप कुमार गुप्ता
पार्टनर

सही/-
एम.सी. गुप्ता
प्रबंध संचालक

सही/-
अपराजिता ओझा
प्रबंध संचालक

M. No:- 070855
FRN No:- 000379C
स्थान : जबलपुर
दिनांक : 29-01-2018

सही/-
ललित मोहन शर्मा
कंपनी सचिव

सही/-
चेतन जायसवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी



मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

ब्लॉक नं. 7, शक्ति भवन, जबलपुर

वित्तीय विवरण टीप



1. सामान्य कॉर्पोरेट विवरण

मध्य प्रदेश पूर्ण क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ("एमपीपीकेवीसीएल" / "कंपनी") कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है। कंपनी एमपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ("एमपीएसईबी") के तहत बनाई गई पूर्ण स्वामित्व वाली राज्य उपक्रम है। जो कि विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के तहत गठित किया गया था, जैसा कि प्रासंगिक समय पर लागू था। एमपीएसईबी मध्य प्रदेश राज्य में एक एकीकृत बिजली बोर्ड था, जो हाइड्रो ऊर्जा/थर्मल ऊर्जा/ऊर्जा बिजली/ सौर ऊर्जा द्वारा बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण का काम करता था। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई, 2002 के आदेश के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की ओर से वितरण और खुदरा आपूर्ति की गतिविधियों के लिए मध्य प्रदेश पूर्ण क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को शामिल किया है। हालांकि 1 जून 2005 से वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया है। कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या U40109MP2002SGC015120 है।

कंपनी के संचालन को विद्युत अधिनियम 2003 और उपयुक्त प्राधिकारियों के तहत तैयार किए गए विभिन्न नियम और/या नीतियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तदनुसार, वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपरोक्त अधिनियम, विनियम आदि के प्रासंगिक प्रावधानों को विधिवत माना जाता है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां:

2.01 अनुपालन का वक्तव्य

वित्तीय विवरणों को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित आइडीएन एएस (IndAS) के अनुसार तैयार किया गया है। 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष तक, कंपनी ने पिछले जीएएपी की आवश्यकताओं के अनुसार अपने वित्तीय वक्तव्यों को तैयार किया, जो कंपनियों (लेखा मानकों) नियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित मानक शामिल हैं। यह वित्तीय विवरणों के रूप में कंपनी का पहला आइडीएन एएस वित्तीय विवरण है। आइडीएन एएस (IndAS) परिवर्तन की तारीख 1 अप्रैल 2015 है। कंपनी द्वारा प्राप्त पहली बार अपना छूट विवरण के लिए नोट 3 देखें।

2.02 तैयारी और प्रस्तुति का आधार

कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (भारतीय लेखा मानकों) नियमों की धारा 133 के तहत निर्धारित कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय लेखा मानक (इंडस्ट्रीज) के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ कंपनी के वित्तीय विवरण सभी सामग्री पहलुओं में तैयार किए गए हैं, 2016 और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधान। इसके अलावा, जैसा कि कंपनी को विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा शासित किया गया है, कंपनी ने इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया है जो नियमों के साथ पढ़ा जाता है ताकि वे कंपनी अधिनियम, 2013 से असंगत हो।

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के ऑपरेटिंग चक्र के अनुसार वर्तमान या गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची-III में निर्धारित अन्य मानदंडों को शामिल किया गया है। व्यापार कि प्राकृति के आधार पर कंपनी ले अपने ऑपरेटिंग चक्र को 12 महीने संपत्ति और देनदारियों के मौजूदा या गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए कंपनी ने इंडस्ट्रीज एएस – 19 कर्मचारी लाभ को छोड़कर सभी जारी किए गए इंडस्ट्रीज एएस को अपनाया है और इस तरह की स्वीकृति इंडस्ट्रीज 101 के अनुसार किया गया है – भारतीय लेखा मानक का पहला समय दत्तक। कंपनी ने भारतीय जीएएपी से पारित किया है जो कि 1 अप्रैल, 2015 तक पिछले जीएएपी है, जैसा कि इंडस्ट्रीज 101 में परिभाषित किया गया है।

रिपोर्टिंग वित्तीय स्थिति और भारतीय लेखा मानक के लिए संक्रमण पर कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर प्रभाव नोट संख्या 40 में प्रदान किया गया है, जो भारतीय इक्विटी के सम्मिलन और भारतीय जीएएपी के तहत तुलनात्मक वर्षों के लिए समग्र व्यापक आय को भारतीय लेखा मानक के तहत संबंधित वर्षों के लिए रिपोर्ट करने वालों को शामिल करता है।

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है, केवल वित्तीय उपकरणों को छोड़कर, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, जैसा कि नीचे लेखांकन नीतियों में बताया गया है। ऐतिहासिक लागत आम तौर पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान में दिए गए विचार के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाती है या मापन तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाता है, भले ही उस कीमत की प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है या किसी अन्य वैल्यूएशन तकनीक का अनुमान लगाया जा सकता है। किसी परिसंपत्ति या दायित्व के उचित मूल्य के आकलन में, कंपनी आकलन या देनदारी की विशेषताओं को ध्यान में रखती है, अगर बाजार की प्रतिभागियों ने उन विशेषताओं को माप की तारीख में परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण में लिया होगा। इन वित्तीय वक्तव्यों में माप और/या प्रकटीकरण के लिए उचित मूल्य इस

तरह के आधार पर निर्धारित किया जाता है, और माप जो उचित मूल्य के लिए कुछ समानताएं हैं लेकिन उचित मूल्य नहीं हैं, जैसे इंडस्ट्रीज में शुद्ध वास्तविक मूल्य 2 – इनवेंटरी या उपयोग में मान इंडस्ट्रीज 36 रूप में – परिसंपत्तियों की हानि

2.03 अनुमान का उपयोग

इन वित्तीय ऋणों की तैयारी आईएनडी-एस की मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसके लिए कंपनी के प्रबंधन को अनुमान और अनुमान बनाने की आवश्यकता होती है जो परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट के शेष को प्रभावित करती है, तिथि के रूप में आकस्मिक देनदारियों से संबंधित प्रकटीकरण वित्तीय ऋणों और रिपोर्ट की गई मात्रा में आय और व्यय को प्रस्तुत की गई अवधि के लिए अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखा अनुमानों के लिए संशोधन उस अवधि में पहचाने गए हैं जिनमें अनुमान संशोधित होते हैं, और भविष्य की अवधि प्रभावित होती है।

वित्तीय ऋणों की तारीख में अनिश्चितता के अनुमान के प्रमुख स्रोत, जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर संपत्तियों और देनदारियों की मात्रा में सामग्री समायोजन का कारण हो सकता है, के संबंध में, बिना शर्त सुरक्षाओं के उचित मूल्य और निवेश के हानि, मूल्यांकन वर्तमान और आस्थगित कर व्यय, परिभाषित लाभ दायित्वों का मूल्यांकन, विनियामक कममिततंस खातों और प्रावधानों और आकस्मिक देयताएं

2.04 सूची

इन्वेंटरी लागत के निचले भाग और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर बताई गई हैं। इन्वेंटरी की लागत भारत औसत आधार पर निर्धारित की जाती है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के अनुमानित बिक्री मूल्य को पूरा करने का अनुमानित लागत कम और बिक्री करने के लिए आवश्यक लागत का प्रतिनिधित्व करता है। तकनीकी मूल्यांकन के तहत विनिर्दिष्ट दरों के आधार पर अनुयुक्त/क्षतिग्रस्त भंडार और पुर्जों की पहचान की गई और लिखा गया है।

2.05 संपत्ति, पौधे और उपकरण

संपत्ति संयंत्र और उपकरण लागत कम मूल्यह्रास पर कहा जाता है। लागत में खरीद मूल्य और किसी अन्य लागू लागत, संपत्ति, प्लांट और उपकरण के कारण उधार लेने की लागत और अन्य ओवरहेड्स सहित, उनके इच्छित उपयोग के लिए परिसंपत्तियों को अपनी कार्यरत स्थिति में लाने में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। संपत्ति उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार हैं जब मूल्यह्रास शुरू होती है हालांकि, फ्रीहोल्ड भूमि घिस नहीं होती है

कमीशन वाली परिसंपत्तियों के मामले में जमा कार्य/लागत से अधिक अनुबंध जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान अभी तक प्रभावी नहीं है; अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के आधार पर पूंजीकरण अस्थायी आधार पर किया जाता है। प्रगति में पूंजीगत काम से पूंजीकरण (सीडब्ल्यूआईपी) केवल संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों से तकनीकी प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर किया जा रहा है।

इसके बाद की लागत परिसंपत्ति की ले जाने वाली राशि में शामिल है या एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो उचित है, तभी जब यह संभव हो के आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के पास जाएंगे और आइटम की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है आइटम के दिन-प्रतिदिन सर्विसिंग से संबंधित लागत बाद में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक आइटम की मात्रा में मान्यता प्राप्त नहीं है; बल्कि, इन लागतों को लाभ या हानि में लगाया जाता है।

स्पेयर पार्ट्स, स्टैंडबाय उपकरण और सर्विसिंग उपकरण जो संपत्ति, प्लांट और उपकरण के मान्यता मानदंडों को पूरा करते हैं। मौजूदा परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के रूप में संपत्ति, प्लांट और उपकरण का अधिग्रहण किया जाता है और सक्रिय उपयोग से हटाए गए सेवानिवृत्त परिसंपत्तियों की पहचान की जाती है। उन स्पेयर पार्ट्स, स्टैंडबाय उपकरण और सर्विसिंग उपकरण की जगह ले जाने की मात्रा को मान्यता नहीं दी जाती है, जब उनके उपयोग या निपटान पर भविष्य के किसी भी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। अन्य स्पेयर पार्ट्स, स्टैंडबाय उपकरण और सर्विसिंग उपकरण "स्टोर और पुर्जों" के रूप में माना जाता है और इन्वेंटरी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

अवमूल्यन को पहचान लिया जाता है ताकि संपत्ति की लागत (फ्रीहोल्ड भूमि और निर्माणाधीन संपत्तियों के अलावा) को उनके अबशिष्ट मूल्य (संपत्ति की मूल लागत का 90: तक और सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों पर अधिसूचना संख्या एल।-1/144/2013-सीईआरसी दिनांक 21/02/2014 से 01/04/2014 के बाद) सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके, प्रबंधन द्वारा अनुमानित संपत्ति के अपने उपयोगी जीवन के अनुसार और सीईआरसी द्वारा निर्दिष्ट दरों पर और जहां सीईसी द्वारा निर्धारित दरों पर, सीईआरसी द्वारा निर्धारित दरों को निर्धारण नहीं किया जाता है किसी भी विशिष्ट परिसंपत्ति के लिए किसी भी मामले में सीईआरसी या सीईए द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची 2 के तहत दिए गए दरों।

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु निपटान पर मान्यता प्राप्त है या जब परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग से कोई भविष्य के आर्थिक लाभों की उम्मीद नहीं की जाती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी वस्तु के निपटान या सेवानिवृत्ति पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को बिक्री की आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मूल्यहास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और अगर उपयुक्त हो, तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

2.06 अमूर्त संपत्ति

परिमित उपयोगी जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति जो अलग-अलग अधिग्रहण की जाती है, लागत कम हो जाती है, परिशोधन और संचित हानि के नुकसान। परिशोधन उनके अनुमानित जीवन के आधार पर सीधे-रेखा के आधार पर मान्यता प्राप्त है। अनुमानित उपयोगी जीवन और परिशोधन पद्धति की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है, अनुमानित रूप से किसी भी परिवर्तन के प्रभाव को संभावित आधार पर लिया जाता है।

एक अमूर्त संपत्ति का निपटान करने के लिए, या जब कोई भविष्य के आर्थिक लाभ उपयोग या निपटान से उम्मीद नहीं की जाती है पर मान्यता प्राप्त है। एक अमूर्त संपत्ति की मान्यता से उत्पन्न लाभ या हानि, शुद्ध निपटान प्राप्ति और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है, और परिसंपत्ति को अस्वीकृत होने पर लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

प्रारंभिक रूप से आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियों के लिए मान्यता प्राप्त राशि, उस तारीख से किए गए खर्च का योग है, जब अमूर्त संपत्ति पहले ऊपर सूचीबद्ध मानदंडों को पूरा करती है। जहां कोई अंतर्निहित उत्पन्न अमूर्त नहीं पहचानी जा सकती है विकास व्यय उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है जिसमें यह किया जाता है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, आंतरिक रूप से निर्मित अमूर्त संपत्तियां रिपोर्ट की जाती हैं—लागत कम संचित परिशोधन और संचित हानि के घाटे पर, जो अलग-अलग अधिग्रहण की गई अमूर्त संपत्ति के रूप में उसी आधार पर हैं

2.07 प्रगति में पूंजीगत कार्य

आपूर्ति-कम निर्माण अनुबंधों के संबंध में, साइट पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य और भुगतान करने के लिए उत्तरदायी रूप से स्वीकार किया जाता है, इस पूंजीगत कार्य के रूप में माना जाता है। निर्माण से पहले आकस्मिक व्यय, परियोजना की पहचान, सर्वेक्षण/व्यवहार्यता अध्ययन आदि पर प्रारंभिक परियोजना व्यय, इसमें वृद्धि के आधार पर पूंजीगत कार्य को विभाजित किया जाता है। हालांकि इन खर्चों पर, परियोजना को छोड़ दिया जाता है, अगर लाभ और हानि के वक्तव्य के लिए आरोप लगाया जाता है। संबंधित कार्यालय से प्राप्त खाते के बयान के आधार पर जमा कार्य या लागत से अधिक ठेके का हिसाब किया जाता है। कॉर्पोरेट कार्यालय के खर्च, प्रचालन और रखरखाव के साथ-साथ पूंजी निर्माण और भंडार के खर्चों के लिए डिवीजनों/कार्यालयों के खर्चों को पहचान की गई सीमा तक पूंजी निर्माण के लिए बुक किया जाता है, बाकी को ऑपरेशन और रखरखाव के लिए बुक किया जाता है। निर्माण गतिविधियों की सहायता करने के लिए निर्माण डिवीजनों और कार्यालयों के संबंध में कर्मचारी लागत सहित व्यय पूरी तरह से पूंजीगत होते हैं और पूंजीगत संपत्तियों की लागत के रूप में गिना जाता है। अपने निर्माण के दौरान क्वालीफाइंग परिसंपत्तियों के कारण उधार लेने की लागत भारित औसत ब्याज दर पर आधारित होती है। अनुबंधों में वृद्धि के रूप में मूल्य भिन्नता के लिए दावा सवीकृति के आधार पर अर्जित किए जाते हैं।

2.08 ग्राहकों से हस्तांतरित संपत्ति

ग्राहकों से हस्तांतरित परिसंपत्तियों को उनके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जब यह किसी संपत्ति की परिभाषा को पूरा करती है और सभी संलग्न शर्तों का पालन किया जाएगा।

ग्राहकों से प्राप्त रकम प्राप्त करने वाले ग्राहकों या परिसंपत्तियों से प्राप्त परिसंपत्तियों और परिसंपत्ति पर नियंत्रण प्राप्त करने पर कंपनी इसे संपत्ति, और उपकरण के रूप में पहचान लेगी और स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के समान आधार पर उनके अपेक्षित उपयोगी जीवन को खत्म कर देगी।

किसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निर्माण के लिए ग्राहक से प्राप्त राशि को गैर-वर्तमान देनदारियों में शामिल किया जाता है, क्योंकि पूंजीगत संपत्ति के प्रति उपभोक्ता के योगदान के रूप में शामिल होते हैं और संबंधित परिसंपत्तियों की अपेक्षित जिंदगी के आधार पर एक व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि को श्रेय दिया जाता है और अन्य के भीतर प्रस्तुत किया जाता है। आय।

2.9 हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी यह निर्धारित करने के लिए अपनी वास्तविक परिसंपत्तियों की ले जाने वाली मात्रा की समीक्षा करती है कि क्या कोई संकेत है कि उन परिसंपत्तियों में एक हानि का नुकसान हुआ है, यदि कोई हो। यदि कोई ऐसा संकेत मौजूद है, तो वसूली योग्य राशि (जो कि उचित मूल्य की कम लागत को बेचने और बेचते में मूल्य) एक अलग-अलग परिसंपत्ति के आधार पर निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह नहीं उत्पन्न करती है जो कि उनसे काफी हद तक स्वतंत्र होती है अन्य संपत्तियां ऐसे मामलों में, नकदी पैदा करने वाली इकाई (सीजीयू) के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित की जाती है जिसमें संपत्ति का संबंध है।

यदि किसी परिसंपत्ति (या सीजीयू) की वसूली योग्य राशि को इसकी वहन राशि के कम होने का अनुमान लगाया गया है, तो परिसंपत्ति (या सीजीयू) की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि तक कम हो जाती है और वहन राशि और वसूली योग्य राशि के बीच के अंतर को मान्यता प्राप्त है लाभ और हानि के बयान में हानि हानि।

जब तक हानि के बाद में नुकसान पहुंचाता है, तो परिसंपत्ति (या सीजीयू) की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि के संशोधित अनुमान में बढ़ जाती है, लेकिन इतना है कि बढ़ती हुई ब्याज राशि उस निर्धारित राशि से अधिक नहीं होती है जो निर्धारित किया गया होता है, कोई हानि हानि नहीं होती पहले वर्षों में संपत्ति (या सीजीयू) के लिए मान्यता प्राप्त किया गया है हानि हानि का उलटाव तुरंत लाभ या हानि में पहचाना जाता है।

2.11 लीजिंग

पट्टे की स्थापना के समय, पट्टे की व्यवस्था पट्टे की व्यवस्था के पदार्थ के आधार पर, वित्त पट्टे या ऑपरेटिंग पट्टा के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

पट्टे को वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब भी पट्टा हस्तांतरण की शर्तों को पर्याप्त रूप से सभी जोखिम और पट्टेदार के लिए एक संपत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक पुरस्कार। अन्य सभी पट्टे संचालनशील पट्टों के रूप में वर्गीकृत हैं।

ए) पट्टादाता के रूप में कंपनी :

ऑपरेटिंग पट्टों से किराए पर आय प्रासंगिक लीज की अवधि के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर मान्यता प्राप्त है। पट्टे की अवधि के लिए सीधी रेखा के आधार पर पहचाने जाने वाले परिसंपत्ति के ले जाने वाली राशि में एक ऑपरेटिंग लीज की बातचीत और व्यवस्था करने के लिए शुरुआती प्रत्यक्ष लागतें शामिल की गई हैं।

बी) पट्टेदार के रूप में कंपनी : परिचालन पट्टों से किराए पर खर्च आमतौर पर संबंधित पट्टे की अवधि के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर पहचाने जाते हैं।

2.12 सरकारी अनुदान

सरकार से अनुदान और सब्सिडी उनके उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त नहीं है जब तक कि उचित आश्वासन नहीं हो कि अनुदान / सब्सिडी प्राप्त की जाएगी और सभी संलग्न शर्तों को संकलित किया जाएगा।

सरकारी अनुदान लाभ या हानि में उस अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर मान्यता प्राप्त है, जिसमें कंपनी को संबंधित लागतों के खर्च के रूप में पहचान की जाती है जिसके लिए अनुदान अन्य आय में क्षतिपूर्ति और प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है विशेष रूप से, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद से संबंधित सरकारी अनुदान स्थगित आय के रूप में गैर-वर्तमान देनदारियों में शामिल होते हैं, और संबंधित परिसंपत्तियों के अपेक्षित जीवन के आधार पर व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि को जमा कर दिया जाता है और अन्य आय में प्रस्तुत किया जाता है।

सरकारी अनुदान जो पहले से खर्च किए गए खर्चों या हानियों के लिए मुआवजे के रूप में प्राप्य हैं या भविष्य में संबंधित लागतों के साथ कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने के प्रयोजन के लिए उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है जिसमें वे प्राप्य हो जाते हैं।

ब्याज की एक नीचे-बाजार दर पर सरकारी ऋण का लाभ सरकारी अनुदान के रूप में माना जाता है, जिसे प्राप्त हुई आय और मौजूदा बाजार की ब्याज दरों के आधार पर ऋण का उचित मूल्य के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है।

2.13 उधार लागत

सामान्य और विशिष्ट उधार लेने वाली लागत सीधे किसी विशेष परियोजना के निर्माण से संबंधित होती है या योग्यता परिसंपत्ति के अधिग्रहण के समय की अवधि के दौरान पूंजीकृत होती है, जिसे उसके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए परिसंपत्ति को पूरा करने और तैयार करने की आवश्यकता होती है। क्वालीफाइंग परिसंपत्तियां ऐसी परिसंपत्तियां हैं जो आवश्यक रूप से अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय लेती हैं।

अन्य सभी उधार लेने की लागत वे होने वाली अवधि में बनी हुई हैं। प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके उधार लेने की लागत परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

2.14 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति

एक प्रावधान तब पहचाना जाता है जब कंपनी की पिछली घटना के परिणाम के रूप में वर्तमान दायित्व है और संभव है कि संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक हो कि वह दायित्व तय करे, इसके संबंध में तकनीकी मूल्यांकन और अतीत के आधार पर एक विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता है अनुभव देनदारियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है जिनके भविष्य के परिणाम उचित निश्चितता के साथ नहीं जा सकते हैं।

अगर धन के समय मूल्य का प्रभाव सामग्री है, प्रावधानों के पूर्व –कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो कि उस क्षेत्राधिकार में धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन और देयता के लिए विशिष्ट जोखिम को दर्शाता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, समय के पारित होने के कारण प्रावधान में वृद्धि को उधार लेने की लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

आकस्मिक देनदारियों को मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन रु. 1.00 करोड़ या अधिक का खुलासा तबतक किया जाता है जब तक कि संसाधनों का बहिर्वाह दूरदराज के होने की संभावना नहीं। ये प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को आम तौर पर मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन लाभ के प्रवाह संभव होने पर इसका खुलासा किया जाता है।

2.15 नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समकक्षों में हाथ में नकद, बैंको और अन्य अल्पावधि जमाओं के साथ कॉल में जमा जमा, जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय होते हैं, जो कि मूल्य में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण जोखिम और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के अधीन होते हैं।

2.16 कैश फ्लो स्टेटमेंट

नकदी प्रवाह अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुए सूचित किया जाता है, जहां गैर-नकदी प्रकृति के लेन-देन, पिछले या भविष्य के ऑपरेटिंग नकदी प्राप्तियां या भुगतानों के भुगतान के किसी भी डेफ्रैल्स या आय के आइटम या निवेश से जुड़े खर्चों के प्रभाव के लिए कर से पहले लाभ से समायोजित किया जाता है या वित्तपोषण नकदी प्रवाह कंपनी के ऑपरेटिंग, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह अलग-अलग है।

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए, नगदी और समकक्षों को ऊपर वर्णित के रूप में, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट देनदारियों का नेट। बैंलेस शीट में, बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट देनदारियां वर्तमान देनदारियों से उधार के भीतर दिखाई जाती है।

2.17 आय कर

कर व्यय वर्तमान कर और आस्थगित कर की राशि का प्रतिनिधित्व करता है।

वर्तमान कर

वर्तमान में दिया जाने वाला कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ 'ट्रैक्स से पहले लाभ' के मुकाबले अलग-अलग आय या व्यय की वजह से लाभ और हानि के बयान में बताया गया है जो अन्य वर्षों में कर योग्य या घटाया जा सकता है और कभी भी कर योग्य या घटाया नहीं जा सकता। वर्तमान आयकर प्रभार की गणना कर की दर के आधार पर की जाती है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर

स्थगित कर संपत्ति और देनदारियों को कर की दर से मापा जाता है, जो कि संपत्ति के दायरे में आती है या दायित्व का निपटारा करने के लिए लागू होने की उम्मीद की जाती है, टैक्स दरों और टैक्स कानूनों के आधार पर जो रिपोर्टिंग के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हुए हैं अवधि। अन्य व्यापक आय में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित टैक्स व्यापक आय के बयान का हिस्सा है।

वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों के बीच रिपोर्टिंग की तारीख में सभी अस्थायी मतभेदों पर उनकी शेष राशि पर बकाया कर प्रदान की जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों का ले जाने की मात्रा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस हद तक कम हो जाती है कि यह अब संभावित नहीं है कि संपत्ति के सभी या हिस्से को पुनर्प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कर योग्य मुनाफा उपलब्ध होगा।

वर्तमान कर देनदारियों के खिलाफ मौजूदा कर संपत्ति को बंद करने का कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार है और जब वे उसी कराधान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आय कर से संबंधित हैं और कंपनी का मौजूदा कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का निपटान करने का इरादा है तो स्थगित कर संपत्ति और देयताएं ऑफसेट है एक शुद्ध आधार

अप्रयुक्त कर हानियों या टैक्स क्रेडिट से उत्पन्न एक स्थगित कर संपत्ति केवल उस हद तक मान्यता प्राप्त है जो इकाई के पास पर्याप्त कर योग्य अस्थायी अंतर है या अन्य साक्ष्यों को समझना है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके लिए अप्रयुक्त कर नुकसान या अप्रयुक्त कर क्रेडिट द्वारा उपयोग किया जा सकता है।

2.18 कर्मचारी लाभ

2.18.1 परिभाषित लाभ योजना

31 मई 2005 को या उससे पहले बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को परिभाषित लाभ देने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एमपी ट्रांसको) के पास है। हालांकि, 31 मई 2005 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को परिभाषित लाभ देने का दायित्व संबंधित हस्तांतरणीय कंपनी के साथ निहित है। इसके अलावा, एमपीएसईबी/एमपीईबी से 31 मई 2005 तक कर्मियों द्वारा प्रदान की गई पिछली सर्विस के लिए पेंशन और अन्य टर्मिनल लाभों के लिए अंशदान, एमपी ट्रांसको द्वारा किया जाएगा और हस्तांतरण के तहत प्रदान की गई सेवा के योगदान के लिए योगदान दिया जाएगा। संबंधित स्थानान्तरण कंपनी

परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए, 1 अप्रैल 2015 से प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जाने वाले बीमांकिक मूल्यांकन के साथ, प्रोजेक्ट इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके लाभ प्रदान करने की लागत निर्धारित की जाती है। बीमांकिक लाभ और हानि शामिल रीमेजरमेंट, तुलनपत्र में तत्काल, उस अवधि में अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त चार्ज या क्रेडिट के साथ परिलक्षित होता है जिसमें वे होते हैं। अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त रीमेजरमेंट, बनाए रखा आय में तत्काल परिलक्षित होता है और

इसे लाभ या हानि के लिए पुनः नहीं दिया जाता है। पिछली सेवा लागत एक योजना संशोधन की अवधि में लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है। शुद्ध ब्याज की अवधि की शुरुआत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता के लिए छूट दर लागू करने की गणना की जाती है।

बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व कंपनी की परिभाषित लाभ योजनाओं में वास्तविक दायित्व को दर्शाता है। इस गणना से उत्पन्न कोई अधिशेष योजनाओं में से भविष्यवाण की योजनाओं में कटौती या कटौती से रिफंड के रूप में उपलब्ध किसी भी आर्थिक लाभ के वर्तमान मूल्य तक सीमित है।

एक समाप्ति लाभ के लिए एक देयता पहले के समय में मान्यता प्राप्त है जब इकाई अब समाप्ति लाभ की पेशकश को वापस नहीं ले सकती है जब इकाई किसी भी संबंधित पुनर्गठन लागत को पहचानती है।

2.18.2 परिभाषित योगदान योजनाएं

परिभाषित योगदान के लिए भुगतान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के एक व्यय के रूप में पहचाना जाता है जब कर्मचारी ने योगदान देने के लिए उन्हें सेवा प्रदान की है।

2.18.3 अल्पकालिक और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

उस सेवा के बदले भुगतान किए जाने वाले अपेक्षित लाभों के अकुशल राशि पर मजदूरी और वेतन के संबंध में कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों के लिए एक देयता, वार्षिक छुट्टी और संबंधित सेवा की अवधि में बीमारी की छुट्टी के लिए मान्यता प्राप्त है। अल्पकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देनदारियों को संबंधित सेवा के बदले भुगतान की जाने वाली अपेक्षित लाभों की गणना नहीं की जाती है। अन्य दीर्घावधिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देयताएं, रिपोर्टिंग तारीख तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में कंपनी द्वारा अनुमानित भविष्य के नकद बहिर्वाहों के वर्तमान मूल्य से मापा जाता है।

2.19 वित्तीय उपकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी साधन के संविदागत प्रावधानों का पक्ष बना। वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को शुरु में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन की लागत जो अधिग्रहण या वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देयताओं के अलावा लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के अलावा) के अधिग्रहण के लिए विशेष रूप से श्रेय देती है या फिर वित्तीय परिसंपत्ति की प्रारंभिक मान्यता पर माना गया उचित मूल्य से जोड़ा या घटाया जाता है। वित्तीय देनदारियों।

ए) वित्तीय संपत्तियां

(i) परिशोधित लागत पर वित्तीय संपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है, यदि से वित्तीय संपत्ति एक कारोबारी मॉडल के भीतर आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को रखना है और वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक शर्तों को निर्दिष्ट तिथियों को नकद प्रवाह के लिए उगाना है बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का केवल भुगतान

(ii) अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिये उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय संपत्ति एक कारोबारी मॉडल में आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करना और यदि ये वित्तीय संपत्ति बेचना और वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदात्मक अवधि दोनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, निर्दिष्ट दिनों पर नकदी प्रवाह को जन्म देना जो केवल प्रिंसिपल का भुगतान और बकाया राशि में मूलधन पर ब्याज हैं

(iii) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियां

वित्तीय संपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, जब तक यह प्रारंभिक मान्यता पर अन्य विस्तृत वस्तु के माध्यम से परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से लेनदेन लागत तुरंत लाभ या हानि के बयान में मान्यता प्राप्त है।

(iv) वित्तीय परिसंपत्तियों का उन्मूलन

कंपनी वित्तीय संपत्ति को केवल तब ही नष्ट कर देती है जब परिसंपत्ति की समाप्ति से नकदी प्रवाह के अनुबंध के अधिकार, या यह वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित करता है और परिसंपत्ति के स्वामित्व को अन्य संस्थाओं के लिए सभी जोखिमों और पुरस्कारों में काफी हद तक स्थानांतरित करता है। अगर कंपनी न तो स्थानांतरण करती है और न ही स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखती है और स्थानांतरित परिसंपत्ति को नियंत्रित करने के लिए जारी रखती है, कंपनी परिसंपत्तियों में अपनी ब्याज ब्याज को पहचानती है और उस राशि का भुगतान करना पड़ सकता है जो इसके लिए भुगतान करना पड़ सकता है। यदि कंपनी को हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और स्वामित्व के काफी हद तक बची हुई है, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को पहचाना जारी रखती है। प्राप्त आय का संपार्श्विक उधार पहचानती है।

(v) वित्तीय संपत्तियों की हानि

कंपनी का निर्धारण प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर किया जाता है कि क्या वित्तीय संपत्ति या वित्तीय संपत्ति का एक समूह खराब है। इंडस्ट्रीज 109 को अपेक्षित क्रेडिट हानि को नुकसान भत्ते के माध्यम से मापा जाना चाहिए। कंपनी सभी व्यापार प्राप्तियों के लिए आजीवन उम्मीद के घाटे को पहचानती है जो वित्तपोषण लेनदेन का गठन नहीं करते हैं। अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, अपेक्षित क्रेडिट घाटे को 12 महीनों के अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर की राशि से मापा जाता है या यदि वित्तीय परिसंपत्ति पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता से काफी बढ़ गया है तो अपेक्षित क्रेडिट हानि के जीवन काल के बराबर की गई राशि पर मापा जाता है।

बी) वित्तीय देयताएं और इक्विटी उपकरण

(i) ऋण या इक्विटी के रूप में वर्गीकरण

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय देनदारियों और इक्विटी उपकरणों को अनुबंधित के पदार्थ और पदार्थ और वित्तीय देनदारी और इक्विटी उपकरण की परिभाषा के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) इक्विटी उपकरण

एक इक्विटी उपकरण किसी भी अनुबंध से कंपनी की परिसंपत्तियों में शेष ब्याज का सबूत है, जो कि इसके सभी देनदारियों को घटाता है। प्राप्त इक्विटी पर प्रत्यक्ष इक्विटी का शुद्ध इक्विटी उपकरण दर्ज किया जाता है।

(iii) वित्तीय देयताएं

व्यापार और अन्य देनदारियों को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य, लेनदेन लागत का शुद्ध, और प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

अन्य वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

प्रभावी ब्याज पद्धति एक ऋण साधन की परिशोधित लागत की गणना की एक विधि है प्रासंगिक अवधि के दौरान ब्याज आय को आंशिक करने की एक विधि है। प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो वास्तव में अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियां (सभी फीस और भुगतान सहित, जो कि प्रभावी ब्याज दर, लेनदेन की लागत और अन्य प्रीमियम या छूट का एक अभिन्न हिस्सा हैं) के साथ डेट इंस्ट्रूमेंट के अपेक्षित जीवन के माध्यम से छूट देते हैं, या जहां उचित हो, एक छोटी अवधि, प्रारंभिक मान्यता पर सकल ले जाने के लिए।

एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा अन्य ऋण साधनों के लिए आय एक प्रभावी ब्याज आधार पर मान्यता प्राप्त है ब्याज आय के लाभ या हानि में मान्यता दी गई है और इसे "अन्य आय" पंक्ति वस्तु में शामिल किया गया है।

(iv) वित्तीय देनदारियों का विलुप्त होना

कंपनी वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता देती है, जब और केवल, जब कंपनी के दायित्वों को छुट्टी दे दी जाती है, रद्द कर दी जाती है या वे समाप्त हो जाती है।

(v) वित्तीय साधनों को ऑफसेट करना

कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियां ऑफसेट हैं और बैलेंस शीट में रिपोर्ट की गई शुद्ध राशि है, जब मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का कानूनी तौर पर लागू अधिकार होता है और निवल आधार पर समझौता करने या परिसंपत्ति का आकलन करने और दायित्व तय करने का इरादा है एक साथ कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार भविष्य की घटनाओं पर आकस्मिक नहीं होना चाहिए और व्यापार के सामान्य प्रकार में लागू होना चाहिए।

2.20 राजस्व मान्यता

राजस्व तब पहचाना जाता है जब मापन योग्यता या संग्रहणता की कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं होती है प्राप्त होने वाले या व्यापार छूट और मात्रा छूट की प्राप्ति योग्य राशि के उचित मूल्य पर राजस्व को मापा जाता है। सतर्कता वसूली को छोड़कर बिजली की बिक्री से राजस्व अर्जित किया जाता है। साल के अंत में, प्रावधान किए गए हैं यदि संबंधित वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख तक कोई बिल नहीं उठाए जाते हैं।

पर्यवेक्षण प्रभार से आय "अन्य परिचालन राजस्व" के अंतर्गत रसीद के आधार पर राजस्व के रूप में दर्ज किया गया है। राजस्व आय को किसी भी नियामक या वैधानिक प्राधिकारी से लिखित संचार के रूप में पहचाना जाता है और जब तक कि मुकदमेबाजी या मुकदमेबाजी की प्रक्रिया के तहत नहीं हो। प्रचलित टैरिफ ऑर्डर में दी गई अवधि के दौरान की गई अतिरिक्त लागत के संबंध में अतिरिक्त लागत के संदर्भ में विनियामक तंत्र के माध्यम से प्राप्त होने वाला आय, प्राप्य उपलब्ध आदेशों और विनियामक प्राधिकरणों के नियमों के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

कंसल्टेंसी/कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज की प्रकृति में अन्य कार्यों से राजस्व वास्तविक प्रक्रिया के आधार पर/निष्पादित कार्य के तकनीकी

मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है सिवाय इसके कि जहां अनुबंध अन्यथा प्रदान करते हैं। देरी से भुगतान अधिभार के लिए प्राप्तियां और क्षतिग्रस्त क्षति का पता लगाया जाता है जब यह पता लगाया जाता है और राशि संग्रह पृष्टि की जाती है।

लाभार्थियों द्वारा बनाई गई संपत्ति, पौधे और उपकरण का भुगतान स्वामित्व प्राप्त करने के साथ-साथ डिफर्ड रेवेन्यू को मिलान किए गए क्रेडिट के साथ नियंत्रण के साथ किया गया है। इस आस्थगित राजस्व खाते को डेबिट कर दिया जाएगा और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन में राजस्व की पहचान की जाएगी।

एक बार पंजीकरण शुल्क, प्रशिक्षण शुल्क, स्क्रेप की बिक्री रसीद के आधार पर की जाती है। बिल की प्राप्ति पर कंपनी को छूट की अनुमति दी जाती है, जब उसे पता लगाया जाता है और पुष्टि की जाती है।

उपभोक्ताओं द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं के लिए योगदान, जो उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक दायित्व की आवश्यकता होती है, को आस्थगित राजस्व का श्रेय माना जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन में इस तरह के राजस्व को मान्यता दी गई है।

राज्य सरकार से प्राप्त राजस्व सब्सिडी को लाभ और हानि खाते के विवरण के हिसाब से लिया जाता है।

अन्य आय

किसी वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय पहचाना जाता है, जब यह संभव है कि कंपनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और आय की मात्रा मज़बूती से मापा जा सकता है ब्याज आय एक समय के आधार पर अर्जित की जाती है, बकाया प्रमुख और प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ के आधार पर, जो दर है जो अनुमानित भविष्य की नकदी प्राप्तियों को वित्तीय परिसंपत्ति की अपेक्षित जीवन के माध्यम से प्रारंभिक रूप से उस परिसंपत्ति की नेट ले जाने वाली राशि में छूट देता है मान्यता।

2.21 व्यय मान्यता

आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं के साथ दर्ज किए गए अनुबंधों की आवश्यक शर्तों के अनुसार सभी व्यय को प्रोद्घवन के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। हालांकि, मूल्य परिवर्तन बिल का भुगतान रसीद के आधार पर किया जाता है।

2.22 कमाई प्रति शेयर

अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों के कारण अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। इस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को बोनस अंक की घटनाओं के लिए समायोजित किया गया है; मौजूदा शेयरधारकों के लिए एक राइट इश्यू में बोनस तत्व; शेयर विभाजन; और रिवर्स शेयर स्प्लिट (शेयर का एकीकरण)।

शेयर प्रति पतला आय की गणना के उद्देश्य के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के लिए अवधि के लिए शुद्ध अवधि या अवधि के दौरान बकाया शेयरों की वेटेड औसत संख्या, सभी डिलीटिव संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित की जाती है।

2.23 मात्रा का गोलाकार :

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 की आवश्यकता के अनुसार, वित्तीय वक्तव्यों और नोटों में प्रकट सभी राशियों को निकटतम करोड़ के लिए गोल कर दिया गया है, अन्यथा नहीं।

3. पहली बार अपनाने – अनिवार्य अपवाद, वैकल्पिक छूट

कुल मिलाकर सिद्धांत

कंपनी ने सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को पहचानने के द्वारा 1 अप्रैल 2015 ("संक्रमण की तारीख" के अनुसार इंडस्ट्रीज के अनुसार खोलने की बैलेंस शीट तैयार की है, जिनकी पहचान को इंडस्ट्रीज द्वारा जरूरी है, ऐसी संपत्ति या दायित्वों की पहचान नहीं कर रही है जिन्हें अनुमति नहीं है इंडस्ट्रीज द्वारा, पिछले जीएएपी से इंडस्ट्रीज के रूप में इंडस्ट्रीज के तहत जरूरी के रूप में आवश्यक वस्तुओं को पुनः परिष्कृत करके और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों और देनदारियों के माप के रूप में इंडस्ट्रीज को लागू करना। हालांकि यह सिद्धांत कुछ अपवादों और कंपनी द्वारा उठाए गए कुछ वैकल्पिक छूट के अधीन है जैसा कि नीचे बताया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और माप

कंपनी ने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर 109 वित्तीय साधनों के रूप में इंडस्ट्रीज के अनुसार वर्गीकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन किया है, जो कि इंडस्ट्रीज को संक्रमण की तारीख में मौजूद है।

वित्तीय संपत्तियों की हानि

कंपनी ने 109 के इंडस्ट्रीज की हानि आवश्यकताओं को पिछली बार लागू किया है; हालांकि, 101 के रूप में इंडस्ट्रीज द्वारा अनुमति दी गई है, इसने उचित और समर्थन योग्य जानकारी का उपयोग किया है जो बिना किसी अनावश्यक लागत या ऋण राशि को निर्धारित करने के प्रयास के बिना उपलब्ध है, यह है कि वित्तीय साधनों को शुरू में क्रेडिट जोखिम के साथ तुलना करने के लिए मान्यता प्राप्त है संक्रमण की तारीख में हालांकि, 101 के रूप में इंडस्ट्रीज द्वारा अनुमति के अनुसार, कंपनी ने इंडस्ट्रीज एएस के संक्रमण की तारीख को

निर्धारित करते समय, जानकारी के लिए एक संपूर्ण खोज नहीं की है, चाहे प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के लिए अंकित मूल्य

कंपनी ने 1 अप्रैल, 2015 ("संक्रमण तिथि") के रूप में पहचाने जाने वाले अपने सभी पौधों और उपकरणों और अमूर्त संपत्ति के ले जाने के मूल्य के साथ जारी रखने का चुनाव किया है पिछला के अनुसार मापा जाता है संक्रमण की तारीख

ग्राहकों से संपत्ति का स्थानांतरण

कंपनी ने इंडस्ट्रीज एएस-18 "ग्राहक से संपत्ति का स्थानांतरण" लागू किया है (ट्रांज़िशन की तारीख के रूप में शेष 1 अप्रैल, 2015 के रूप में इंडस्ट्रीज 101 के पैरा 36 के तहत अनुमति के अनुसार)। यह उपभोक्ता से बिजली वितरण प्रणाली तक पंधुच के लिए प्राप्त योगदान से संबंधित है, जो अब आस्थगित राजस्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 18 कें इंडस्ट्रीज के साथ-साथ संपत्ति के उपयोगी जीवन में आय स्टेटमेंट को स्थानांतरित कर दिया गया है।

4. नई संशोधन जो अभी तक प्रभावी नहीं है और जल्दी अपनाया नहीं गया है

मार्च 2017 में, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इंडस्ट्रीज 7 के रूप में संशोधन, नकदी प्रवाह का वक्तव्य और 102 शेयर 'आधारित भुगतान' जैसी कंपनियों (भारतीय लेखा मानकों) (संशोधन) नियम, 2017 जारी किए। संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से कंपनी के लिए लागू है।

इंडस्ट्रीज को संशोधन 7 :

इंडस्ट्रीज 7 के संशोधन में संस्थाओं को खुलासा प्रदान करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय वक्तव्यों के प्रयोक्ताओं को वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने के लिए सक्षम बनाता है, जिसमें नकदी प्रवाह और गैर-नकद परिवर्तनों से उत्पन्न दोनों परिवर्तन शामिल हैं, जो कि उद्घाटन के बीच सुलह को शामिल करने और प्रकटीकरण आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों के लिए बैलेंस शीट में समापन शेष

कंपनी संशोधन की आवश्यकताओं और इसके नकदी प्रवाह पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है, जो सामग्री होने की उम्मीद नहीं है।

5. महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय और आकलन अनिश्चितता के मुख्य स्रोत

कंपनी की लेखांकन नीतियों के आवेदन में, कंपनी के निदेशकों को अन्य स्रोतों से आसानी से स्पष्ट नहीं होने वाली परिसंपत्तियों और देनदारियों के बारे में निर्णय, अनुमान और धारणा करना आवश्यक है अनुमान और संबद्ध अनुमान ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित होते हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। ऐसे अनुमान और संबद्ध मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। यदि पुनरीक्षण केवल उस अवधि को प्रभावित करता है या संशोधन और भविष्य की अवधि में, यदि संशोधन वर्तमान और भविष्य की अवधि को प्रभावित करता है, तो उस अवधि में लेखा अनुमानों के लिए संशोधन को मान्यता दी गई जिसमें अनुमान संशोधित किया गया है।

ए) लेखा नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णय :

i) परिशोधित लागत पर वित्तीय संपत्तियां

प्रबंधन ने अपने व्यापार मॉडल के प्रकाश में कंपनी की वित्तीय संपत्तियों की परिमाणीकृत लागत पर समीक्षा की है और कंपनी के सकारात्मक इरादे और संविदागत नकदी प्रवाह को जमा करने के लिए इन वित्तीय परिसंपत्तियों को रखने की क्षमता की पुष्टि की है। इन परिसंपत्तियों का विवरण नोट नंबर पर सेट किया गया। 35।

ii) विनियामक deferral खातों

इंडस्ट्रीज एएस 114- "विनियामक डेफ़रल अकाउंट्स" कंपनी को इस मानक की आवश्यकताओं को अपने पहले इंडस्ट्रीज में वित्तीय विवरणों में रूप में लागू करने की अनुमति देता है अगर और केवल अगर यह दर-विनियमित गतिविधियों को संचालित करता है और मान्यता प्राप्त राशि जो कि इसके वित्तीय वक्तव्यों में विनियामक कममिततंस खाता शेष के रूप में अर्हता प्राप्त करती है अपने पिछले ऋ।। च के अनुसार चूंकि कंपनी ने अपने पिछले जीएएपी में विनियामक स्थगित शेष राशि को पहचानने के लिए लगातार निर्वाचित किया था, इंडस्ट्रीज 114 की आवश्यकता कंपनी को लागू नहीं होती है।

iii) मूल्यहास दर, मूल्यहास विधि और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अवशिष्ट मूल्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 के भाग बी के संदर्भ में, कंपनी ने विद्युत अधिनियम, के अनुसार संबंधित नियमों द्वारा अधिसूचित संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की वस्तुओं के अवमूल्यन दर, मूल्यहास विधि और अवशिष्ट मूल्य का पालन किया है, 2003 को विनियमित व्यापार में आ रही परिसंपत्तियों के संबंध में।

iv) सेवा रियायत व्यवस्था

कंपनी ने अपने वितरण परिसंपत्ति पोर्टफोलियो के संबंध में इंडस्ट्रीज एएस-11 "सर्विस रियास व्यवस्था" के परिशिष्ट ए की प्रयोज्यता का आकलन किया है। प्रयोज्यता का आकलन करने में, कंपनी ने विद्युत अधिनियम, 2003, वितरण लाइसेंस और/या समझौतों आदि के प्रावधानों के संबंध में निर्णय का प्रयोग किया है। इस तरह के आकलन के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला है कि 11 के इंडस्ट्रीज के परिशिष्ट ए लागू नहीं है।

बी) अनुमान के अनिवार्य रूप में महत्वपूर्ण स्रोत :

i) डिफरड टैक्स एसेट्स

डिफरड टैक्स एसेट्स अप्रयुक्त कर हानियों/क्रेडिट के लिए उस हद तक मान्यता प्राप्त है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध घाटे का उपयोग किया जा सकता है। भावी कर नियोजन रणनीतियों के साथ भविष्य में कर योग्य मुनाफे की संभावित समय और स्तर के आधार पर आस्थगित कर संपत्ति की राशि को निर्धारित करने के लिए प्रबंधन निर्णय आवश्यक है।

ii) प्रावधान

प्रावधान (वेतन के लिए प्रावधान को छोड़कर) अपने वर्तमान मूल्य के लिए छूट नहीं दी गई है और बैलेंस शीट की तारीख में दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया गया है। वर्तमान बैलेंस रेटिंग को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में इन की समीक्षा की जाती है।

iii) आकस्मिक देयताएं

पिछले घटनाओं से उत्पन्न आकस्मिक देनदारियों का अस्तित्व केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की घटना या घटनाओं पर ही पुष्टि नहीं होगी, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या जहां पर वर्तमान दायित्व हैं, लेकिन यह संभव नहीं है वित्तीय विवरणों में दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ की आवश्यकता होगी, तब तक कि निपटान में किसी भी बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ नहीं होती है।

iv) संपत्ति के पौधे और उपकरणों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी अपनी संपत्ति, पौधे और उपकरणों की मात्रा को निर्धारित करने के लिए समीक्षा करती है कि क्या यह कोई संकेत है कि उन संपत्तियों में हानि का नुकसान हुआ है। यदि कोई ऐसा संकेत मौजूद है, तो हानि की हानि (यदि कोई हो) की सीमा निर्धारित करने के लिए परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया गया है।

v) उचित मूल्य माप और मूल्यांकन प्रक्रिया :

वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए, उचित माप को स्तर 1,2 या 3 के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिस पर उचित मूल्य माप के लिए इनपुट का आकलन किया जाता है और उचित मूल्य माप के लिए इनपुट का महत्व इसकी पूरी तरह से वर्णित है। निम्नलिखितानुसार :

- स्तर 1 निविष्टियाँ समान संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में कीमतों (अनावित) को उद्धृत कर रही हैं, जो कि कंपनी माप की तारीख पर पहुंच सकती है;
- स्तर 2 निविष्टियाँ इनपुट हैं, जो स्तर 1 के भीतर शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या दायित्व के लिए देखे जा सकते हैं; तथा
- स्तर 3 आदानों परिसंपत्ति या दायित्व के लिए unobservable निविष्टियाँ हैं।

हमारे संलग्न प्रथक प्रतिवेदन के अनुसार
वास्ते मेसर्स निवेन्द्र एंड कंपनी

सही/-
सी.ए. प्रदीप कुमार गुप्ता
पार्टनर

M. No:- 070855
FRN No:- 000379C
स्थान : जबलपुर
दिनांक : 29-01-2018

वास्ते मध्यप्रदेश एवं पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
वास्ते और संचालक मंडल की ओर से

सही/-
एम.सी. गुप्ता
प्रबंध संचालक

सही/-
ललित मोहन शर्मा
कंपनी सचिव

सही/-
अपराजिता ओझा
प्रबंध संचालक

सही/-
चेतन जायसवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी



मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
ब्लॉक नं. 7, शक्ति भवन, जबलपुर
वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ



राशि रु. करोड़ में

6. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक	01.04.2015 तक
राशि लेना:			
फ्रीहोल्ड भूमि	1.72	1.70	1.71
पट्टे भूमि	0.23	0.25	0.27
भूमि संरचना – इमारत	32.64	33.25	34.80
सिविल संरचना – अन्य	2.68	2.00	2.13
संयंत्र और उपकरण	2,063.63	1,948.68	2,035.32
लाइन्स, केबल और नेटवर्क	2,094.46	1,843.03	1,865.15
वाहन	2.52	0.30	0.29
कार्यालय और आईटी उपकरण	102.71	48.93	28.64
कुल मूर्त संपत्ति	4,300.59	3,878.14	3,968.31

राशि रु. करोड़ में

	फ्रीहोल्ड भूमि	पट्टे भूमि	भूमि संरचना इमारत	सिविल संरचना अन्य	संयंत्र और उपकरण	लाइन्स, केबल और नेटवर्क	वाहन	कार्यालय और आईटी उपकरण	कुल मूर्त संपत्ति
लागत या समझे जाने वाली लागत									
01.04.2015 को शेष राशि	1.71	0.27	34.80	2.13	2,035.32	1,865.15	0.29	28.64	3,968.31
परिग्रहीतियाँ	-	-	-	0.01	46.43	100.10	0.01	27.81	174.36
निपटान	(0.01)	-	-	-	-	-	-	-	(0.01)
31.03.2016 को शेष राशि	1.70	0.27	34.80	2.14	2,081.75	1,965.25	0.30	56.45	4,142.66
परिग्रहीतियाँ	0.02	-	0.93	0.83	254.26	386.66	2.23	68.05	712.98
निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2017 को शेष राशि	1.72	0.27	35.73	2.97	2,336.01	2,351.91	2.53	124.50	4,855.64
संचित अवमूल्यन और हानि									
01.04.2015 को शेष राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मूल्यहास व्यय	-	0.02	1.55	0.14	133.07	122.22	-	7.52	264.52
निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2016 को शेष राशि	-	0.02	1.55	0.14	133.07	122.22	-	7.52	264.52
मूल्यहास व्यय	-	0.02	1.54	0.15	139.31	135.23	0.01	14.27	290.53
निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2017 को शेष राशि	-	0.04	3.09	0.29	272.38	257.45	0.01	21.79	555.05
रखाव लागत									
01.04.2015 को शेष राशि	1.71	0.27	34.80	2.13	2,035.32	1,865.15	0.29	28.64	3,968.31
परिग्रहीतियाँ	-	-	-	0.01	46.43	100.10	0.01	27.81	174.36
निपटान	(0.01)	-	-	-	-	-	-	-	(0.01)
मूल्यहास व्यय	-	0.02	1.55	0.14	133.07	122.22	-	7.52	264.52
31.03.2016 को शेष राशि	1.70	0.25	33.25	2.00	1,948.68	1,843.03	0.30	48.93	3,878.14
परिग्रहीतियाँ	0.02	-	0.93	0.83	254.26	386.66	2.23	68.05	712.98
निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मूल्यहास व्यय	-	0.02	1.54	0.15	139.31	135.23	0.01	14.27	290.53
31.03.2017 को शेष राशि	1.72	0.23	32.64	2.68	2,063.63	2,094.46	2.52	102.71	4,300.59

सही/-
चेतन जयसवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

7. पूंजीगत कार्य-प्रगति	राशि रु. करोड़ में		
	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक	01.04.2015 तक
लागत में पूंजीगत कार्य-प्रगति	1,457.49	1,249.10	710.82
कुल पूंजी कार्य-प्रगति	1,457.49	1,249.10	710.82
रखाव लागत			कुल सीडव्यूआईपी राशि
01.04.2015 को शेष राशि			710.82
परिग्रहीतियाँ			951.10
अन्य समायोजन			-
वर्ष के दौरान पूंजीकृत किया गया			(412.82)
31.03.2016 को शेष राशि			1,249.10
परिग्रहीतियाँ			1,204.29
अन्य समायोजन			-
वर्ष के दौरान पूंजीकृत किया गया			(995.90)
31.03.2017 को शेष राशि			1,457.49
8. अमूर्त संपत्ति			राशि रु. करोड़ में
	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक	01.04.2015 तक
रखाव राशि:			
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	60.78	12.64	-
	60.78	12.64	-
लागत या समझे जाने वाली लागत			कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
01.04.2015 को शेष राशि			-
परिग्रहीतियाँ			14.66
निपटान			-
31.03.2016 को शेष राशि			14.66
परिग्रहीतियाँ			55.97
निपटान			-
31.03.2017 को शेष राशि			70.63
उपार्जित परिशोधन एवं हानि			कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
01.04.2015 को शेष राशि			-
परिशोधन व्यय			2.02
निपटान			-
31.03.2016 को शेष राशि			2.02
परिशोधन व्यय			7.83
निपटान			-
31.03.2017 को शेष राशि			9.85
रखरखाव :			कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
01.04.2015 को शेष राशि			-
परिग्रहीतियाँ			14.66
निपटान			-
परिशोधन व्यय			2.02
31.03.2016 को शेष राशि			12.64
परिग्रहीतियाँ			55.97
निपटान			-
परिशोधन व्यय			7.83
31.03.2017 को शेष राशि			60.78

सही/-
चेतन जयसवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

9. विकास के तहत कुल अमूर्त संपत्ति

	को शेष राशि 31.03.2017	को शेष राशि 31.03.2016	राशि रु. करोड़ में को शेष राशि 01.04.2015
विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	8.72	15.99	24.99
विकास के तहत कुल अमूर्त संपत्ति	8.72	15.99	24.99
रखाव राशि :			विकास के तहत अमूर्त संपत्ति
01.04.2015 को शेष राशि			24.99
परिग्रहीतियाँ			5.66
अन्य समायोजन			-
वर्ष के दौरान पूंजीकृत किया गया			(14.66)
31.03.2016 को शेष राशि			15.99
परिग्रहीतियाँ			48.70
अन्य समायोजन			-
वर्ष के दौरान पूंजीकृत किया गया			(55.97)
31.03.2017 को शेष राशि			8.72

10. निवेश – गैर चालू

I. अन्य निवेश

व्युत्पन्न निवेश

	को शेष राशि 31.03.2017		को शेष राशि 31.03.2016		को शेष राशि 01.04.2015	
	मात्रा इकाइयों में	राशि रु. करोड़ में	मात्रा इकाइयों में	राशि रु. करोड़ में	मात्रा इकाइयों में	राशि रु. करोड़ में
अ) इक्विटी उपकरणों में निवेश (पूर्णतः अंश भुगतान)						
- मण्डला ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति (31 मार्च 2017, 31 मार्च 2016 एवं 01 अप्रैल 2015 :- 104 शेयर रु. 50,000 प्रत्येक)	104.00	0.52	104.00	0.52	104.00	0.52
- बंडा ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति (31 मार्च 2017, 31 मार्च 2016 एवं 01 अप्रैल 2015 :- 13 शेयर रु. 5,00,000 प्रत्येक)	13.00	0.65	13.00	0.65	13.00	0.65
- बंडा ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति (31 मार्च 2017, 31 मार्च 2016 एवं 01 अप्रैल 2015 :- 2 शेयर रु. 1,00,000 प्रत्येक)	2.00	0.02	2.00	0.02	2.00	0.02
- शीवा ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति (31 मार्च 2017, 31 मार्च 2016 एवं 01 अप्रैल 2015 :- 69 शेयर रु. 50,000 प्रत्येक)	69.00	0.35	69.00	0.35	69.00	0.35
- सतना ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति (31 मार्च 2017, 31 मार्च 2016 एवं 01 अप्रैल 2015 :- 1 शेयर रु. 64,77,864 प्रत्येक)	1.00	0.65	1.00	0.65	1.00	0.65
- सीधी ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति (31 मार्च 2017, 31 मार्च 2016 एवं 01 अप्रैल 2015 :- 101 शेयर रु. 50,000 प्रत्येक)	101.00	0.51	101.00	0.51	101.00	0.51
- नौगांव ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति (31 मार्च 2017, 31 मार्च 2016 एवं 01 अप्रैल 2015 :- 1 शेयर रु. 97,50,000 प्रत्येक)	1.00	0.98	1.00	0.98	1.00	0.98
- लांझी ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति (31 मार्च 2017, 31 मार्च 2016 एवं 01 अप्रैल 2015 :- 1 शेयर रु. 54,00,000 प्रत्येक)	1.00	0.54	1.00	0.54	1.00	0.54
- पांडुर्ना ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति (31 मार्च 2017, 31 मार्च 2016 एवं 01 अप्रैल 2015 :- 39,000 शेयर रु. 100 प्रत्येक)	39,000.00	0.39	39,000.00	0.39	39,000.00	0.39
	39,292.00	4.61	39,292.00	4.61	39,292.00	4.61
- निवेश के मूल्य में हानि		(4.61)		(4.61)		(4.61)
निवेश की हानि		(4.61)		(4.61)		(4.61)
कुल – अन्य गैर – मौजूदा निवेश		-		-		-
अतिरिक्त जानकारी						
उद्धृत निवेश और बाजार मूल्य की कुल राशि		-		-		-
बिना निवेश वाले निवेश की कुल राशि		4.61		4.61		4.61
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि		(4.61)		(4.61)		(4.61)

सही/-
चेतन जयसवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

राशि रु. करोड़ में

11. ऋण

A. गैर-चालू

	31.03.2017 को शेष राशि	31.03.2016 को शेष राशि	01.04.2015 को शेष राशि
(a) कर्मचारियों को ऋण असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	0.12	0.18	0.23
(b) अन्य को ऋण . आरई सोसायटी को दिया गया ऋण असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है	-	-	0.38
कम : सदोष और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-	(0.38)
कुल गैर-वर्तमान ऋण	0.12	0.18	0.23

B. चालू

	31.03.2017 को शेष राशि	31.03.2016 को शेष राशि	01.04.2015 को शेष राशि
(a) कर्मचारियों को ऋण असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	0.01	0.02	0.03
(b) अन्य को ऋण - आरई सोसाइटी को दिया गया ऋण असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है	4.45	4.45	4.07
कम : सदोष और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	(4.45)	(4.45)	(4.07)
कुल चालू ऋण	0.01	0.02	0.03

सही/-
चेतन जयसवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

12. अन्य वित्तीय संपत्तियाँ

राशि रु. करोड़ में

A. गैर-चालू

	31.03.2017 को शेष राशि	31.03.2016 को शेष राशि	01.04.2015 को शेष राशि
(a) उपभोक्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं से प्रतिभूति जमा	7.04	8.29	8.21
(b) अन्य प्राप्य			
i) ब्याज अर्जित किया, लेकिन कर्मचारी ऋण के कारण नहीं	1.66	1.84	2.25
कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय संपत्तियाँ	8.70	10.13	10.46
गैर मौजूदा अन्य वित्तीय संपत्ति का वर्गीकरण:			
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	7.04	8.29	8.21
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	1.66	1.84	2.25
- संदिग्ध	-	-	-
	8.70	10.13	10.46

B. चालू

	31.03.2017 को शेष राशि	31.03.2016 को शेष राशि	01.04.2015 को शेष राशि
(a) कर्मचारियों के लिए अग्रिम	1.19	1.23	1.08
(b) ब्याज अर्जित और देय			
i) आरई सोसाइटी ऋण पर	1.17	1.17	1.17
(c) अन्य प्राप्य			
i) ब्याज अर्जित किया, लेकिन कर्मचारी ऋण के कारण नहीं	0.21	0.33	0.33
ii) बकाया राजस्व के लिए प्रावधान	348.83	133.78	123.28
iii) कर्मचारियों से वसूल योग्य राशि	0.22	0.07	0.22
iv) अन्य विविध प्राप्य	9.43	20.37	4.00
सकल अन्य मौजूदा वित्तीय संपत्तियाँ	361.05	156.95	130.08
कम: खराब और संदिग्ध मौजूदा वित्तीय संपत्ति के लिए भत्ता			
(a) आरई सोसाइटी ऋण पर अर्जित ब्याज और देय है	(1.17)	(1.17)	(1.17)
खराब और संदिग्ध मौजूदा वित्तीय संपत्ति के लिए कुल भत्ता	(1.17)	(1.17)	(1.17)
कुल अन्य मौजूदा वित्तीय संपत्तियाँ	359.88	155.78	128.91
मौजूदा अन्य वित्तीय संपत्तियों का वर्गीकरण:			
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-	-
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	359.88	155.78	128.91
- संदिग्ध	1.17	1.17	1.17
	361.05	156.95	130.08

सही/-
चेतन जयसवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

13. अन्य संपत्तियाँ
A. गैर-चालू

राशि रु. करोड़ में

	31.03.2017 को शेष राशि	31.03.2016 को शेष राशि	01.04.2015 को शेष राशि
(a) पूंजी अग्रिम असुरक्षित अच्छा माना जाता है	677.43	660.74	573.78
(b) जमा			
i) सांविधिक प्रयोजन के लिए	14.06	11.46	7.07
ii) अन्य जमा	6.73	1.00	1.24
(c) गारंटी फीस के परिशोधन के शेष	11.01	12.63	14.25
कुल अन्य गैर – चालू संपत्तियाँ	709.23	685.83	596.34
अन्य गैर – चालू संपत्तियों का वर्गीकरण :			
– सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-	-
– असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	709.23	685.83	596.34
– संदिग्ध	-	-	-
सकल अन्य गैर – चालू संपत्ति	709.23	685.83	596.34

B. चालू

	31.03.2017 को शेष राशि	31.03.2016 को शेष राशि	01.04.2015 को शेष राशि
(a) अग्रिम कर	6.00	7.25	5.18
(b) आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के लिए अग्रिम असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-	0.59
(c) सरकार से प्राप्य सब्सिडी	14.80	175.37	318.14
(d) अन्य			
i) गारंटी शुल्क के परिशोधन के शेष	1.62	4.94	4.86
ii) युप कंपनियों से प्राप्य – एमपीपीजीसीएल से	18.80	2.28	2.42
iii) सरकार से अन्य प्राप्य	262.87	297.68	339.42
iv) अन्य प्राप्य	143.83	41.34	36.20
सकल अन्य चालू संपत्ति	447.92	528.86	706.81
अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों का वर्गीकरण :			
– सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-	-
– असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	447.92	528.86	706.81
– संदिग्ध	-	-	-
सकल अन्य चालू संपत्ति	447.92	528.86	706.81

14. सूची (लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के कम)

राशि रु. करोड़ में

	31.03.2017 को शेष राशि	31.03.2016 को शेष राशि	01.04.2015 को शेष राशि
(a) स्टोर और स्पेयर	39.96	150.98	97.09
कुल सूची	39.96	150.98	97.09

सही/-
चेतन जयसवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

राशि रु. करोड़ में

15. व्यापार प्राप्य

B. चालू

	31.03.2017 को शेष राशि	31.03.2016 को शेष राशि	01.04.2015 को शेष राशि
(a) बिजली बिक्री			
- एचटी उपभोक्ता	234.78	422.89	506.27
- एलटी उपभोक्ताओं	3,582.71	2,953.65	2,726.42
(b) अन्य प्राप्तियां	6.94	9.94	13.49
सकल व्यापार प्राप्तियां	3,824.43	3,386.48	3,246.18
कम: संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता	(1,109.38)	(1,028.02)	(990.07)
शुद्ध व्यापार प्राप्तियां	2,715.05	2,358.46	2,256.11
व्यापार प्राप्तियों का वर्गीकरण:			
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	646.12	442.52	434.06
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	2,068.93	1,915.94	1,822.05
संदिग्ध	1,109.38	1,028.02	990.07
सकल व्यापार प्राप्तियां	3,824.43	3,386.48	3,246.18

16. नकद और नकद समकक्ष

राशि रु. करोड़ में

	31.03.2017 को शेष राशि	31.03.2016 को शेष राशि	01.04.2015 को शेष राशि
(a) हस्तगत रोकड़ और चेक	14.03	18.17	1.19
(b) बैंकों के साथ शेष राशि			
(1) अनुसूचित बैंकों के साथ शेष			
(i) चालू खाते में	378.21	441.56	421.52
कुल नकद और समकक्ष	392.24	459.73	422.71

सही/-
चेतन जयसवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

राशि रु. करोड़ में

17. शेयर पूंजी

	31.03.2017 को शेष राशि	31.03.2016 को शेष राशि	01.04.2015 को शेष राशि
इक्विटी शेयर पूंजी			
इक्विटी शेयर पूंजी	1,883.54	1,832.80	1,790.20
अधिकृत शेयर पूंजी:	1,883.54	1,832.80	1,790.20
50,00,00,000 समता अंश प्रत्येक राशि रु. 100 प्रति अंश (31.03.2016 तक 25,00,00,000 समता अंश प्रत्येक राशि रु. 100 प्रति अंश और 01.04.2015 तक 25,00,00,000 समता अंश प्रत्येक राशि रु. 100 प्रति अंश)	5,000.00	2,500.00	2,500.00
जारी और अभिदत्त पूंजी में शामिल है:	5,000.00	2,500.00	2,500.00
10,13,00,047 समता अंश प्रत्येक राशि रु. 100 प्रति अंश समता अंशों का निर्गमन नकद प्रतिफल के अलावा (31.03.2016 तक 9,62,26,547 समता अंश प्रत्येक राशि रु. 100 प्रति अंश और 01.04.2015 तक 9,19,66,547 समता अंश प्रत्येक राशि रु. 100 प्रति अंश)	1,013.00	962.26	919.66
8,70,53,950 समता अंश प्रत्येक राशि रु. 100 प्रति अंश समता अंशों का निर्गमन नकद प्रतिफल के अलावा (31.03.2016 तक 8,70,53,950 समता अंश प्रत्येक राशि रु. 100 प्रति अंश और 01.04.2015 तक 8,70,53,950 समता अंश प्रत्येक राशि रु. 100 प्रति अंश)	870.54	870.54	870.54
	1,883.54	1,832.80	1,790.20

17.1 पूर्णतः संदत्त इक्विटी शेयर

	शेयरों की संख्या	राशि रु. करोड़ में
01.04.2015 को शेष राशि	179,020,497	1,790.20
शेयर जारी करना	4,260,000	42.60
31.03.2016 को शेष राशि	183,280,497	1,832.80
इशेयर जारी	5,073,500.00	50.74
31.03.2016 को शेष राशि	188,353,997	1,883.54

17.2 इक्विटी शेयरों से जुड़े अधिकार

कंपनी का इक्विटी शेयरों की एक श्रेणी है, जो कि 100 रुपये प्रति शेयर के बराबर मूल्य पर है। प्रत्येक शेयरधारक, आयोजित एक प्रतिशेयर एक वोट के लिए योग्य है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, अंतरिम लाभांश के मामले में छोड़कर, आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक अपने शेयर धारक अपने शेयरधारिता के अनुपात में सभी तरजीही मात्रा के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

17.3 प्रत्येक शेयरधारक के शेयरों का 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरों का विवरण

	31.03.2017 को शेष राशि		31.03.2016 को शेष राशि		01.04.2015 को शेष राशि	
	अंशों की संख्या	स्वामित्व का %	अंशों की संख्या	स्वामित्व का %	अंशों की संख्या	स्वामित्व का %
पूर्णतः संदत्त इक्विटी शेयर						
मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	188,353,987	100.00%	183,280,487	100.00%	179,020,487	100.00%

सही/-
चेतन जयसवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

राशि रु. करोड़ में

18. अन्य इक्विटी

	31.03.2017 को शेष राशि	31.03.2016 को शेष राशि	01.04.2015 को शेष राशि
(a) शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	1,438.89	25.52	26.70
(b) बीमा संशय	110.04	110.04	110.04
(c) प्रतिपारित कमाई			
(i) लाभ और हानि	(12,568.21)	(11,780.45)	(9,932.09)
कुल	(11,019.28)	(11,644.89)	(9,795.35)

अन्य इक्विटी	संशय और अधिशेष			कुल
	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	बीमा संशय	प्रतिपारित उपार्जन लाभ और हानि	
01.04.2015 को शेष राशि	26.70	110.04	(9,932.09)	(9,795.35)
इस साल का लाभ	-	-	(1,848.36)	(1,848.36)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	-	-
वर्ष के दौरान आवंटित शेयर आवेदन राशि	(42.60)	-	-	(42.60)
वर्ष के दौरान शेयर आवेदन राशि प्राप्त किया लंबित आवंटन	41.42	-	-	41.42
31.03.2016 को शेष राशि	25.52	110.04	(11,780.45)	(11,644.89)
इस साल का लाभ	-	-	(787.76)	(787.76)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	-	-
वर्ष के दौरान आवंटित शेयर आवेदन राशि	(50.74)	-	-	(50.74)
वर्ष के दौरान शेयर आवेदन राशि प्राप्त किया लंबित आवंटन	1,464.11	-	-	1,464.11
प्रतिधारित उपार्जन पर स्थानांतरण	-	-	-	-
प्रतिधारित उपार्जन से स्थानांतरण	-	-	-	-
31.03.2017 को शेष राशि	1,438.89	110.04	(12,568.21)	(11,019.28)

सही/-
चेतन जयसवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

राशि रु. करोड़ में

19. उधार

	31.03.2017 को शेष राशि	31.03.2016 को शेष राशि	31.03.2015 को शेष राशि
A. असुरक्षित – परिशोधित लागत पर			
(i) अवधि ऋण			
राज्य सरकार से (नीचे नोट (i) देखें)			
मध्यप्रदेश सरकार – एडीबी	944.21	884.01	821.79
मध्यप्रदेश सरकार – आरजीजीवीवाई योजना	86.26	77.24	64.34
मध्यप्रदेश सरकार – एडीबी – जेनेरिक ऋण	19.52	21.01	22.51
मध्यप्रदेश सरकार – एसटीएन/टीएसपी/एससीएसपी योजना ऋण*	144.82	175.96	131.52
वित्तीय संस्थानों से (नीचे नोट (i) देखें)			
आरईसी – एमटीएल	-	145.83	320.83
आरईसी – जेनेरिक ऋण	-	74.58	102.11
पीएफसी – जेनेरिक ऋण	-	0.28	0.85
अन्य संस्थाएं	7.34	7.34	11.17
(ii) अन्य ऋण			
“मध्यप्रदेश सरकार से स्थायी ऋण (नोट नीचे देखें (i))”	9,867.82	9,211.71	8,601.91
“मध्यप्रदेश सरकार से कार्यशील पूंजी ऋण (नोट नीचे देखें (i))”	399.80	375.40	285.95
कुल असुरक्षित उधार	11,469.77	10,973.36	10,362.98
B. सुरक्षित – परिशोधित लागत पर			
(i) अवधि ऋण (नोट नीचे देखें (i))			
- बैंकों से			
भारतीय स्टेट बैंक	-	20.87	27.14
वित्तीय संस्थानों से (नीचे नोट (i) देखें)			
आरईसी	111.78	699.83	670.77
पीएफसी	232.97	202.10	171.30
हुडको	8.25	76.17	90.69
कुल सुरक्षित उधार	353.00	998.97	959.90
कुल गैर – चालू उधार	11,822.77	11,972.33	11,322.88

सही/-
चेतन जयसवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

राशि रु. करोड़ में

19.1 उधार व्यवस्था का सारांश और पुनर्भुगतान की शर्तें नीचे दी गई हैं:

ऋण एजेंसी	ऋण योजना का नाम	ऋण राशि स्वीकृत (करोड़ रुपये में)	31/03/17 तक शेष	31/03/16 तक शेष	01/04/15 तक शेष	व्याज दर	पुनर्भुगतान के लिए नियम और शर्तें			प्रतिभू का विवरण	सरकारी प्रत्याभूति
			मूलधन देय नहीं	मूलधन देय नहीं	मूलधन देय नहीं		अधिस्थगन अवधि	मूलधन पुनर्भुगतान अवधि	व्याज चुकौती		
1) सुरक्षित कर्ज											
पीएफसी	एडीबी काउंटर पार्ट फंडिंग	64.33	-	22.77	10.25	10.50% से 12.75%	15 अक्टूबर 2017 तक	15 अप्रैल, 15 जुलाई, 15 अक्टूबर और 15 जनवरी को त्रैमासिक भुगतान हर साल।	मूलधन के समान ही	भविष्य की परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक तत्काल ऋण से 64.33 करोड़ रुपये तक बनाया जाएगा।	-
	आरएपीडी आरपी भाग ए और बी	297.86	232.97	207.96	178.64	वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित (वर्तमान में 9.00%)	-	हर साल 15 जून से शुरू होने वाली 10 बराबर मासिक किश्त।	ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पीएफसी को ऋण जारी करने की तारीख से व्याज अर्जित होगा। हालांकि भुगतान मूलधन किश्त के साथ देय होगा	100% एक्सपोजर की सीमा तक तत्काल ऋण से बनाए गए पहले शुल्क के माध्यम से सुरक्षित।	-
उप कुल - A		-	232.97	230.73	188.89						
आरईसी	फीडर पृथक्करण	835.92	30.20	310.82	306.81	वितरण के समय प्रचलित (11% से 12.5%)	15 जनवरी 2015 तक	10 समान वार्षिक किश्तों	तिमाही भुगतान 20 मार्च, 20 जून, 20 सितम्बर और 20 दिसम्बर को हर साल।	भविष्य की परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक तत्काल ऋण से 835.92 करोड़ रुपये तक बनाया जाएगा	राज्य सरकार ऋण राशि के मूल्य के 120% के लिए गारंटी।
	जेबीआईसी	107.22	-	65.65	75.03	वितरण के समय प्रचलित (9% से 12.5%)	15 अक्टूबर 2013 तक	10 समान वार्षिक किश्तों	तिमाही भुगतान 20 मार्च, 20 जून, 20 सितम्बर और 20 दिसम्बर को हर साल।	भविष्य की परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक तत्काल ऋण से 107.22 करोड़ रुपये तक बनाया जाएगा।	राज्य सरकार ऋण राशि के मूल्य के 30% के लिए गारंटी
	आरएपीडी आरपी भाग-बी	496.84	60.07	299.05	238.03	वितरण के समय प्रचलित (10.5% से 12.5%)	15 अक्टूबर 2016 तक	10 समान वार्षिक किश्तों	तिमाही भुगतान 20 मार्च, 20 जून, 20 सितम्बर, और 20 दिसम्बर को हर साल।	भविष्य की परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक तत्काल ऋण से 496.84 करोड़ रुपये तक बनाया जाएगा।	राज्य सरकार ऋण राशि के मूल्य के 120% के लिए गारंटी।
	एडीबी काउंटर पार्ट फंडिंग	135.58	21.50	39.51	39.51	12.25%	15 दिसम्बर 2018 तक	10 समान वार्षिक किश्तों	तिमाही भुगतान 20 मार्च, 20 जून, 20 सितम्बर और 20 दिसम्बर को हर साल।	भविष्य की परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक तत्काल ऋण से 135.58 करोड़ रुपये तक बनाया जाएगा	राज्य सरकार ऋण राशि के मूल्य के 30% के लिए गारंटी।
	डीटीआर	60.95	-	54.86	54.86	वितरण के समय प्रचलित (11% से 12.5%)	15 सितम्बर 2017 तक	10 समान वार्षिक किश्तों	तिमाही भुगतान 20 मार्च 20 जून, 20 सितम्बर और 20 दिसम्बर को हर साल	भविष्य की परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक तत्काल ऋण से 60.95 करोड़ रुपये तक बनाया जाएगा	-
उपकुल - B		-	111.78	769.88	714.23						
हुडको - C	पीटीआर और डीटीआर का विस्तार	222.00	22.77	90.69	105.21	10.50%	-	फरवरी 2009 से शुरू होने वाली 54 तिमाही किश्तों में प्रतिदेय। मई 2022 में अंतिम किश्त।	तिमाही भुगतान 28/29 फरवरी, 31 मई, 31 अगस्त और 30 नवम्बर को हर साल।	भविष्य की परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक तत्काल ऋण से 222.00 करोड़ रुपये तक बनाया जाएगा।	-
भारतीय स्टेट बैंक - D	एडीबी काउंटर पार्ट फंडिंग	185.00	-	25.21	31.48	13.15%	-	31 जुलाई 2012 से शुरू होने वाली 120 मासिक किश्तों में प्रतिदेय। 30 जून 2022 में अंतिम किश्त।	मासिक	भविष्य में पहले चार्ज के माध्यम से सुरक्षित बैंक के एक्सपोजर के 111% की सीमा तक तत्काल ऋण से बनाई गई सावधि संपत्ति रु. 203.50 करोड़।	-
(I) कुल सुरक्षित ऋण (A+B+C+D)		-	367.52	1116.51	1039.81						

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

राशि रु. करोड़ में

ऋण एजेंसी	ऋण योजना का नाम	ऋण राशि स्वीकृत (करोड़ रुपये में)	31/03/17 तक शेष	31/03/16 तक शेष	01/04/15 तक शेष	ब्याज दर	पुनर्भुगतान के लिए नियम और शर्तें			प्रतिभू का विवरण	सरकारी प्रत्याभूति
			मूलधन देय नहीं	मूलधन देय नहीं	मूलधन देय नहीं		अधिस्थगन अवधि	मूलधन पुनर्भुगतान अवधि	ब्याज चुकोती		
2) असुरक्षित ऋण											
पीएफसी	आरटीएल	30.54	-	0.85	2.27	11.50% To 12.75%	-	त्रैमासिक किस्त	मूलधन के समान ही		
आरईसी	एमटीएल	350.00	-	320.83	350.00	12.25%	28 फरवरी 2016 तक	अधिस्थगन अवधि के बाद 24 ईएमआई	मासिक	-	राज्य सरकार ऋण राशि के मूल्य के 100% के लिए गारंटी।
	अवधि ऋण (एमपी एसईबी)	260.94	-	42.74	54.95	11.64%	-	मासिक ईएमआई	मूलधन के समान ही	-	एमपीएसईबी द्वारा सरकारी गारंटी ली गई
				59.37	73.52	7.94%	-	मासिक ईएमआई	मूलधन के समान ही	-	एमपीएसईबी द्वारा सरकारी गारंटी ली गई
कुल एफआई (A)		-	0.00	423.79	480.74						
मध्यप्रदेश सरकार एडीबी	एडीबी-2324	203 (Approx)	142.04	151.51	160.98	एडीबी दरें (लिबोर + स्प्रेड-रीबोट छूट+ 1%)	15 जुलाई 2012 तक	40 समान छमाही किस्तों	अर्धवार्षिक	-	-
	एडीबी-2327	90 (Approx)	58.42	62.19	65.96	एडीबी दरें (लिबोर + स्प्रेड-रीबोट छूट+ 1%)	15 जनवरी 2013 तक	40 समान छमाही किस्तों	अर्धवार्षिक	-	-
	एडीबी-2520	290 (Approx)	208.93	221.22	233.51	एडीबी दरें (लिबोर + स्प्रेड-रीबोट छूट+ 1%)	15 जुलाई 2014 तक	40 समान छमाही किस्तों	अर्धवार्षिक	-	-
	एडीबी-2764	341 (Approx)	165.84	138.07	128.09	एडीबी दरें (लिबोर + स्प्रेड-रीबोट छूट+ 1%)	15 जुलाई 2016 तक	40 समान छमाही किस्तों	अर्धवार्षिक	-	-
	एडीबी-2830	376 (Approx)	262.42	231.20	199.44	एडीबी दरें (लिबोर + स्प्रेड-रीबोट छूट+ 1%)	1 जून 2017 तक	40 समान छमाही किस्तों	अर्धवार्षिक	-	-
	एडीबी-2732	22 (Approx)	21.94	23.13	20.38	एडीबी दरें (लिबोर + स्प्रेड-रीबोट छूट+ 1%)	15 जनवरी 2016 तक	40 समान छमाही किस्तों	अर्धवार्षिक	-	-
	एडीबी-3066	160 (Approx)	133.99	90.30	39.47	एडीबी दरें (लिबोर + स्प्रेड-रीबोट छूट+ 1%)	15 मई 2019 तक	40 समान छमाही किस्तों	अर्धवार्षिक	-	-
	एडीबी-ओल्ड (एमपीएसईबी से स्थानांतरित)	35.11	21.01	22.51	24.00	10.50%	-	20 समान वार्षिक किस्त	अर्धवार्षिक	-	-
कुल मध्यप्रदेश सरकार एडीडी (B)		-	1014.60	940.14	871.83						

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

राशि रु. करोड़ में

ऋण एजेंसी	ऋण योजना का नाम	ऋण राशि स्वीकृत (करोड़ रुपये में)	31/03/17 तक शेष	31/03/16 तक शेष	01/04/15 तक शेष	ब्याज दर	पुनर्भुगतान के लिए नियम और शर्तें			प्रतिभू का विवरण	सरकारी प्रत्याभूति
			मूलधन देय नहीं	मूलधन देय नहीं	मूलधन देय नहीं		अधिस्थगन अवधि	मूलधन पुनर्भुगतान अवधि	ब्याज चुकोती		
मध्यप्रदेश सरकार	अवधि ऋण (योजना निधि)	319.89	196.79	228.17	164.40	14.50% To 16.50%	-	5 समान वार्षिक किस्तों	वार्षिक किस्तों	-	-
	आईपीडीएस ऋण	15.00	15.00	-	-	14.50%	-	5 समान वार्षिक किस्तों	वार्षिक किस्तों	-	-
	सतत ऋण	9867.82	9867.82	9211.71	8601.91	एसबीआई बेस रेट	3 साल तक	-	ब्याज भुगतान वित्त वर्ष 17-18 से शुरू होगा	-	-
	आरईसी-आरजी जीवीवाई	114.65	92.99	82.68	68.33	5.00%	5 साल की अधिस्थगन अवधि केवल मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राशि के लिए प्रदान की गई है	10 बराबर वार्षिक किस्त (आदेशानुसार)	वार्षिक किस्तों	-	-
कुल मध्यप्रदेश सरकार (C)		-	10172.59	9522.56	8834.64						
(II) कुल असुरक्षित ऋण (A+B+C)		-	11187.19	10886.49	10187.21						
3) लघु कार्यशील पूंजी ऋण											
आरईसी	एसटीएल	150.00	-	150.00	-	12.00%	जून-16 तक	6 समान मासिक किस्त	हर महीने 15वीं तारीख	-	शासकीय गारंटी राशि रु. 150.00 करोड़
पीएफसी	एसटीएल	200.00	-	200.00	-	11.25%	अगस्त-26 तक	अधिस्थगन अवधि के बाद 6 ईएमआई	हर महीने 15वीं तारीख	-	शासकीय गारंटी राशि रु. 200.00 करोड़
पीएफसी	एसटीएल	300.00	-	-	-	11.50%	दिसम्बर - 16 तक	अधिस्थगन अवधि के बाद 6 ईएमआई	हर महीने 15वीं तारीख	-	-
मध्यप्रदेश सरकार	एसटीएल	357.44	214.47	285.95	357.44	14.50%	आदेश की तारीख से 1 वर्ष	5 वार्षिक किस्त	वार्षिक किस्तों	-	-
		256.83	256.83	160.94	-	9.10% से 9.30%	आदेश की तारीख से 3 वर्ष	48 बराबर त्रैमासिक किस्तों	वार्षिक किस्तों	-	-
(III) कुल कार्यशील पूंजी ऋण		-	471.30	796.89	357.44						
4) अन्य											
		-	7.34	7.34	11.17	13.70% से 17.00%	-	भुगतान के लिए अतिदेय	भुगतान के लिए अतिदेय	-	-
(IV) कुल		-	7.34	7.34	11.17						
(V) कुल योग		-	12033.35	12807.23	10862.63						

सही/-
चेतन जयसवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

राशि रु. करोड़ में

20. व्यापार देनदारियां
B. चालू

	31.03.2017 को शेष राशि	31.03.2016 को शेष राशि	31.03.2015 को शेष राशि
(1) पूंजीगत आपूर्ति के लिए लेनदेन			
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए बकाया	-	-	-
- अन्य			
(2) आपूर्ति और सेवाओं के लिए लेनदेन			
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए बकाया	-	-	-
- अन्य	2,606.24	2,112.33	2,042.82
(3) उपार्जित मजदूरी और वेतन के लिए लेनदारों	82.35	69.48	61.01
कुल चालू व्यापार देनदारियां	2,688.59	2,181.81	2,103.83

टिप्पणियाँ :

20.1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित सूक्ष्म एंड लघु एंटरप्राइजेज के लिए देय बकाया निर्धारित किया गया है कि इस तरह की पार्टियों को कंपनी के साथ उपलब्ध सूचना के आधार पर पहचान की गई है।

21. प्रावधान

A. गैर – चालू

	31.03.2017 को शेष राशि	31.03.2016 को शेष राशि	31.03.2015 को शेष राशि
(a) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्वों			
(1) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्वों			
(i) पेंशन दायित्व	1,151.79	1,032.33	527.44
(ii) ग्रेच्युटी दायित्व	149.98	129.46	98.39
(2) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ			
(i) मुआवजा की अनुपस्थिति	5.05	4.72	2.13
(ii) अन्य	(2.95)	0.83	2.56
कुल गैर चालू प्रावधान	1,303.87	1,167.34	630.52

22. आस्थगित राजस्व

A. गैर चालू

	31.03.2017 को शेष राशि	31.03.2016 को शेष राशि	31.03.2015 को शेष राशि
(a) सरकारी अनुदान से			
(i) आरजीजीवीवाई योजना के लिए	1,033.47	848.26	736.85
(ii) अन्य के लिए	349.20	321.15	360.09
(b) ग्राहकों से प्राप्त परिसंपत्तियों के प्रति जमाराशि	184.59	196.00	111.51
कुल गैर चालू आस्थगित आय	1,567.26	1,365.41	1,208.45

B. चालू

	31.03.2017 को शेष राशि	31.03.2016 को शेष राशि	31.03.2015 को शेष राशि
(a) सरकारी अनुदान से			
(i) आरजीजीवीवाई योजना के लिए	55.46	51.04	44.72
(ii) अन्य के लिए	31.36	28.22	24.00
(b) ग्राहकों से प्राप्त परिसंपत्तियों के प्रति जमाराशि	28.05	20.80	16.36
कुल चालू आस्थगित आय	114.87	100.06	85.08

20.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के खिलाफ प्राप्त लाभ के परिणामस्वरूप आस्थगित राजस्व प्राप्त होता है और राजस्व को अन्य आय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

सही/-
चेतन जयसवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

राशि रु. करोड़ में

23. अन्य देनदारियां

	31.03.2017 को शेष राशि	31.03.2016 को शेष राशि	01.04.2015 को शेष राशि
(i) जमा			
- आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों से	0.04	0.04	0.04
- पूंजीगत संपत्ति के प्रति उपभोक्ता योगदान के लिए	84.09	58.14	44.29
- अस्थाई कनेक्शन और उपभोक्ताओं से अन्य जमा के लिए जमाराशि	50.14	163.00	159.13
(ii) ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	0.12	5.19	5.03
(iii) सरकार को देय शुल्क/अन्य लेवी	5.69	51.60	29.37
(iv) मध्यप्रदेश सरकार को देय राशि	26.43	15.07	18.46
(v) समूह कंपनियों को देय			
- एमपीपीटीसीएल को देय	34.99	32.37	26.48
- एमपीएमकेवीवीसीएल, भोपाल को देय	6.49	6.49	5.79
- एमपीपीकेवीवीसीएल, इंदौर को देय	5.80	5.79	(0.46)
(vi) अन्य देनदारियां			
- अन्य देनदारियां	(13.90)	44.31	70.84
कुल अन्य वर्तमान देयताएं	199.89	382.00	358.97

24. वर्तमान उधार

	31.03.2017 को शेष राशि	31.03.2016 को शेष राशि	01.04.2015 को शेष राशि
A. सुरक्षित – परिशोधित लागत पर			
(i) अवधि ऋण (नीचे नोट (vi) देखें)			
- वित्तीय संस्थानों से (नोट (ii) और (iii) नीचे देखें)			
आरईसी	-	150.00	-
पीएफसी	-	200.00	-
कुल वर्तमान उधार	-	350.00	-

25. अन्य वित्तीय देयताएं

(परिशोधित लागत पर वर्गीकृत)

A. गैर चालू

	31.03.2017 को शेष राशि	31.03.2016 को शेष राशि	01.04.2015 को शेष राशि
(i) उपभोक्ताओं से सुरक्षा जमा	646.12	442.52	434.06
कुल अन्य गैर चालू देनदारियां	646.12	442.52	434.06

B. चालू

	31.03.2017 को शेष राशि	31.03.2016 को शेष राशि	01.04.2015 को शेष राशि
(a) दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता	210.59	484.91	272.75
(b) उधार का अतिदेय पुनर्भुगतान	401.47	285.52	100.21
(c) ब्याज अतिदेय	398.52	296.35	125.78
(d) आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से जमा :			
(i) प्रदायक/ठेकेदारों से जमा	62.24	71.50	69.03
(ii) ठेकेदारों से जमा (बीजी एनकैशमेंट)	95.41	130.13	88.82
(iii) उपभोक्ताओं से अस्थायी कनेक्शन और अन्य जमा के लिए जमाराशि	0.03	1.70	1.69
(e) अर्जित ब्याज, लेकिन उधारों के कारण नहीं	111.20	73.46	113.15
(f) अन्य भुगतान			
- स्टैंप के लिए दायित्व	0.24	2.36	0.26
- मध्यप्रदेश सरकार को देय प्रतिबद्धता शुल्क के लिए दायित्व	13.02	9.64	8.36
- अन्य देनदारियां	0.34	0.89	4.12
कुल अन्य मौजूदा वित्तीय देयताएं	1,293.06	1,356.46	784.17

टीप :

25.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज को देय बकाया राशि निर्धारित की गई है, इस तरह की पार्टियों को कंपनी के साथ उपलब्ध सूचना के आधार पर पहचान की गई है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

राशि रु. करोड़ में

25.1 ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान में तलन पत्र की तारीख के रूप में निरंतर डिफॉल्ट का विवरण

ऋण एजेंसी	ऋण/योजना लाभ	31/03/17 तक				31/03/16 तक				01/04/15 तक			
		मूलधन पुनर्भुगतान	डिफॉल्ट की तिथि से	ब्याज पुनर्भुगतान	डिफॉल्ट की तिथि से	मूलधन पुनर्भुगतान	डिफॉल्ट की तिथि से	ब्याज पुनर्भुगतान	डिफॉल्ट की तिथि से	मूलधन पुनर्भुगतान	डिफॉल्ट की तिथि से	ब्याज पुनर्भुगतान	डिफॉल्ट की तिथि से
वित्तीय संस्था	पीएफसी (आरपीडीआरपी)	5.98	15-Jun-15	17.02	15-Jun-15	24.85	15-Jun-15	16.61	15-Jun-15	-	-	-	-
	आरईसी	-	-	-	-	0.13	15-Jan-16	23.36	20-Mar-16	-	-	-	-
A	कुल योग	5.98		17.02		24.98		39.97		0.00		0.00	
मध्यप्रदेश सरकार एडीबी	एडीबी-2324	46.66	1-Jul-12	22.20	1-Jan-10	37.19	1-Jul-12	17.79	1-Jan-10	27.71	1-Jul-12	14.40	1-Jan-10
	एडीबी-2347	16.77	1-Jan-13	7.72	1-Jan-10	13.00	1-Jan-13	5.96	1-Jan-10	9.23	1-Jan-13	4.61	1-Jan-10
	एडीबी-2520	36.74	1-Jul-14	21.33	1-Jan-10	24.45	1-Jul-14	16.08	1-Jan-10	12.16	1-Jul-14	12.16	1-Jan-10
	एडीबी-2764	7.56	15-Jul-16	9.54	1-Jan-12	-	-	6.15	1-Jan-12	-	-	3.88	1-Jan-12
	एडीबी-2830	-	-	14.66	1-Dec-12	-	-	8.86	1-Dec-12	-	-	5.02	1-Dec-12
	एडीबी-2732	1.78	15-Jan-16	1.17	1-Jan-13	0.59	15-Jan-16	0.64	1-Jan-13	-	-	0.24	1-Jan-13
	एडीबी-3066	-	-	4.23	1-Nov-14	-	-	1.53	1-Nov-14	-	-	0.35	1-Nov-14
	एडीबी (एमपीएसईबी)	14.10	31-Mar-06	23.06	1-Nov-09	12.61	31-Mar-06	20.39	1-Nov-09	11.11	31-Mar-06	17.72	1-Nov-09
B	कुल एडीबी	123.61		103.91		87.84		77.40		60.21		58.38	
मध्यप्रदेश सरकार	अवधि ऋण	85.09	31-Mar-16	77.01	31-Mar-16	32.88	31-Mar-16	31.07	31-Mar-16	-	-	-	-
	आरजी जीवीआई	21.67	11-Sep-07	24.32	11-Sep-07	16.18	11-Sep-07	19.23	11-Sep-07	11.92	11-Sep-07	14.80	11-Sep-07
	कार्यशील पूंजी	142.97	31-Mar-16	127.13	31-Mar-16	71.49	31-Mar-16	56.09	31-Mar-16	-	-	-	-
C	कुल मध्य प्रदेश सरकार	249.73		228.46		120.55		106.39		11.92		14.80	
अन्य	सार्वजनिक ब्रांड/एसएल आर ब्रांड	1.24	1-Dec-00	0.89	1-Jun-00	1.24	1-Dec-00	0.89	1-Jun-00	1.24	1-Dec-00	0.89	1-Jun-00
	डिबेंचर्स/ पीपी ब्रांड	1.66	1-May-00	34.31	1-May-00	31.66	1-May-00	57.47	1-May-00	31.86	1-May-00	37.28	1-May-00
	डिफर्ड पेमेंट क्रेडिट (आईडी)	10.83	प्रारंभिक शेष एमपीएसईबी	-	-	10.83	प्रारंभिक शेष एमपीएसईबी	-	-	-0.50	प्रारंभिक शेष एमपीएसईबी	0.31	प्रारंभिक शेष एमपीएसईबी
	एलआईसी हाउसिंग फायल	-	-	-	-	-	-	-	-	1.23	प्रारंभिक शेष एमपीएसईबी	0.74	प्रारंभिक शेष एमपीएसईबी
	सिडबी	8.42	प्रारंभिक शेष एमपीएसईबी	-	-	8.42	प्रारंभिक शेष एमपीएसईबी	-	-	-5.78	प्रारंभिक शेष एमपीएसईबी	-1.01	प्रारंभिक शेष एमपीएसईबी
	एमपीआरएस जीवीएस	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	प्रारंभिक शेष एमपीएसईबी	0.07	प्रारंभिक शेष एमपीएसईबी
	मध्यप्रदेश सरकार सहकारी बैंक	-	-	0.07	प्रारंभिक शेष एमपीएसईबी	-	-	0.07	प्रारंभिक शेष एमपीएसईबी	-	-	0.06	प्रारंभिक शेष एमपीएसईबी
	एनवीडीए	-	-	13.86	प्रारंभिक शेष एमपीएसईबी	-	-	13.86	प्रारंभिक शेष एमपीएसईबी	-	-	13.87	प्रारंभिक शेष एमपीएसईबी
D	कुल अन्य	22.15		49.13		52.15		72.29		28.18		52.21	
	कुल डिफॉल्ट (A+B+C+D)	401.47		398.52		285.52		296.05		100.31		125.39	

सही/-
चेतन जयसवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

राशि रु. करोड़ में

26. संचालन से राजस्व

	31.03.2017 वर्ष के अंत में	31.03.2016 वर्ष के अंत में
I.) बिजली की बिक्री से राजस्व		
बिजली की बिक्री से राजस्व : एल टी उपभोक्ताओं:		
- घरेलू प्रकाश और पंखा	1,828.73	1,644.41
- गैर-घरेलू प्रकाश और पंखा	678.99	584.73
- औद्योगिक	265.66	214.26
- सार्वजनिक प्रकाश और पानी कार्य	229.75	172.30
- कृषि	1,267.58	1,053.57
	4,270.71	3,669.27
बिजली की बिक्री से राजस्व : एच टी उपभोक्ताओं:		
- ट्रेक्शन रेलवे	-	293.89
- कोयला खानों	-	1.75
- औद्योगिक पावर	1,884.40	1,976.55
- मौसमी	12.04	16.05
- थोक में आपूर्ति	173.35	157.82
	2,069.79	2,446.06
जोड़ें : बिजली ड्यूटी रिकवरी (कॉन्ट्रा)	536.47	529.77
बिजली की बिक्री से सकल राजस्व	6,876.97	6,645.10
कम : विद्युत शुल्क देय (कॉन्ट्रा)	(536.47)	(529.77)
बिजली की बिक्री से शुद्ध राजस्व	6,340.50	6,115.33
II.) राज्य सरकार से टैरिफ सब्सिडी आय		
राज्य सरकार से टैरिफ सब्सिडी आय	1,102.56	953.67
	1,102.56	953.67
III.) अन्य ऑपरेटिंग राजस्व		
मीटर किराया	43.66	36.70
बिजली/कदाचार की चोरी के लिए रिकवरी	7.23	5.69
पर्यवेक्षण शुल्क	5.41	20.17
व्हीलिंग/ यू.आई. शुल्क वसूली	0.38	0.30
उपभोक्ताओं से अन्य शुल्क	58.94	48.20
	115.62	111.06
संचालन से कुल राजस्व	7,558.68	7,180.06

27. अन्य आय

	31.03.2017 वर्ष के अंत में	31.03.2016 वर्ष के अंत में
(a) ब्याज आय	11.07	0.26
(b) उपभोक्ताओं से देय भुगतान शुल्क	199.93	147.65
(c) आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों के लिए अग्रिम पर ब्याज	11.73	11.57
(d) व्यापार से अन्य आय	21.97	73.83
(e) अन्य विविध प्राप्तियां	9.15	12.03
(f) कर्मचारियों से रिकवरी	0.36	0.29
(g) आस्थगित आय (परिशोधन)	100.06	85.08
(h) यूडीए योजना के तहत अनुदान	1,319.91	-
(i) एमपीपीटीसीएल के लिए व्हीलिंग शुल्क की देनदारी लिखित	148.73	163.32
कुल अन्य आय	1,822.91	494.03

सही/-
चेतन जयसवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

राशि रु. करोड़ में

28. बिजली खरीद, व्हीलिंग शुल्क और एसएलडीसी शुल्क की लागत

	31.03.2017 वर्ष के अंत में	31.03.2016 वर्ष के अंत में
बिजली खरीद की लागत		
(a) एमपीपीएमसीएल से खरीदी गई बिजली	7,361.57	6,924.18
(b) यूआई/डीएसएम शुल्क	(109.57)	(132.83)
(c) प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार	(6.13)	(6.47)
(d) दूसरों से खरीदे गए बिजली	4.96	2.52
कुल बिजली खरीदा	7,250.83	6,787.40
व्हीलिंग और एसएलडीसी शुल्क		
(a) व्हीलिंग प्रभार	786.68	813.82
(b) एसएलडीसी प्रभार	2.46	2.90
कुल व्हीलिंग और एसएलडीसी प्रभार	789.14	816.72
	8,039.97	7,604.12

29. कर्मचारी लाभ व्यय

	31.03.2017 वर्ष के अंत में	31.03.2016 वर्ष के अंत में
(a) वेतन और मजदूरी बोनस सहित	658.90	683.72
(b) कर्मचारी संबंधित फंडों का योगदान	181.49	186.69
(c) कर्मचारी कल्याण व्यय	4.63	7.32
कुल	845.02	877.73
कम: कर्मचारी की लागत पूंजीकृत	(31.09)	(36.02)
कुल कर्मचारी लाभ व्यय	813.93	841.71

30. वित्त लागत

	31.03.2017 वर्ष के अंत में	31.03.2016 वर्ष के अंत में
(a) ब्याज लागत :-		
(i) बैंकों से ऋण पर	2.78	3.96
(ii) वित्तीय संस्थानों से ऋण पर	122.38	128.05
(iii) सरकार से ऋण पर	79.55	55.06
(iv) ब्रांड और डिबेंचर पर	9.60	31.77
(v) कार्यशील पूंजी ऋण पर	191.52	112.35
(vi) उपभोक्ता जमा पर	50.57	56.84
(b) समय पर भुगतान पर एचटी उपभोक्ताओं को छूट	0.96	1.31
(c) बैंक कमीशन और अन्य शुल्क	1.99	4.65
(d) गुरंती शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी	59.62	7.29
(e) विलंबित भुगतान के जुर्माना शुल्क	2.47	1.78
कुल	521.44	403.06
कम : ब्याज पूंजीकृत	(45.45)	(44.70)
कुल वित्त लागत	475.99	358.36

सही/-
चेतन जयसवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

राशि रु. करोड़ में

31. मूल्यहास और परिशोधन व्यय

	31.03.2017 वर्ष के अंत में	31.03.2016 वर्ष के अंत में
संयंत्र, संपत्ति और उपकरण का मूल्यहास	298.35	266.54
कुल मूल्यहास और परिशोधन	298.35	266.54

32. अन्य खर्च

	31.03.2017 वर्ष के अंत में	31.03.2016 वर्ष के अंत में
(a) किराया, दर और कर	3.74	5.18
(b) मरम्मत और रखरखाव		
- संयंत्र और उपकरण	72.36	26.59
- बिल्डिंग	11.51	10.46
- निर्माण कार्य	5.46	13.01
- लाइन, केबल नेटवर्क आदि	60.10	24.12
- वाहन	10.86	0.77
- फर्नीचर व फिक्सचर	0.29	0.05
- कार्यालय उपकरण	1.04	0.38
- आईटी और नेटवर्किंग उपकरण पर आर एंड एम	12.54	4.76
(c) डाक, टेलीग्राफ और राजस्व स्टैम्प खर्च	0.62	0.39
(d) पुस्तकें और पेरिडिकल और फ्रीस सदस्यता	1.24	0.73
(e) टेलीफोन और व्यापक बैंड शुल्क	3.81	3.58
(f) कानूनी और पेशेवर शुल्क	15.34	7.07
(g) वाहन और यात्रा खर्च	42.75	30.66
(h) विज्ञापन, छपाई और अन्य	7.73	5.62
(i) विद्युत शुल्क (कार्यालय)	39.78	36.42
(j) मर्केडाइजिंग, सर्विसिंग और कौन्ट्रैक्ट कार्य	60.49	41.91
(k) मीटर रीडर खर्च	21.50	18.35
(l) निदेशक की बैठने की फीस	-	-
(m) प्रोत्साहन/पुरस्कार और अन्य विविध	0.01	0.13
(n) लेखा परीक्षा शुल्क	1.66	0.23
(o) अन्य सामान्य खर्च	11.91	7.79
(p) उपभोक्ताओं के लिए खराब और संदिग्ध बकाए के लिए प्रावधान	81.36	214.84
(q) अशोध्य ऋण भट्टे - खाते में डाला गया	100.89	-
(r) चोटों और क्षति के लिए मुआवजा	1.22	0.43
(s) व्यय पूंजीकृत	(27.10)	(1.75)
कुल अन्य खर्च	541.11	451.72

* निर्देशक बैठक फीस वर्ष 31 मार्च, 2017 के लिए 33,550 रूपए और वर्ष 31 मार्च, 2016 के लिए रु. 39,736।''

सही/-
चेतन जयसवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

33. आय प्रति शेयर

	31.03.2017 वर्ष के अंत में	31.03.2016 वर्ष के अंत में
	Rs. per share	Rs. per share
प्रति शेयर मूल आय	(42.28)	(102.92)
तनुकृत आमदनी प्रति शेयर	(41.84)	(101.06)

33.1 मूल आय प्रति शेयर

प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग किए जाने वाले आय और भारित औसत इक्विटी शेयर निम्नानुसार हैं :

	31.03.2017 वर्ष के अंत में	31.03.2016 वर्ष के अंत में
कंपनी के मालिकों के लिए वर्ष के लिए लाभ	(787.76)	(1,848.36)
प्रति शेयर मूल आय की गणना में आय का इस्तेमाल	(787.76)	(1,848.36)

	31.03.2017 तक करोड़ में	31.03.2016 तक करोड़ में
प्रति शेयर मूल आय के प्रयोजनों के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	18.63	17.96

33.2 तनकृत आय प्रति शेयर

प्रति शेयर तनकृत आय की गणना में उपयोग की जाने वाली आय निम्नानुसार है:

	31.03.2017 वर्ष के अंत में	31.03.2016 वर्ष के अंत में
प्रति शेयर मूल आय की गणना में आय का इस्तेमाल किया गया परिवर्तनीय बॉन्ड्स पर ब्याज (कर के बाद.....%)	(787.76)	(1,848.36)
	-	-
प्रति शेयर तनकृत आय की गणना में आय का उपयोग	(787.76)	(1,848.36)
प्रति शेयर तनकृत आय की गणना में आय का उपयोग	(787.76)	(1,848.36)

प्रति शेयर तनकृत आय के प्रयोजनों के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के साथ मिलकर बनती है जो प्रति शेयर मूल आय की गणना में निम्नानुसार है:

	31.03.2017 तक करोड़ में	31.03.2016 तक करोड़ में
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या प्रति शेयर तनकृत आय की गणना में इस्तेमाल परिवर्तनीय बांड	18.83	18.29
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या प्रति शेयर तनकृत आय की गणना में इस्तेमाल	18.83	18.29

34. कर्मचारी लाभ योजनाएं

रोजगार के बाद के लाभों के लिए प्रावधान, वीमांकित मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 19.02.2010 के अनुसार प्रदान की जा रही हैं। अधिनियम मूल्यांकन मूल्य दिनांक 19.02.2010 के अनुसार प्रदान किया जा रहा है चूंकि एमपीआईआरसी ने पेंशन के विनियमन जारी किए हैं और अनुमोदन फॉर्म के बाद विनियमन के अनुसार एमपीआईआरसी एंड्रियल मूल्यांकन एमपीपीटीसीएल द्वारा किया जाएगा। इसलिए इस एएस-15 के प्रत्याशी को कंपनी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।

सही/-
चेतन जयसवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

35-36 वित्तीय प्रपत्र

35.1 वित्तीय प्रपत्र की श्रेणियाँ

राशि रु. करोड़ में

	31.03.2017 को शेष राशि	31.03.2016 को शेष राशि	01.04.2015 को शेष राशि
वित्तीय संपत्तियाँ			
(i) लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के जरिये उचित मूल्य पर मापा गया			
(a) निवेश	-	-	-
(ii) अमूर्त लागत पर मापा गया			
(a) नकद और नकद समकक्ष	392.24	459.73	422.71
(b) ऋण	0.13	0.20	0.26
(c) व्यापार प्राप्य	2,715.05	2,358.46	2,256.11
(d) अन्य वित्तीय संपत्तियाँ	368.58	165.91	139.37
	3,476.00	2,984.30	2,818.45
वित्तीय देयता			
(i) अमूर्त लागत पर मापा गया			
(a) उधार राशियाँ	11,822.77	12,322.33	11,322.88
(a) प्रतिभूति जमा	646.12	442.52	434.06
(b) व्यापार देनदारियाँ	2,688.59	2,181.81	2,103.83
(c) अन्य वित्तीय देयता	1,293.06	1,356.46	784.17
	16,450.54	16,303.12	14,644.94

35.2 पूंजी प्रबंधन

कंपनी के उद्देश्यों को जब प्रबंधन पूंजी के लिए कर रहे हैं

- शोयरधारक मूल्य को अधिकतम;
- एक सतत के रूप में जारी रखने की अपनी क्षमता की रक्षा; तथा
- पूंजी की लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखें।

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य के लिए, इक्विटी पूंजी में जारी इक्विटी पूंजी, आवंटन लंबित आवेदन राशि और कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए जिम्मेदार अन्य सभी इक्विटी रिजर्व शामिल हैं। कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थितियों, नियामक ढांचे में बदलाव के प्रकाश में समायोजन करता है। कंपनी किसी बाहरी रूप से लगाए गए पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है।

35.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में ऋण और उधार, उपभोक्ताओं से प्राप्त सुरक्षा जमा, व्यापार भुगतान और भारतीय रुपये में अंकित अन्य भुगतान शामिल है। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के पूंजीगत निवेश और संचालन को वित्त देना है।

कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण और अग्रिम, व्यापार और अन्य प्राप्तियाँ, और नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं जो इसके संचालन से उत्पन्न होते हैं।

कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियाँ इसे विभिन्न वित्तीय जोखिमों, अर्थात् नकदी जोखिम, बाजार जोखिम और क्रेडिट जोखिम के बारे में बताती हैं।

जोखिम	से उत्पन्न एक्सपोजर	माप	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, व्यापार, प्राप्तियाँ, अमूर्त लागत पर मापा वित्तीय संपत्तियाँ	एजिंग विश्लेषण	बैंक जमा, सुरक्षा जमा का विविधीकरण
व नकदी जोखिम	उधार और अन्य देनदारियाँ	रोलिंग नकदी प्रवाह पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम – ब्याज दर	परिवर्तनीय दरों पर दीर्घकालिक उधार	संवेदनशीलता विश्लेषण	ब्याज दरों की निगरानी। फिक्स्ड और फ्लोटिंग ब्याज ऋण के मिश्रित पोर्टफोलियो। ब्याज दरें अनदेखी हैं।

35.4 जोखिम प्रबंधन ढांचे

कंपनी के पास एक विधिवत गठित जोखिम प्रबंधन समिति है जिसका नेतृत्व सीएफओ के साथ प्रबंध निदेशक और अन्य विभाग प्रमुख के सदस्यों के रूप में है।

कंपनी द्वारा वित्तीय जोखिमों का प्रबंधन नीचे संक्षेप में है

35.4.1 क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम यह जोखिम है जो कि प्रतिपक्ष वित्तीय साधन या ग्राहक अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेगा, जिससे वित्तीय हानि हो सकती है। कंपनी अपने ऑपरेटिंग गतिविधियों से बिजली की बिक्री पर व्यापार प्राप्य शेष के कारण क्रेडिट जोखिम के संपर्क में है, नियामक, ऋण और अग्रिमों द्वारा अनुमोदित टेरिफ दर और बैंकों और वित्तीय संस्थानों और अन्य वित्तीय साधनों के साथ जमा राशियों के कारण इसकी वित्तीय गतिविधियों से आधारित है।

35.4.1A क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

डिफॉल्ट की यह परिभाषा व्यापार वातावरण जिसमें कंपनी संचालित होती है और अन्य मैक्रो-आर्थिक कारक पर विचार किया जाता है।

संपत्तियों को वसूली की उचित उम्मीद नहीं होने पर लिखित रूप से बंद कर दिया जाता है, जैसे देनदार घोषित करने वाले देनदार या कंपनी के साथ पुनर्भुगतान योजना में शामिल होने में विफल। जहाँ ऋण या प्राप्तियाँ लिखी गई हैं, कंपनी प्राप्य देय राशि को पुनर्प्राप्त करने के प्रयास में प्रवर्तन गतिविधि में शामिल है। जहाँ वसूली की जाती है, इन्हें लाभ और हानि के बयान में पहचाना जाता है।

I) व्यापार प्राप्य

कंपनी मुख्य रूप से मध्यप्रदेश में आम जनता को बिजली वितरण सुविधाएं प्रदान करती है, जो व्यापक रूप से दो समूहों में विभाजित होती है, जैसे उच्च दाब उपभोक्ता और निम्न दाब उपभोक्ता। कंपनी के उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी करने के समय प्राप्त सुरक्षा जमा के रूप में व्यापार प्राप्तियों के लिए एक सुरक्षा तंत्र है, जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जा रही है। व्यापार प्राप्तियों की मात्रा और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन का मानना है कि व्यापार प्राप्तियों के पास महत्वपूर्ण क्रेडिट जोखिम नहीं है यदि यह देय तिथि से 1 वर्ष से अधिक नहीं है। 1 साल से अधिक के लिए बकाया व्यापार प्राप्तियों के लिए, प्रबंधन जीवनकाल अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल के आधार पर क्रेडिट हानि प्रदान करता है।

II) नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समकक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उच्च श्रेणी के निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ किये जाते हैं और उनके पास कोई महत्वपूर्ण क्रेडिट जोखिम नहीं होता है।

III) बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ जमा

सावधि जमा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ रखी जाती है और इसका कोई महत्वपूर्ण क्रेडिट जोखिम नहीं होता है।

IV) कर्मचारियों को ऋण

कंपनी ने अपने कर्मचारियों को ऋण दिया है। इन ऋणों के संबंध में डिफॉल्ट का जोखिम नगण्य माना जाता है।

V) अन्य वित्तीय संपत्तियां

कंपनी ने कई अन्य पार्टियों को अग्रिम दिया है। प्रबंधन का मानना है कि ये पूरी तरह से संग्रहित हैं। इन अग्रिमों के संबंध में डिफॉल्ट का जोखिम महत्वहीन माना जाता है।

अपेक्षित क्रेडिट नुकसान के लिए प्रावधान

(a) वित्तीय संपत्ति जिसके लिए हानि भत्ता 12 महीने अपेक्षित क्रेडिट घाटे का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी की संपत्तियां हैं जहां काउंटर पार्टियों के पास दायित्वों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और जहां डिफॉल्ट का जोखिम बहुत कम है। प्रारंभिक मान्यता में, वित्तीय संपत्ति (व्यापार प्राप्तियों को छोड़कर) को नगण्य क्रेडिट जोखिम माना जाता है और प्रारंभिक मान्यता से जोखिम में वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

(b) वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए हानि भत्ता जीवनकाल अपेक्षित क्रेडिट नुकसान का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी के उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी करने के समय प्राप्त सुरक्षा जमा के रूप में एक प्राप्य सुरक्षा तंत्र है। 1 साल से अधिक के लिए बकाया व्यापार प्राप्तियों के लिए, प्रबंधन जीवनकाल अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल के आधार पर क्रेडिट हानि प्रदान करता है।

35.4.2 नकदी जोखिम

नकदी जोखिम प्रबंधन का मतलब है कि पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्रेडिट सुविधाओं के माध्यम से वित्त पोषण की उपलब्धता।

प्रबंधन कंपनी की नकदी स्थिति के रोलिंग पूर्वानुमानों की निगरानी करता है जिसमें अपेक्षित नकद प्रवाह के आधार पर अनधिकृत उधार सुविधाओं और नकद समकक्ष शामिल हैं और वित्तीय संपत्तियां और देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल से मेल खाते हैं।

कंपनी ने राजस्थान अधिसूचना सं 2657/एफ - 3-4-2012/ XIII दिनांक 29 मार्च, 2012 के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित केश फ्लो मैकेनिज्म (सीएफएम) के आधार पर तरलता का प्रबंधन किया और बाहरी स्रोतों को कार्यशील पूंजी और दिन-प्रतिदिन व्यय का प्रबंधन किया। केश फ्लो मैकेनिज्म के अनुसार, कंपनी का राजस्व संग्रह मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ("होलिडिंग कंपनी") को भेज दिया जाता है और सीएफएम में तंत्र की रक्षा के अनुसार होलिडिंग कंपनी कार्यशील पूंजी को पूरा करने के लिए कंपनी को धनराशि प्रदान करती है और अन्य तरलता आवश्यकताओं।

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का उद्देश्य अपने दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों की बैठक को सुविधाजनक बनाकर शेयरधारकों के लिए मूल्य बनाना है। इसकी पूंजी संरचना में मध्य प्रदेश सरकार से सतत ऋण सहित शुद्ध ऋण और कुल इक्विटी शामिल है।

A) वित्तीय संपत्तियों के लिए अपेक्षित परिपक्वता

राशि रु. करोड़ में

विवरण	1 महीने से कम	1-3 महीने	3 महीने से 1 वर्ष	1-5 साल	5+साल	कुल	ले जाने वाली राशि
31 मार्च, 2017							
- ऋण			0.01	0.12		0.13	0.13
- व्यापार स्वीकार योग्य	2,715.05					2,715.05	2,715.05
- अन्य वित्तीय संपत्तियां	359.88			8.70		368.58	368.58
Total	3,074.93	-	0.01	8.82	-	3,083.76	3,083.76
31 मार्च, 2016							
- ऋण	-		0.02	0.18		0.20	0.20
- व्यापार स्वीकार योग्य	2,358.46					2,358.46	2,358.46
- अन्य वित्तीय संपत्तियां	155.78			10.13		165.91	165.91
Total	2,514.24	-	0.02	10.31	-	2,524.57	2,524.57
1 अप्रैल, 2015							
- ऋण			0.03	0.23		0.26	0.26
- व्यापार स्वीकार योग्य	2,256.11					2,256.11	2,256.11
- अन्य वित्तीय संपत्तियां	128.91			10.46		139.37	139.37
Total	2,385.02	-	0.03	10.69	-	2,395.74	2,395.74

B) वित्तीय देनदारियों के लिए अपेक्षित परिपक्वता

राशि रु. करोड़ में

विवरण	1 महीने से कम	1-3 महीने	3 महीने से 1 वर्ष	1-5 साल	5+साल	कुल	ले जाने वाली राशि
31 मार्च, 2017							
- उधार				915.10	10,907.67	11,822.77	11,822.77
- सुरक्षा जमा राशि					646.12	646.12	646.12
- व्यापार देनदारियां		2,688.59				2,688.59	2,688.59
- अन्य वित्तीय देनदारियां	971.27	111.20	210.59			1,293.06	1,293.06
Total	971.27	2,799.79	210.59	915.10	11,553.79	16,450.54	16,450.54
31 मार्च, 2016							
- उधार			350.00	1,520.65	10,451.68	12,322.33	12,322.33
- सुरक्षा जमा राशि					442.52	442.52	442.52
- व्यापार देनदारियां		2,181.81				2,181.81	2,181.81
- अन्य वित्तीय देनदारियां	798.09	73.46	484.91			1,356.46	1,356.46
Total	798.09	2,255.27	834.91	1,520.65	10,894.20	16,303.12	16,303.12
1 अप्रैल, 2015							
- उधार				1,515.46	9,807.42	11,322.88	11,322.88
- सुरक्षा जमा राशि					434.06	434.06	434.06
- व्यापार देनदारियां		2,103.83				2,103.83	2,103.83
- अन्य वित्तीय देनदारियां	398.27	113.15	272.75			784.17	784.17
Total	398.27	2,216.98	272.75	1,515.46	10,241.48	14,644.94	14,644.94

उपरोक्त तालिका में कंपनी की शेष संविदात्मक परिपक्वता का विवरण उसकी वित्तीय देनदारियों के लिए सहमत पुनर्भुगतान अवधि के साथ है। तालिका को वित्तीय देनदारियों के अनजान कैशफ्लो के आधार पर तैयार किया गया है, जिस पर कंपनी को भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है। तालिका में ब्याज और प्रिंसिपल कैशफ्लो दोनों शामिल हैं। संविदात्मक परिपक्वता उस शुरुआती तारीख पर आधारित है जिस पर कंपनी को भुगतान करना पड़ सकता है।

35.4.3 बाजार जोखिम

बाजार जोखिम यह जोखिम है जहां वित्तीय साधनों के भविष्य के नकद प्रवाह का उचित मूल्य बाजार की कीमतों में बदलावों के कारण उतार-चढ़ाव करेगा।

बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम शामिल हैं:

- विदेशी मुद्रा जोखिम
- ब्याज दर का जोखिम
- इक्विटी मूल्य जोखिम और कमोडिटी जोखिम जैसे अन्य मूल्य जोखिम।

A) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम से अवगत नहीं है क्योंकि इसकी सभी वित्तीय संपत्तियां और वित्तीय देनदारियां आईएनआर में अंकित हैं।

B) ब्याज दर जोखिम

कंपनी फ्लोटिंग ब्याज दरों के साथ मुख्य रूप से दीर्घकालिक उधार से उत्पन्न ब्याज दर के जोखिम से अवगत कराई गई है। कंपनी ब्याज दर के जोखिम से अवगत कराई गई है क्योंकि फ्लोटिंग रेट उधार के साथ जुड़े नकद प्रवाह दरों में बदलाव के साथ उतार-चढ़ाव करेगा। कंपनी ऋण पोर्टफोलियो को बनाए रखकर ब्याज दर के जोखिमों का प्रबंधन करती है जिसमें आईएनआर में फिक्स्ड फ्लोटिंग रेट उधार का मिश्रण शामिल है।

C) अन्य मूल्य जोखिम

कंपनी के इक्विटी सिक्वोरिटीज के जोखिम का कंपनी द्वारा सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश से उत्पन्न होता है और बैलेंस शीट में वर्गीकृत लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत होता है। हालांकि, रिपोर्टिंग तिथि पर क्योंकि इसमें उद्धृत प्रतिभूतियां नहीं हैं। तदनुसार, कंपनी महत्वपूर्ण बाजार मूल्य जोखिम के संपर्क में नहीं है।

36. उचित मूल्य माप

36.1 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य जो पुनरावर्ती आधार पर उचित मूल्य पर मापा जाता है।

राशि रु. करोड़ में

वित्तीय संपत्तियाँ	उचित मूल्य			उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर	मूल्यांकन तकनीक और महत्वपूर्ण इनपुट
	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक	01.04.2015 तक		
समता अंश उपकरणों में निवेश	4.61	4.61	4.61	लेबल - III	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत इक्विटी शेयर वर्गीकृत। हालांकि, संक्रमण की तारीख में, प्रबंधन लंबे समय तक इसे पकड़ने का इरादा रखता है और तर्क देता है कि ले जाने वाली उचित मूल्य का अनुमान लगाती है।

36.2 वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्य प्रकटीकरण जिन्हें उचित मूल्य पर मापा नहीं जाता है (लेकिन उचित मूल्य प्रकटीकरण आवश्यक है) :-

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य से संबंधित प्रकटीकरण उचित मूल्य के अलावा मापा जाता है, क्योंकि कंपनी के प्रबंधन ने यह निर्धारित किया है कि ऐसी वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों की ले जाने वाली राशि उनके उचित मूल्य का अनुमान लगाती है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

37. संबंधित पार्टी लेनदेन

मध्यप्रदेश सरकार आदेश संख्या 6071/13/12/02 दिनांकित 20/03/2012 द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार मध्यप्रदेश सरकार स्वामित्व के शेरर को एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया है। तदनुसार 01.04.2012 से एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी बनें एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी की पूरी शेरर पूंजी मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की गई है। आईएनडी-एएस- 24 द्वारा आवश्यक संबंधित पार्टियों के बारे में जानकारी नीचे दी गई है :

- A) धारण कंपनी**
i) मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल, जबलपुर)
- B) सह-सहायक कंपनियाँ**
i) मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड (एमपीपीकेवीवीसीएल, इंदौर)
ii) मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड (एमपीएमकेवीवीसीएल, भोपाल)
- C) सरकार संबंधित संस्थाएं :**
i) मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (एमपीपीटीसीएल, जबलपुर)
ii) मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एमपीपीटीसीएल, जबलपुर)
- D) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक :**
i) पूर्णकालिक निदेशकों
(a) श्री मुकेश चंद्र गुप्ता प्रबंध निदेशक
(b) श्री एस.के. पॉल नामित निदेशक
(c) श्री पी.के. चतुर्वेदी नामित निदेशक
(d) श्री यशवंत कुमार नामित निदेशक
(e) श्री अजय चौबे नामित निदेशक
(f) डॉ. एच.ओ. गुप्ता स्वतंत्र निदेशक
(g) प्रो अपराजिता ओझा स्वतंत्र निदेशक.
(h) श्री एस.के. यादव पूर्णकालिक निदेशक, तकनीकी
(i) श्री चेतन जायसवाल मुख्य वित्तीय अधिकारी
(j) श्री एल.एम. शर्मा कंपनी सचिव

37.1 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को मुआवजा

वर्ष के दौरान निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के अन्य सदस्यों का पारिश्रमिक निम्नानुसार है।

	31.03.2017 वर्ष के अंत में	राशि रु. करोड़ में 31.03.2016 वर्ष के अंत में
अल्पावधि लाभ	0.59	0.76
बाद के रोजगार लाभ	0.22	-

37.2 बकाया शेष और लेनदेन

प्रासंगिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित शेष बकाया थे

संबंधित पार्टी	संबंधित पार्टियों पर / द्वारा शेष बकाया		
	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक	01.04.2015 तक
- एमपीपीएमसीएल, जबलपुर	(91.83)	(416.88)	(689.15)
- एमपीपीकेवीवीसीएल, इंदौर	(5.80)	(5.79)	0.46
- एमपीएमकेवीवीसीएल, भोपाल	(6.49)	(6.49)	(5.79)
- एमपीपीटीसीएल, जबलपुर	(501.41)	(429.92)	(463.19)
- एमपीपीजीसीएल, जबलपुर	18.80	2.28	2.42

वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन का विवरण नीचे दिया गया है।

संबंधित पार्टी	लेनदेन की प्रकृति	मार्च 2017 तक शेष	मार्च 2016 तक शेष
- एमपीपीएमसीएल, जबलपुर	इविचटी योगदान	1,464.11	41.42
	बिजली खरीद	7,361.57	6,924.18
- एमपीपीकेवीवीसीएल, इंदौर	अन्य लेनदेन	0.01	6.25
- एमपीपीकेवीवीसीएल, इंदौर	अन्य लेनदेन	-	0.70
- एमपीपीजीसीएल, जबलपुर	अन्य लेनदेन	16.52	0.14
- एमपीपीटीसीएल, जबलपुर	क्लीनिंग और एसएलडीसी शुल्क	789.14	816.72

सही/-
चेतन जायसवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

38. आकस्मिक देयताएं

कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया

राशि रु. करोड़ में

	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक	01.04.2015 तक
संबंधित मामलों :			
A) फ्रिंज लाभ कर	1.96	1.39	0.83
B) आयकर	0.11	10.98	10.98
C) वैट	1.24	1.24	1.21
D) प्रवेश कर	44.09	35.22	25.22
E) अन्य कानूनी मामलों	640.86	378.79	601.45
	688.26	427.63	639.69

a) "विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों से उपरोक्त करों की मांग विभिन्न प्राधिकरणों पर कंपनी द्वारा लगी है। यह उम्मीद की जाती है कि इन कार्यवाही का अंतिम परिणाम कंपनी के पक्ष में होगा और कंपनी के वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणाम पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।"

39. 31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान पहचाने गए त्रुटियों में सुधार

39.1. 31 मार्च, 2016 और 01 अप्रैल, 2015 को बैलेंस शीट में त्रुटि सुधार के लिए समायोजन

राशि रु. करोड़ में

विवरण	नोट्स	31.03.2016 तक			31.03.2015 तक		
		आईजीएपी के अनुसार (जैसा कि सूचित किया गया)	पूर्व अवधि त्रुटियों के लिए समायोजन	संशोधित आईजीएपी बैलेंस	आईजीएपी के अनुसार (जैसा कि सूचित किया गया)	पूर्व अवधि त्रुटियों के लिए समायोजन	संशोधित आईजीएपी बैलेंस
परिसंपत्तियाँ							

I. गैर-मौजूदा परिसंपत्तियाँ

(a) अचल संपत्तियाँ							
(i) मूर्त संपत्ति	(A)	3,841.84	36.30	3,878.14	3,899.60	68.70	3,968.30
(ii) अमूर्त संपत्ति	(A)	-	12.64	12.64	-	-	-
(iii) पूंजीगत कार्य-प्रगति	(A)	1,115.57	(88.09)	1,027.48	611.19	(47.20)	563.99
(iv) विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां	(A)	30.65	(14.66)	15.99	24.99	-	24.99
कुल अचल संपत्तियां		4,988.06	(53.81)	4,934.25	4,535.78	21.50	4,557.28
(b) गैर- चालू निवेश	(A)	-	-	-	-	-	-
(c) स्थगित कर संपत्तियां (शुद्ध)	(A)	-	-	-	-	-	-
(d) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	(A)	681.67	-	681.67	590.55	-	590.55
(e) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्ति	(A)	14.47	-	14.47	16.50	-	16.50
कुल गैर-मौजूदा संपत्तियां		5,684.20	(53.81)	5,630.39	5,142.83	21.50	5,164.33

II. चालू संपत्तियाँ

(a) वर्तमान निवेश	(A)	-	-	-	-	-	-
(b) सूची	(A)	372.60	-	372.60	243.92	-	243.92
(c) व्यापार स्वीकार योग्य	(A)	2,948.93	(52.75)	2,896.18	2,965.86	(52.75)	2,913.11
(d) नकद और नकद समकक्ष	(A)	457.37	-	457.37	422.71	-	422.71
(e) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	(A)	1.23	-	1.23	1.08	-	1.08
(f) अन्य मौजूदा परिसंपत्तियाँ	(A)	218.55	(8.19)	210.36	184.23	(8.19)	176.04
कुल चालू संपत्तियाँ		3,998.68	(60.94)	3,937.74	3,817.80	(60.94)	3,756.86
कुल परिसंपत्तियाँ		9,682.88	(114.75)	9,568.13	8,960.63	(39.44)	8,921.19

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

राशि रु. करोड़ में

विवरण	नोट्स	31.03.2016 तक			31.03.2015 तक		
		आईजीएपी के अनुसार (जैसा कि सूचित किया गया)	पूर्व अवधि त्रुटियों के लिए समायोजन	संशोधित आईजीएपी बैलेंस	आईजीएपी के अनुसार (जैसा कि सूचित किया गया)	पूर्व अवधि त्रुटियों के लिए समायोजन	संशोधित आईजीएपी बैलेंस
इक्विटी और देनदारियां							
I. इक्विटी							
(a) शेयर पूंजी	(A)	1,832.81	-	1,832.81	1,790.21	-	1,790.21
(b) रिजर्व और अधिशेष	(A)	(10,027.42)	(112.85)	(10,140.27)	(8,582.45)	53.36	(8,529.09)
कुल अंश (अंशधारी निधि)		(8,194.61)	(112.85)	(8,307.46)	(6,792.24)	53.36	(6,738.88)
II. आवेदन राशि लंबित आवंटन	(A)	25.52	-	25.52	26.70		26.70
III. गैर मौजूदा देनदारियाँ							
(a) दीर्घकालिक उधार	(A)	11,972.33	-	11,972.33	11,322.88	-	11,322.88
(b) स्थगित कर देनदारियां (नेट)	(A)		-	-	-	-	--
(c) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	(A)	442.52	-	442.52	433.91	-	433.91
(d) दीर्घकालिक प्रावधान	(A)	1,166.81	-	1,166.81	714.29	-	714.29
कुल गैर-मौजूदा देनदारियां		13,581.66	-	13,581.66	12,471.08	-	12,471.08
I. मौजूदा देनदारियाँ							
(a) लघु अवधि ऋणादान	(A)	350.00	-	350.00	-	-	-
(b) व्यापार देनदारियां	(A)	863.50	(0.03)	863.47	1,508.80	(1.21)	1,507.59
(c) अन्य चालू देनदारियां	(A)	2,248.42	(1.87)	2,246.55	1,459.87	(91.59)	1,368.28
(d) अल्पकालिक प्रावधान	(A)	808.39	-	808.39	286.42	-	286.42
कुल मौजूदा देनदारियाँ		4,270.31	(1.90)	4,268.41	3,255.09	(92.80)	3,162.29
कुल देनदारियाँ		17,851.97	(1.90)	17,850.07	15,726.17	(92.80)	15,633.37
कुल अंश और देनदारियां		9,682.88	(114.75)	9,568.13	8,960.63	(39.44)	8,921.19

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

39.1.2 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के बयान में त्रुटि सुधार के लिए समायोजन

राशि रु. करोड़ में

विवरण	नोट्स	31.03.2016 वर्ष के अंत तक		
		आईजीएपी के अनुसार (जैसा कि सूचित किया गया)	पूर्व अवधि त्रुटियों के लिए समायोजन	संशोधित आईजीएपी बैलेंस
आय				
(a) संचालन से राजस्व	(A)	7,159.91	-	7,159.91
(b) अन्य आय	(A)	350.88	163.32	514.20
I) कुल आय		7,510.79	163.32	7,674.11
व्यय				
(a) बिजली क्रय और क्लिंग प्रभार	(A)	7,604.11	-	7,604.11
(b) कर्मचारी लाभ व्यय	(A)	841.18	0.54	841.72
(c) वित्त लागत	(A)	358.36	-	358.36
(d) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	(A)	261.10	5.44	266.54
(e) अन्य खर्च	(A)	385.06	1.44	386.50
II) कुल व्यय		9,449.81	7.42	9,457.23
III) असाधारण और असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ/हानि (I-II)		(1,939.02)	155.90	(1,783.12)
IV) असाधारण मद (पूर्व अवधि शुद्ध)	(A)	(158.79)	158.79	-
V) साधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ/हानि (III - IV)		(1,780.23)	(2.89)	(1,783.12)
VI) असाधारण मद	(A)	(163.32)	163.32	-
VII) कर से पहले की अवधि के लिए निरंतर संचालन से लाभ/(हानि) (V - VI)		(1,616.91)	(166.21)	(1,783.12)
VIII) कर व्यय :-				
(a) वर्तमान कर		-	-	-
(b) आस्थगित कर		-	-	-
IX) कर के बाद की अवधि के लिए निरंतर संचालन से लाभ (हानि) (VII-VIII)		(1,616.91)	(166.21)	(1,783.12)
X) बंद/संचालन से लाभ			-	--
XI) बंद संचालन के कर खर्च			-	--
XII) बंद/संचालन से लाभ (हानि) (कर के बाद) (X-XI)			-	-
अवधि के लिए लाभ (IX + XII)		(1,616.91)	(166.21)	(1,783.12)

(A) पूर्व अवधि समायोजन

भारतीय जीएपी के तहत, कंपनी ने लाभ और हानि के वक्तव्य में कुछ पूर्व अवधि के सामान लगाए थे। हालांकि, आईएनडी एएस के तहत पूर्व अवधि की त्रुटियों को उस अवधि में संशोधित किया जाना चाहिए, जिस पर यह संबंधित है। इसलिए, आईएनडी एएस में संक्रमण पर, भारतीय जीएपी के तहत लगाई गई पूर्व अवधि को संक्रमण तिथि पर संशोधित किया गया है और पूर्व अवधि की प्रविष्टि को उलट दिया गया है। इसके बाद संशोधित आईजीएपी बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता तैयार किया गया है और संशोधित आईजीएपी और आईएनडी एएस के बीच सुलह बाद के नोट में तैयार किया गया है। पूर्व अवधि समायोजन आईएनडी एएस एडजस्टमेंट नहीं है और इसलिए इसके लिए इसका प्रभाव इस नोट में प्रदान किया गया है।

सही/-
चेतन जयसवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

40 आईएनडी एएस अभिग्रहण का प्रभाव

40.1 आईएनडी एएस अभिग्रहण का प्रभाव 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015 को तुलन पत्र पर

राशि रु. करोड़ में

विवरण	नोट्स	31 मार्च 2016 तक			31 मार्च 2015 तक		
		आईजीपी के अनुसार	आईएनडीएएस में संक्रमण का प्रभाव	आईएनडीएएस फाइनैशियल के अनुसार	आईजीपी के अनुसार	आईएनडीएएस में संक्रमण का प्रभाव	आईएनडीएएस फाइनैशियल के अनुसार
I. गैर-मौजूदा परिसंपत्तियाँ							
(a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(a)	3,878.14	-	3,878.14	3,968.30	0.01	3,968.31
(b) पूंजीगत कार्य-प्रगति	(a)	1,027.48	221.62	1,249.10	563.99	146.83	710.82
(c) अमूर्त परिसम्पत्ति	(a)	12.64	-	12.64	-	-	-
(d) विस्तार के तहत अमूर्त परिसम्पत्ति	(a)	15.99	-	15.99	24.99	-	24.99
(e) वित्तीय संपत्तियाँ							
(i) निवेश	(a)	-	-	-	-	-	-
(ii) ऋण	(a)	681.67	(681.49)	0.18	590.55	(590.32)	0.23
(iii) अन्य वित्तीय संपत्तियाँ	(a)	-	10.13	10.13	-	10.46	10.46
(f) अन्य परिसंपत्तियाँ	(a)	14.47	671.36	685.83	16.50	579.84	596.34
कुल गैर-मौजूदा परिसंपत्तियाँ		5,630.39	221.62	5,852.01	5,164.33	146.82	5,311.15
II. चालू परिसंपत्तियाँ							
(a) सूची	(a)	372.60	(221.62)	150.98	243.92	(146.83)	97.09
(b) वित्तीय संपत्तियाँ							
(i) व्यापार प्राप्य	(a)	2,896.18	(537.72)	2,358.46	2,913.11	(657.00)	2,256.11
(ii) नकद और नकद समकक्ष	(a)	457.37	2.36	459.73	422.71	-	422.71
(iii) ऋण	(a)	1.23	(1.21)	0.02	1.08	(1.05)	0.03
(iv) अन्य वित्तीय संपत्तियाँ	(a)	-	155.78	155.78	-	128.91	128.91
(e) अन्य मौजूदा संपत्तियाँ	(a)	210.36	318.50	528.86	176.04	530.77	706.81
कुल मौजूदा संपत्ति		3,937.74	(283.91)	3,653.83	3,756.86	(145.20)	3,611.66
कुल परिसंपत्तियाँ		9,568.13	(62.29)	9,505.84	8,921.19	1.62	8,922.81

सही/-
चेतन जयसवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

राशि रु. करोड़ में

विवरण	नोट्स	31 मार्च 2016 तक			31 मार्च 2015 तक		
		आईजीपी के अनुसार	आईएनडी एएस में परिवर्तन का प्रभाव	आईएनडी एएस तुलन पत्र के अनुसार	आईजीपी के अनुसार	आईएनडी एएस में परिवर्तन का प्रभाव	आईएनडी एएस तुलन पत्र के अनुसार
I. इक्विटी							
(a) शेयर पूंजी	(a)	1,832.81	(0.01)	1,832.80	1,790.21	(0.01)	1,790.20
(b) अन्य अंश	(a)	(10,140.27)	(1,504.62)	(11,644.89)	(8,529.09)	(1,266.26)	(9,795.35)
कुल अंश		(8,307.46)	(1,504.63)	(9,812.09)	(6,738.88)	(1,266.27)	(8,005.15)
आवेदन राशि लंबित आवंटन		25.52	(25.52)	-	26.70	(26.70)	-
II. गैर मौजूदा देनदारियाँ							
(a) वित्तीय देनदारियाँ							
(i) ऋणादान	(a)	11,972.33	-	11,972.33	11,322.88	-	11,322.88
(ii) प्रतिभूति	(a)	-	442.52	442.52	-	434.06	434.06
(b) प्रावधान	(a)	1,166.81	0.53	1,167.34	714.29	(83.77)	630.52
(c) आस्थगित राजस्व	(a)	-	1,365.41	1,365.41	-	1,208.45	1,208.45
(d) अन्य देनदारियाँ	(a)	442.52	(442.52)	-	433.91	(433.91)	-
कुल गैर मौजूदा देनदारियाँ		13,581.66	1,365.94	14,947.60	12,471.08	1,124.83	13,595.91
III. चालू दायित्व							
(a) वित्तीय देनदारियाँ							
(i) ऋणादान	(a)	350.00	-	350.00	-	-	-
(ii) व्यापार देनदारियाँ	(a)	863.47	1,318.34	2,181.81	1,507.59	596.24	2,103.83
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	(a)	-	1,356.46	1,356.46	-	784.17	784.17
(b) आस्थगित राजस्व	(a)	-	100.06	100.06	-	85.08	85.08
(c) अन्य देनदारियाँ	(a)	2,246.55	(1,864.55)	382.00	1,368.28	(1,009.31)	358.97
(d) प्रावधान	(a)	808.39	(808.39)	-	286.42	(286.42)	-
कुल चालू दायित्व		4,268.41	101.92	4,370.33	3,162.29	169.76	3,332.05
कुल दायित्व		17,850.07	1,467.86	19,317.93	15,633.37	1,294.59	16,927.96
कुल इक्विटी और देनदारियाँ		9,568.13	(62.29)	9,505.84	8,921.19	1.62	8,922.81

(a) आईएनडी एएस आकड़ों के संदर्भ में बेहतर प्रस्तुति देने के लिए आईजीएपी बैलेंस वाले आकड़ों में पुनः वर्गीकरण प्रविष्टि पारित की जाती है। हालांकि, कोई समायोजन प्रविष्टि पारित नहीं की गई है जो कंपनी के वर्ष के लिए कुल इक्विटी या लाभ को प्रभावित कर सकती है।

40.2 31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015 को कुल इक्विटी का पुनर्मुल्यांकन

	नोट्स	31 मार्च 2016 तक	31 मार्च 2015 तक
कुल अंश (अंशधारी निधि) संशोधित आईजीएपी के अंतर्गत		8,281.94	(6,712.18)
देयता के तहत स्थगित आय में पुनः वर्गीकृत ग्राहकों से प्राप्त सरकारी अनुदान/राशि	(A)	(1,465.47)	(1,293.53)
ईसीएल मॉडल के अनुसार व्यापार प्राप्तियों की कमी	(B)	(64.68)	0.56
इक्विटी के लिए कुल समायोजन		(1,530.15)	(1,292.97)
कुल अंश आईएनडी एएस के अंतर्गत		(9,812.09)	(8,005.15)

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

40.3 आईएनडी एएस का प्रभाव 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण पर

राशि रु. करोड़ में

	अनुसूची क्र.	31/03/2016 वर्ष के अंत में		
		आईजीएपी के अनुसार	आईएनडी एएस में परिवर्तन का प्रभाव	आईएनडी एएस तुलन पत्र के अनुसार
आय				
परिचालन से आय		7,159.91	(20.15)	7,180.06
अन्य आय		514.20	20.17	494.03
कुल आय (A)		7,674.11	0.02	7,674.09
व्यय				
विजली क्रय और व्हीलिंग प्रभार		7,604.11	(0.01)	7,604.12
कर्मचारी लाभ व्यय		841.72	0.01	841.71
वित्त लागत		358.36	-	358.36
मूल्यहास और परिशोधन व्यय		266.54	-	266.54
अन्य खर्च		386.50	(65.22)	451.72
कुल व्यय (B)		9,457.23	(65.22)	9,522.45
कर पूर्व लाभ (A-B+C+D)		(1,783.12)	65.24	(1,848.36)
असाधारण मद (पूर्व अवधि शुद्ध)		-	-	-
असाधारण मद		-	-	-
कर व्यय				
(1) वर्तमान कर		-	-	-
(2) स्थगित कर		-	-	-
कुल कर (F)		-	-	-
अवधि के लिए लाभ		(1,783.12)	65.24	(1,848.36)

राशि रु. करोड़ में

	अनुसूची क्र.	31/03/2016 वर्ष के अंत में		
		पूर्व जीएएपी	आईएनडी एएस में परिवर्तन का प्रभाव	आईएनडी एएस तुलन पत्र के अनुसार
अन्य व्यापक आमदनी		-	-	-
कुल अन्य व्यापक आय [A(i-ii)+B(i-ii)]		-	-	-
अवधि के लिए कुल व्यापक आय		(1,783.12)	65.24	(1,848.36)

40.4 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय का पुनर्मूल्यांकन

राशि रु. करोड़ में

	अनुसूची क्र.	31/03/2016 वर्ष के अंत में
पिछले जीएएपी के अनुसार संशोधित लाभ समायोजन		(1,783.12)
(a) ईसीएल मॉडल के अनुसार व्यापार प्राप्तियों की हानि	(B)	(65.24)
आईएनडी एएस में संक्रमण का कुल प्रभाव		(65.24)
आईएनडी एएस के अनुसार वर्ष के लिए लाभ		(1,848.36)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध)	-	-
आईएनडी एएस के तहत कुल व्यापक आय		(1,848.36)

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

(A) देयता के तहत स्थगित आय में पुनः वर्गीकृत ग्राहकों से प्राप्त सरकारी अनुदान/राशि

भारतीय जीएएपी के तहत, संपत्ति के विकास के उद्देश्य से उपभोक्ता/सरकार से कंपनी द्वारा प्राप्त राशि को रिजर्व और अधिशेष के तहत दर्ज किया जा रहा था। हालांकि, आईएनडी एएस के तहत, उपभोक्ताओं/सरकार से प्राप्त राशि को देयताओं के तहत स्थगित आय के तहत दर्ज किया जाता है। एक बार परिसंपत्ति विकसित हो जाने के बाद, यह संबंधित परिसंपत्ति पर लगाए गए मूल्यह्रास के अनुपात में लाभ और हानि के विवरण के लिए आय के रूप में लिया जाएगा।

(B) ईसीएल मॉडल के अनुसार व्यापक प्राप्ति की कमी

भारतीय जीएएपी के तहत कंपनी एक व्यय हानि मॉडल पर खराब और संदिग्ध ऋण प्रदान करती थी। हालांकि, आईएनडी एएस 109 के अनुसार, कंपनी प्रायः क्रेडिट की हानि के उद्देश्य से अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करता है। इसलिए ईसीएल मॉडल के अनुसार हानि की संक्रमण तिथि पर गणना की गई है और अतिरिक्त प्रदान किया गया है।

40.5 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह के समेकित विवरण पर आईएनडी एएस के प्रभाव के रूप में

राशि रु. करोड़ में

	31/03/2016 तक		
	पूर्व जीएएपी	आईएनडी एएस में परिवर्तन का प्रभाव	आईएनडी एएस के अनुसार
ऑपरेटिंग गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	(219.17)	(23.12)	(196.05)
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	(713.38)	(6.92)	(706.46)
वित्त पोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	967.22	27.69	939.53
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (कमी)	34.66	(2.36)	37.02
अवधि की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	422.71	(0.00)	422.71
अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्ष	457.37	(2.36)	459.73

41. निर्दिष्ट बैंक नोट्स (एसबीएन)

विवरण	निर्दिष्ट बैंक नोट्स (एसबीएन)	अन्य वर्गीकरण नोट	कुल
	राशि रु. करोड़ में	राशि रु. करोड़ में	राशि रु. करोड़ में
08.11.2016 को हस्तगत रोकड़	15.66	0.03	15.69
(+) अनुमत पावती	220.57	81.28	301.85
(-) गैर अनुमत पावती			
(-) अनुमत भुगतान/ उपयोग			
(-) गैर अनुमत भुगतान/उपयोग			
(-) बैंकों में जमा राशि	236.23	81.31	317.54
30.12.2016 को हस्तगत रोकड़	-	-	-

नोट: 10 नवम्बर, 2016 से 15 दिसम्बर, 2016 की अवधि के दौरान, कंपनी को अपने ग्राहकों से उनकी बिजली की देनदारियों के भुगतान के लिए कानूनी निविदा के रूप में एसबीएन प्राप्त करने की अनुमति थी। कंपनी ने संग्रह केंद्रों को नामित किया है, जिन्हें अपने ग्राहकों से नकद प्राप्त करने की अनुमति है। इन केंद्रों में एकत्रित नकद सीधे कंपनी के बैंक खातों में जमा की जाती है। कंपनी को संबंधित बैंकों से जमा एसबीएन का विवरण प्राप्त हुआ है, और जमा राशि के बराबर राशि एकत्रित किया गया है।

42. पूंजी प्रतिबद्धताओं

रिपोर्टिंग अवधि पर कोई पूंजी प्रतिबद्धता नहीं है क्योंकि कंपनी ने कोई पूंजी परियोजना नहीं की है।

43. खंड रिपोर्टिंग

कंपनी बिजली के वितरण के कारोबार में लगी हुई है। कंपनी को एक एकीकृत इकाई के रूप में व्यवस्थित रूप से प्रबंधित किया जाता है और तदनुसार प्रबंधन भारतीय लेखा मानक 108 : ऑपरेटिंग सेगमेंट के मामले में एक व्यापार खंड के रूप में बिजली की विक्री को मानता है। इसके अलावा, चूंकि कंपनी के संचालन केवल भारत में किए जाते हैं, वहां कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक खंड नहीं है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

44. इंटर-यूनिट असंबद्ध शेष

इंटर-यूनिट खातों के शेष शेष सुलह के अधीन हैं :-

राशि रु. करोड़ में

जीएल नाम	अनुसूची क्र.	31 मार्च 17 तक शेष	31 मार्च 16 तक शेष	1 अप्रैल 15 तक शेष
इंटर यूनिट खाता – एचओ लेनदेन	अनुसूची : 13	72.01	79.27	205.03
इंटर यूनिट खाता – सामग्री	अनुसूची : 14	2.10	2.25	(0.19)
इंटर यूनिट खाता – फंड ट्रांसफर	अनुसूची : 16	(10.57)	(25.12)	24.30
इंटर यूनिट खाता – अन्य लेनदेन	अनुसूची : 23	(10.25)	(52.32)	(70.53)
इंटर यूनिट खाता – कोयला समायोजन	अनुसूची : 20	(55.47)	(55.47)	(48.62)

45. खरीद और ऊर्जा की विक्री का मात्रात्मक विवरण

ऊर्जा विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17		वित्तीय वर्ष 2015-16	
	एमयू में	राशि (रु. करोड़ में)	एमयू में	1 अप्रैल 15 तक शेष
डिस्कॉम परिधि पर इनपुट	17,327	8,039.97	17,960	7,604.12
उपभोक्ताओं द्वारा खपत	13,409	7,443.06	13,891	7,069.00

सही/-
चेतन जयसवाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी